खण्ड-246, अंक-10
शनिवार, 17 फाल्गुन, शक संवत् 1885
(7 मार्च, 1964 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 246 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	९२९–९३२
गोरखपुर फार्म द्वारा गाजीपुर जिले के ब्लाकों में घटिया और रोग-ग्रस्त गन्ना देने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	९३२
१८ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १३ के अनुपूरक प्रश्नोत्तर के स्पष्टीकरण के संबंध में स्वास्थ्य मन्त्री का वक्तव्य	९३३
१९६४–६५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या ११---गांव सभाएं और पंचायतें (जारी)	९३३–९५८
गणपूर्ति अधिक समय तक न होने के सम्बन्ध में निदेश	९५८
१९६४–६५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या ११---गांव सभाएं और पंचायतें (स्वीकृत) ..	९५८–९८७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, ७ मार्च, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—२८९

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णसिंह, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह बिष्ट, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती

चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पाण्डेय, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पंचमदास, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बैचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री

भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री
रामआधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री उपनाम (चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर, श्री
विजशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती

विश्वनाथ पाण्डेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवनार्थसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—शिक्षा मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश तथा शिक्षा उप-मंत्री, श्री रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे।

गोरखपुर फार्म द्वारा गाजीपुर जिले के ब्लाकों में घटिया और रोग-ग्रस्त गन्ना देने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास नियम ५२ की दो, तीन सूचनायें आयी हैं। उनमें से मैंने माननीय कमलासिंह की स्वीकार की है। वह इस तरीके से है:—

"गाजीपुर जिले के देवकली, सैदपुर तथा अन्य ब्लाकों में गोरखपुर फार्म द्वारा अधिक देर से जो गन्ने की सप्लाई की गयी है वह सूखा हुआ है, उसके अंखुए टुटे हुए, रेड राट मर्ज लगा हुआ है जिसके अन्दर कीड़े भरे हुये हैं ऐसा गन्ना किसानों से रुपया लेकर अच्छी वेराइटी के नाम पर दिया गया है। यह गन्ना बोने का सीजन है, गन्ना मिलना भी इस समय कठिन है। इस अकाल के समय जनता के साथ घटिया और रोगी किस्म का गन्ना देकर जनता के साथ विश्वास-घात किया गया है (ये शब्द न लिखते तो कोई हर्ज भी नहीं था) और सरकारी अधिकारी तथा फार्म अधिकारी के उपरोक्त धोखे बाजी तथा विश्वासघात के कारण गाजीपुर जिले में एक क्षोभ का वातावरण पैदा हो गया है।"

इसके संबंध में आप कब बयान दीजियेगा ?

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

मंगल को दे देंगे।

१८ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १३ के अनुपूरक प्रश्नोत्तर के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

अध्यक्ष महोदय, उस रोज जो बयान मैंने आपके पास भेजा था उसमें थोड़ी-सी तरमीम की है। आपकी इजाजत से तरमीम करने के बाद बयान पढ़ रहा हूं :—

"दिनांक १८ दिसम्बर, १९६३ को जन स्वास्थ्य विभाग से संबंधित तारांकित प्रश्न संख्या १३ के संदर्भ में पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के संबंध में श्रीमती सुशीला रोहतगी ने यह कहा था कि 'इस बात को देखते हुए कि कानपुर में टी० बी० के सब से ज्यादा बीमार हैं, क्या सरकार इस संबंध में वहां प्राथमिकता देगी और वहां पर डोमीसियलरी ट्रीटमेंट खोलेगी ?' इसके उत्तर में मैंने सदन में यह कहा था कि 'माननीया सदस्या को शायद मालूम नहीं, कानपुर में तो काफी इसके लिये सुविधायें हैं, जबकि कानपुर से ज्यादा इनकी संख्या मुरादाबाद में है'।"

माननीय श्री रामचन्द्र विकल ने मेरे इस कथन पर आपत्ति की है तथा मुझसे इस संबंध में स्थिति को स्पष्ट करने का आग्रह किया है।

इस सम्बन्ध में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह मैंने कभी नहीं कहा कि तपेदिक का प्रकोप उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में सबसे अधिक है। वास्तविकता यह है कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में कितने रोगी हैं इसकी ठीक संख्या बताना सम्भव नहीं है, क्योंकि इस संबंध में रोगियों की कभी गणना नहीं की गई। सरकारी टी० बी० क्लीनिकों तथा अस्पतालों में उपचारार्थ आये टी० बी० के रोगियों के अतिरिक्त बहुत बड़ी संख्या उन टी० बी० के रोगियों की भी है जो अपने इलाज के लिये इन क्लीनिकों तथा अस्पतालों में नहीं आते। अतः ऐसे रोगियों की संख्या को ठीक प्रकार से बताना संभव नहीं है। इतना ही नहीं, जिस जगह टी० बी० के इलाज के लिये अस्पताल अधिक हैं वहां इस रोग से पीड़ित लोगों की संख्या अधिक मालूम होती है तथा जहां यह सुविधा कम उपलब्ध है वहां इस रोग से पीड़ित रोगियों की संख्या कम मालूम होती है। फिर भी अन्दाजा लगाने के लिये यदि सन् १९६१ में कानपुर तथा मुरादाबाद में सरकारी अस्पतालों में टी० बी० के इलाज के लिये आये रोगियों की संख्या को आधार मान लिया जाय तो इन स्थानों के क्षेत्रफल को देखते हुए स्थिति इस प्रकार होगी :—

"शहर कानपुर का क्षेत्रफल ११४.४५४ वर्गमील मील है या ११५ वर्गमील के लगभग है। मुरादाबाद शहर का क्षेत्रफल ४.५० वर्गमील या ५ वर्गमील के लगभग है। सन् १९६१ में कानपुर में २२,९४२ या २३,००० के लगभग टी० बी० के रोगियों ने इलाज कराया तथा मुरादाबाद में ३,२०० के लगधग रोगियों ने। क्षेत्रफल के अनुसार कानपुर में एक वर्गमील में लगभग २०० टी० बी के रोगी हैं तथा मुरादाबाद में एक वर्ग मील में लगभग ६४० टी० बी० के रोगी हैं।

इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि कानपुर की अपेक्षा मुरादाबाद में टी० बी० का प्रकोप अधिक है। मेरा पूर्व वक्तव्य इन्हीं तथ्यों पर आधारित था।"

१९६४–६५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ११—गांव सभाएं और पंचायतें (क्रमागत)†

*श्री नित्यानन्द पांडेय (जिला कानपुर)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कल हमारे मंत्री जी ने जो पंचायतों के संबंध में अनुदान पेश किया था वह काफी प्रगतिशील है और उसकी प्रशंसा की जानी चाहिये थी, लेकिन उधर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†६ मार्च, १९६४ की कार्यवाही से।

[श्री नित्यानन्द पांडेय]

के बैठने वाले माननीय सदस्यों के संबंध में कुछ ऐसा लगता है कि जो भी चीज सदन में सरकार की ओर से पेश की जाती है उसमें इनको खामियां और खराबियां नजर आती हैं और हमेशा ये लोग छिद्रान्वेषण किया करते हैं और इस बात के आदी हैं कि जान-बूझ कर भी जानना नहीं चाहते हैं कि इस प्रदेश में क्या हो रहा है ? यह आगे बढ़ रहा है या नहीं ? जिनको अच्छे कामों में भी बुराई नजर आती है, उनसे मैं क्या कहूं ? म इतना ही कह सकता हूं कि पंचायत राज्य के रूप में जो सत्ता का विकेन्द्रीकरण हुआ है उससे जन साधारण के मन में आस्था जाग्रत हुई है और लोग समझते हैं कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो रहा है, लेकिन जहां मन में इस प्रकार की भावनायें उद्वेलित हो रही हैं वहां इस बात की आवश्यकता है कि सरकार उनमें कुछ और सुधार का काम करे ।

जो विकेन्द्रीकरण आपने किया है और ब्लाक के साथ-साथ जिला परिषदों को जो अधिकार हस्तांतरित किये हैं उनमें बहुत-सी ऐसी बातें हैं जिनसे आपस में आफिसर्स में विद्वेष की भावना फैल रही है । आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश में एक प्रकार की बड़ी अफसरशाही है और उनको पसन्द नहीं आता है कि जन प्रतिनिधियों का आधिपत्य जन साधारण में हो । उनको बड़ी विरक्ति और उपेक्षा रहती है । हमारे यहां कानपुर जिला परिषद् ने नियोजन अधिकारी और जिला इंस्पेक्टर में शिक्षा के मामले में बहस और संघर्ष का रूप धारण कर लिया है । इसलिये मैं चाहता हूं कि यहां पर मंत्री जी इसकी सफाई करें कि जिला नियोजन अधिकारी और जिला इंसपेक्टर के दायित्व और अधिकार क्या-क्या हैं ?

गांव सभाओं की सम्पत्ति का सदुपयोग नहीं हो रहा है। यह सभी जनाते हैं कि गांवों में दलबन्दी है, खींचातानी है । कुछ लोग सत्ता के जोर से, संगठन के जोर से और बुरे लोगों को अपने साथ लेकर डंडे के जोर से बड़ी भारी जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं । जब गांव सभा के सभापति की ओर से मामला अदालत में दायर किया जाता है तो सरकारी अधिकारियों से जो सहयोग की उम्मीद की जाती है वह नहीं मिल पाता है । गांव सभा का सभापति कहता है कि सरकारी वकील भी चाहता है कि गांव सभा के मुकदमों में उसको अलग से मेहनताना मिले। इसके अलावा जो तहसीलदार और दूसरे हाकिम हैं वे भी चाहते हैं कि उनको चढ़ावा और पूजा दी जाय । मैं चाहता हूं कि इसकी देखरेख होनी चाहिये । जब जमीन गांव सभा को मुकदमें में मिल जाती है तो उस पर कब्जा नहीं मिल पाता है और दरअसल में जो सच्चे अधिकारी हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, जो तंग और दुखी हैं और पिछड़े लोग हैं, उनको जमीन नहीं मिलती है । जमीनें उनको एलाट की जाती हैं जिनके पास सारे साधन हैं । कानपुर जिले के नगोसियां गांव का एक हरिजन अनशन कर रहा है । उसकी मांग है कि जिस गांव का वह निवासी है वहां लगभग ६, ७ सौ बीघा जमीन पड़ी है । उसको सभापति ने हरिजनों से द्वेष मानने के कारण नहीं अलाट किया और दूसरे लोगों को अलाट किया । कानूनी तरीके से वह सारे अलाटमेंट खारिज हो गये हैं । उसने वहां अपनी सहकारी समिति बना रखी है । उसको जमीन नहीं मिलती है । मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा, गो कि मैं अनशन का समर्थन नहीं करता, फिर भी एक आदमी अनशन कर रहा है, सरकार को उसकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए । हम लोगों ने भी उससे बातें की हैं । वह अनशन तोड़ा जाना चाहिये ।

इसके साथ ही आपने व्यवस्था की है कि पंचायत मंत्रियों को भी ए० डी० ओ० के पद पर तरक्की दी जाय । लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है । उनकी तनख्वाहें अत्यल्प हैं । आपने व्यवस्था की थी कि उनको उनके निवास स्थानों के करीब ही रखा जायेगा लेकिन यह व्यवस्था नहीं हो पाई है । आपने जिला परिषद् ब्लाक समितियों को यह अधिकार दिये हैं । उसके माध्यम से सम्भवतः यह बात हो सकेगी । फिर भी उनका वेतन बहुत

कम है । साथ ही अफसरों का रवइया इस तरह से बिगड़ता जा रहा है कि जानबूझ कर जन साधारण के हित के कामों में पूरा योग नहीं देते हैं । गांव सभाओं की जो बड़ी भारी सम्पत्ति पड़ी हुई है दूसरे लोगों ने उस पर अधिकार कर लिया है । उसके लिए भी कोई सर्वे करवाएं कि कौन-सी ऐसी सम्पत्तियां हैं जिन पर दूसरे लोगों ने अनधिकार कब्जा कर लिया है और उनके क्या कारण हैं । इसके साथ ही अभी हमारे कानपुर जिले के एक गांव में सभापति ने एक गरीब किसान जिसने अपनी जगह पर सरसई के पेड़ लगा रखे थे उनको जबरदस्ती कटवा लिया, जिनकी कीमत लगभग दो तीन हजार रुपये के करीब है । वह किसान उनको अपनी लड़की की शादी के लिए बेचना चाहता था । परगनाधीश ने उसकी जांच की । मौके पर जाकर आदेश दिया कि यह लकड़ी उसको दे दी जाय जो असली मालिक है ठाकुर मुकुट सिंह, लेकिन वह लकड़ी अभी तक नहीं दी गयी । इस तरह की चीजों के लिए भी खबरदारी करें ।

एक सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि जो अलाटमेंट का अधिकार गांव सभा के सभापतियों को है, अक्सर देखा जाता है कि व्यवहार में गांव का सभापति और लेखपाल जिसको चाहते हैं अलाट कर देते हैं । गांव सभा के लोगों के कभी-कभी दस्तखत करवा लिये जाते हैं । इस संबंध में जिला स्तर पर कोई कमेटी का निर्माण करें जो यह फैसला करें कि गांव सभापतियों ने जिन को जमीनें दी हैं, वह उनके सच्चे अधिकारी हैं या नहीं । तभी उससे कुछ जनसाधारण का लाभ हो सकेगा । इसके साथ-साथ हमारे ब्लाकों की अनियमितताओं के बारे में, उनके कामों की खराबियों के बारे में इस सदन में बहुत-सी बातें कही गईं । मैं यह चाहता हूं कि मन्त्री महोदय, जो अपने विभागों से संबंधित हैं वह कभी-कभी सरप्राइज्ड विजिट किया करें । वह ब्लाक में जाकर उनके कामों का मुआयना किया करें । आपके यहां जो जन प्रतिनिधि हैं उनको भी यह अधिकार दिया जाना चाहिये कि वह भी ब्लाकों को देख सकें और उनका मुआयना कर सकें । इससे जनसाधारण की मर्यादा बढ़ेगी और जनप्रतिनिधियों का भी आदर बढ़ेगा और काम भी सुचारु रूप से चलेगा । इसके साथ ही आज जैसा कि हमारे एक डिप्टी मिनिस्टर ने इस बीच में सरप्राइज्ड विजिट की है, हमारे पुलिस उपमंत्री श्री शिव प्रसाद गुप्त ने कई स्थानों पर जाकर देखा है और कई लोगों पर कार्यवाही की है । इससे प्रदेश के सारे जिलों में एक प्रकार की बहुत बड़ी इस बात की सम्भावना पदा हो गई और डर पदा हो गया है कि न जाने मन्त्री महोदय या कोई अधिकारी आकर कब उनके स्थान को देख लें । अगर संबंधित मन्त्री भी इस प्रकार से करने लगें और कभी-कभी उनके स्थानों का अचानक दौरा करें तो काम बहुत स्थानों पर ढंग से होने लगेगा और सरकार के ऊपर जनसाधारण का विश्वास बढ़ेगा और जनप्रतिनिधियों के सम्मान की भावना लोगों के मन में पैदा होगी । इसलिये मैं यह चाहता हूं कि डिप्टी मिनिस्टर पुलिस ने जो यह कदम उठाया है इसका दूसरे मन्त्रिगण भी अनुसरण करें । इस समय जो अनुदान सदन के सामने पेश किया गया है उस पर बहुत अधिक बहस मुबाहसे की जरूरत नहीं है । वह व्यवस्था बहुत सुन्दर है और बड़ी अच्छी चीज है । जैसा मैंने शुरू में कहा था कि जिन लोगों के मन में शासन के प्रति द्वेष है और जो यह चाहते हैं कि कुछ न कुछ ऐसी बातें कही जायं जो जनसाधारण में उसका आदर कम करे, तो वह इस तरह की बातें यहां पर कहते हैं और सरकार की उन असुन्दर बातों का यहां पर निदर्शन करते हैं, किन्तु जो अच्छी बातें हैं, जो सुन्दर बातें हैं, और जनसाधारण के लाभ की हैं उन बातों को यहां पर व्यक्त नहीं करते हैं । ऐसा लगता है कि जानबूझ कर और समझकर उन बातों को यहां पर कहना नहीं चाहते हैं और बड़े-बड़े सिद्धान्तों के आधार की बातें यहां पर करते हैं । उन्होंने ऐसा जामा पहन रखा है जिनसे ऐसा लगता है कि जैसा एक कवि ने कहा था कि "सतां वेशधरं पापम् प्रच्छन्नमेव पावकम् ।" वेश तो बहुत अच्छा बनाये हैं, लेकिन बातें दूसरी तरह की करते हैं । पहनावा तो बहुत सुन्दर बनाया हुआ है, लेकिन अन्दर से दूसरी ही बात मालूम पड़ती है । इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

*श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय राधेश्याम जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में सरकार को यह बतलाना चाहता हूं कि गांव पंचायतें जनतंत्र की इकाई हैं, इसलिये मेरा यह निश्चित मत है कि इस देश का विकास तभी सम्भव हो सकता है जब हमारे देश की बुनियादी इकाई मजबूत हो और गांव के रहने वालों की हालत अच्छी हो। श्रीमन्, शुरू शुरू में जब गांव पंचायतें स्थापित हुईं तो लोगों के अन्दर एक प्रसन्नता की लहर दौड़ी और उन लोगों को यह विश्वास हुआ कि गांव पंचायतों की स्थापना के द्वारा सरकार ने हम लोगों की हालत सुधारने के लिये कोई ठोस कदम उठाया है। गांव पंचायतों की स्थापना इस उद्देश्य से की गई कि हर एक गांव में एक छोटी सरकार बनेगी और उसके अन्दर गांव के हर एक वर्ग का विकास होगा और उनकी कठिनाई दूर होगी, लेकिन मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य से गांव पंचायतों की स्थापना की गई थी क्या वह उद्देश्य इतने समय के अन्दर पूरा हुआ? मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जिस उद्देश्य को लेकर इनको स्थापित किया गया, वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। आज १६ साल के समाजवादी शासन के बावजूद जबकि हमारे देश में दो पंचसाला योजनायें समाप्त हो गयीं और तीसरी पंचवर्षीय योजना करीब-करीब आधी समाप्त हो गई, फिर भी हमारे देश में इन गांव पंचायतों के अन्दर अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनका आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक शोषण होता है। आज भी गांव में ऐसे लोग हैं जिन के पास कमाने खाने का कोई साधन नहीं है। गांव पंचायतों की स्थापना करने से न देश का विकास हो सकता है और न देश के लोगों की गरीबी दूर हो सकती है। इसके लिये सरकार को गांव सभाओं में नियोजित ढंग से एक निश्चित कार्यक्रम बनाना होगा गांव सभाओं की स्थानीय समस्याओं को देख कर, उनकी कठिनाइयों का मूल्यांकन करके और अगर प्रत्येक गांव सभा में संभव न हो तो कई गांव सभाओं को मिला कर छोटे-छोटे उद्योग धंधे सरकार को कायम करने चाहिये और जिनके पास कमाने खाने का साधन न हो, उनको काम देना चाहिये। इस तरह से उसे वहां की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिये। इस सरकार ने आज तक इस प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया।

सरकार की ओर से श्री गोविन्द सहाय जी की अध्यक्षता में एक मूल्यांकन समिति बनायी गयी थी और उसने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि गांव सभा की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिये जो लगान आता है, उसका २५ प्रतिशत गांव सभाओं को मिलना चाहिये, लेकिन उस पर आज तक सरकार ने कोई अमल नहीं किया। तो इस सरकार ने गांव सभाओं की स्थापना तो कर दी, लेकिन उनकी अवहेलना की जाती है। विकास के बारे में जो लोगों में रुचि कम होती जा रही है उसका कारण यही है कि गांव सभाओं में उनकी जो आवश्यकतायें हैं उनकी पूर्ति के लिये उनकी जो योजनायें हैं उनकी पूर्ति के लिये सरकार की ओर से उचित अनुदान नहीं दिया जाता। पहले तो अनुदान गांव सभा को नहीं दिया जाता था और वह समझते नहीं थे कि सरकार की ओर से हम को कोई अनुदान मिलना चाहिये, लेकिन आज जब उनको अनुदान देने का प्रबन्ध किया गया है तो उसमें सबसे बड़ी खामी यह है कि वह गांव सभाओं की आवश्यकताओं को देखते हुये बहुत ही कम है। इससे गांव का कोई निर्माण का काम नहीं हो पाता। अगर वे कोई योजना बना भी लेते हैं खड़ंजा लगाने, पुल बनाने आदि की तो वह पूरी नहीं हो पाती धनाभाव के कारण। दूसरे जो यह अनुदान बी० डी० ओ० द्वारा गांव सभाओं को दिया जाता है, यह भी पद्धति ठीक नहीं है। बी० डी० ओ० का काम तो आज केवल मंत्रियों को थैली भेंट करने का रह गया है। अभी सुचेता जी ने कहा था कि मैं आजमगढ़ गयी थी, वहां १८ लाख या कितने की थैली मुझे भेंट की गयी। ये बी० डी० ओ० लोग गांव सभा की पास बुक में वह अनुदान का पैसा डाल तो देते हैं, लेकिन उसे सुरक्षा कोष के या किसी दूसरे नाम से लेकर थैली भेंट करने में लगा देते हैं और वह गांव सभा के काम में नहीं आने पाता। यही कारण है कि दो साल से गांव सभा का सारा काम ठप पड़ा है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और इसीलिये उनको विश्वास नहीं हो पाता कि उनको अपने उत्थान के लिये सरकार से कोई मदद मिलेगी। गांव सभायें जनतंत्र की बुनियादी इकायी हैं और सरकार का यह रवैया हो गया है कि अगर गांव में कोई घटना हो जाती है तो उसकी प्रधान से कोई सूचना नहीं ली जाती। क्राइम के संबंध में पुलिस से रिपोर्ट मांगी जाती है और दैवी आपत्ति आदि के लिये लेखपाल रिपोर्ट देता है और नतीजा यह होता है कि लेखपाल सही रिपोर्ट नहीं देता। गांव के लोगों में इस कारण बड़ा असंतोष रहता है। मैं मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि गांव में हुई किसी घटना के संबंध में गांव सभा के प्रधान की रिपोर्ट ली जाय और अन्य अहलकारों के साथ उस रिपोर्ट का समर्थन करके उस पर विचार होना चाहिये। यह जो लेखपालों की रिपोर्ट गांवों में सूखा पाला ओला आदि से क्षति के संबंध में होती है जिसके ऊपर सरकार किसानों को लगान इत्यादि में छूट देती है उसकी सूचना सीधे-सीधे तहसील में जाती है। मैं यह बताना चाहता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सूचना सीधे गांव पंचायतों के प्रधानों के पास जानी चाहिये ताकि हर एक किसान को मालूम हो जाय कि सरकार ने क्या छूट उसको दी है। उनको न मालूम होने से वह समझ नहीं पाते हैं कि लगान में हमको कोई छूट हुई या नहीं और जब बाद में अमीन जाते हैं तो वह धांधली करके जबरदस्ती वसूली करते हैं। अभी हाल की एक घटना आजमगढ़ जिले के एक गांव की है। वहां एक अमीन आया और उसने जबरदस्ती रुपया वसूल किया। जब उसको रसीद दिखाई गई पहले की तो वह रसीद उसने नहीं मानी, उसे फाड़कर फेंक दिया। हमने इसकी इत्तिला दी लिखकर, शिकायत की, लेकिन अभी चिट्ठी आयी है कि कोई जांच इत्यादि नहीं हुई और सब रवैया वही है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज पंचायत के काम के लिये पंचायत सेक्रेटरी रहता है। आज पंचायत सेक्रेटरी और ग्राम सेवक के काम में कोई फर्क नहीं रह गया है। नाम उसका पंचायत सेक्रेटरी रखा गया है, लेकिन उससे काम वही लिया जाता है जो ग्राम सेवक करता है। उनकी ट्रेनिंग भी जैसा मंत्री जी ने बताया एक है, उन्होंने कहा कि उसमें समन्वय कर दिया गया है, दोनों की ट्रेनिंग को एक कर दिया गया है तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत सेक्रेटरी का पद तोड़ करके उसको ग्राम सेवक का पद बना दिया जाय। दोनों का काम सब एक ही है। केवल तनख्वाह में अन्तर है। उनका क्षेत्र आप छोटा कर दीजिये क्योंकि इस तरह एक न्याय पंचायत में अगर दो ग्राम सेवक हो जाते हैं तो उनके काम में सुविधा हो सकती है। इसलिये पंचायत सेक्रेटरी का पद तोड़कर ग्राम सेवक का कर दिया जाय, क्षेत्र अलग-अलग कर दिये जायं।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)––

आपकी बात मानूंगा।

श्री छांगुर––

दूसरी बात यह है कि गांव पंचायतों में जो रुपये पैसे का हिसाब रखा जाता है १९५६ के पहले तक तो यह कायदा था कि उसकी जांच ही नहीं होती थी। मनमाने तरीके से खर्च किया जाता था। १९५६ में पंचायतों के आडिट के लिये एक योजना चलायी। लेकिन उस आडिट की जो मंशा थी वह पूरी नहीं हो पायी। आडिट इस समय चार साल पहले का होता है जब कि हर साल का होना चाहिये जिससे कि गड़बड़ी दूर की जा सके। लेकिन वह मंशा पूरी नहीं हुई। शुरू शुरू में १६५ आडिटरों की आवश्यकता समझी गई कि १६५ आडिटर रहें तो उनसे सालाना आडिट कराया जा सकेगा, लेकिन १९५६ से आज तक १६५ आडिटरों की संख्या पूरी नहीं कर सके। उसका खास कारण यह है कि तनख्वाह इतनी कम है कि कोई इधर आता नहीं है और उनका काम इतना कठिन है। शुरू शुरू में एक चपरासी इनके साथ रखा गया था, लेकिन आज वह भी वापस ले लिया गया है। उनका काम इतना कठिन है कि गांव गांव में

[श्री छांगुर]

जाना पड़ता है, उनकी ड्यूटी को देखते हुए यह जरूरी है कि उनको एक चपरासी दिया जाय, नहीं तो एक आडिटर गांव में जायगा तो वहां पंचायत का आडिट करेगा या अपना चूल्हा जलायेगा। इस तरीके से बहुत कठिनाई पड़ती है। तो यह आवश्यक है कि उसको एक चपरासी दिया जाय।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे अधिकारी गांव पंचायतों को बिलकुल महत्व नहीं देते। प्रधानों की यह हालत है कि प्रधान अगर मजदूर तबके का आदमी है और वोट में प्रधान चुन लिया गया है तो अधिकारी उस प्रधान को बिलकुल महत्व नहीं देते। अगर कभी किसी काम के लिये गांव में जाते हैं तो उन्हीं के यहां पहुंचते हैं जो गांव का सरदार आदमी होता है। प्रधान को वह कुछ समझते ही नहीं हैं। तो जब तक इन गांव पंचायतों पर आप ध्यान नहीं देंगे, आप उनकी अवहेलना करेंगे, तब तक आपके अधिकारी भी उन पर ध्यान नहीं देंगे। आप अपने अधिकारियों को यह हिदायत दें कि प्रधान चाहे छोटे तबके का हो चाहे मजदूर क्लास का हो, कोई भी सूचना गांव के बारे में लेनी हो तो उस प्रधान को ही बुलाना चाहिये, उसी को महत्व दिया जाना चाहिये।

अन्त में. .....

श्री अध्यक्ष—

आपके भाषण में दो अन्त हो रहे हैं, एक अन्त पहले हो चुका है और एक अब हो रहा है।

श्री छांगुर—

गांव पंचायत के संबंध में यह बताया जाता है कि वहां दल-बन्दी है। उसको समाप्त करने के लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर गांव पंचायत को, जैसा कि आंध्र वगैरह में है कि जहां इलेक्शन नहीं होता है, सर्वसम्मति से कोई प्रधान चुन लिया जाता है तो उनको प्रोत्साहन देने के लिये १० हजार का स्पेशल अवार्ड पंचायत को दिया जाता है। तो हमारे यहां भी अगर सर्वसम्मति से चुनाव हो जाय तो यहां भी अवार्ड दिलाने का प्रयत्न करें, ताकि हर गांव में एक स्वस्थ परम्परा कायम हो सके और दलबन्दी और गुटबन्दी समाप्त हो सके।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त।

*श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—

अध्यक्ष महोदय, आज जो पंचायत का अनुदान हमारे सामने पेश है, आज के युग में जबकि चारों तरफ समाजवाद का नारा बुलन्द किया जा रहा है, हर पार्टी और हर तरफ से यही आवाज आ रही है कि देश का उत्थान करने के लिये समाजवाद ही एक आवश्यक वस्तु है, तो यह अनुदान बहुत महत्व रखता है, क्योंकि महात्मा गांधी ने सबसे पहले हमारे सामने राम-राज्य और ग्राम राज्य की बात रखी थी और उसका समर्थन इस अनुदान के द्वारा होने जा रहा है। मेरा अपना खयाल है कि इस अनुदान में हर पार्टी और हर व्यक्ति को पूरा सहयोग देने की आवश्यकता है। हमारे प्रदेश और भारत का निर्माण और उत्थान अगर हो सकता है तो इसी विभाग के द्वारा हो सकता है। केंद्र से लेकर प्रांतीय सरकार तक और जिला परिषद् और ब्लाक परिषद् से लेकर ग्राम सभा की जो सबसे पहली इकाई है इसका महत्व इसलिये अधिक है कि उसके द्वारा ही समाजवाद की जड़ें मजबूत होंगी। हमें अपने ग्राम के प्रत्येक भाई और किसान को इस योग्य बनाना है, जिसमें प्रदेश के शासन और प्रशासन को वह संभाल सके और अपने गांव

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का पूरा-पूरा उत्थान कर सके। यह तो हमारा एक्सपेरिमेंट का युग है। हो सकता है कि उन ग्राम प्रधानों को अधिकार देने के संबंध में कुछ खामियां या गलतियां आ जायं और जितनी सफलता हम चाहते हैं उतनी न मिल सके, लेकिन फिर भी उन असफलताओं से ही हमें सफलता प्राप्त होगी ऐसा विश्वास रखते हुये इन इकाइयों को पूरी प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलना चाहिये।

इसके साथ-साथ हमें वहां की समस्याओं की ओर भी ध्यान देना होगा। वहां की सबसे बड़ी समस्या कृषि उत्पादन की है। उसके बिना ग्रामों का, प्रदेश का, देश का उत्थान नहीं हो सकता। उसके लिये हमें साधन जुटाने की जरूरत है जो आज हमें पूरे तरीके से उपलब्ध नहीं है। गांव में जो बीज दिये जा रहे हैं वह सही मानों में खेतों में इस्तेमाल नहीं होते हैं और बाजारों में ब्लैकमारकेट से बिक जाते है। खेतों में खराब बीज इस्तेमाल होता है जिससे गल्ले का उत्पादन घट जाता है, पैदावार पर असर पड़ता है। सिंचाई के साधन भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने चाहिये। मैं विशेष रूप से बांदा जिले की बात कहता हूं। वह एक सरप्लस एरिया है। हम प्रदेश को गेहूं, चना, अलसी, धान, चावल पूरी मात्रा में सप्लाई करते हैं, लेकिन आज बुन्देलखंड की तरफ बिलकुल उपेक्षित नजर से देखा जा रहा है। मैं नहीं समझता कि यह भावना जबकि हम आज समाजवाद का नारा बुलन्द करते हैं, कहां तक उचित है। मैंने देखा कि किसी भी पार्टी के लोगों ने बुन्देलखंड की बात नहीं रखी। जिस तरह से आज पूर्वी इलाके की बात कही जाती है उसी तरह बुंदेलखंड भी उपेक्षित और पिछड़ा हुआ है। मैं तो मांग करता हूं कि जिस तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक आयोग बना और उसने जांच की कि किस तरह से उस इलाके में उत्थान किया जा सकता है, इसी तरह से बुन्देलखंड के लिये भी एक आयोग की स्थापना होनी चाहिये जो इस बात की जांच करे कि वहां पर किस प्रकार से कृषि तथा उद्योगों की उन्नति की जा सकती है और किस तरह से अन्य सुधारों को किया जा सकता है।

श्रीमन्, बुन्देलखंड के लोगों में एक आवाज उठ रही है कि उनका प्रांत अलग हो। यह भावना उनमें पैदा हो रही है कि वहां के चारों जिलों को अलग होना चाहिये। मैं आज चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आपने उन जिलों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया तो वहां पर क्रांति की भावना पैदा हो जायेगी। बुन्देलखंड उन जगहों में से है जो महारानी लक्ष्मीबाई आदि की जन्मभूमि कही जाती है, जहां कई वीरों ने जन्म लिया है जिन्होंने अंग्रेजों से मोर्चा लिया था, और चूंकि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई वहां के लोग लड़ते रहे थे, इसी कारण उस क्षेत्र की उपेक्षा रही थी। अब तो हमारी सरकार है। अगर हमारी सरकार द्वारा भी वह क्षेत्र उपेक्षा की नजर से देखा जायेगा तो यह बड़े शर्म की बात है।

श्रीमन्, श्रमदान की बात कही गयी। हमारे यहां काफी तादाद में जमीन है और काफी तादाद में श्रम उपलब्ध है, लेकिन उस श्रम को हम इस्तेमाल में नहीं ला पा रहे हैं। वहां साधन उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि वहां आप साधन उपलब्ध करायें, ताकि वहां कृषि की पैदावार बढ़ सके और वह क्षेत्र तरक्की कर सके। मैं मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूं कि हमारे यहां खपटिया एक जगह है जहां पर लोगों ने अपने श्रमदान द्वारा एक सड़क को बनाया, लेकिन चूंकि उस सड़क के लिये कोई अनुदान नहीं मिला वह सड़क बेकार पड़ी है और सारा श्रम बेकार हो रहा है। इसलिये मेरी मांग है कि सरकार ऐसी सड़कों के लिये अनुदान दे, ताकि लोगों को प्रोत्साहन मिले और किसान भाई अपने श्रम द्वारा आगे भी कुछ काम कर सकें।

मैं यह भी मांग करता हूं कि जहां पर सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं, जहां पर कोई नहर भी नहीं है, वहां पर पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिये। वहां छोटी-छोटी बंधियां बनाकर पानी की समस्या को हल किया जा सकता है, जिससे खेती की पैदावार को बढ़ाया जा सकता है।

[श्री बृजमोहनलाल गुप्त]

इसके अलावा हमारे यहां एक विशेष मांग केन नदी पर पुल बनाने की है । अभी वहां पर एक नाव का पुल है । अगर यह पुल बना दिया जाय तो यह बांदा, हमीरपुर, झांसी आदि को मिलाता है और मध्य प्रदेश को भी मिलाता है । इसके ऊपर इन जगहों को सड़क जायेगी जिससे बड़ा लाभ होगा । इस संबंध में मैं यह भी निवेदन कर दूं कि इस केन नदी पर पुल बनाने में कोई ज्यादा खर्चा नहीं आयेगा । केवल २२ लाख की यह स्कीम है, जिसमें से ५-६ लाख रुपया वहां की जिला परिषद् खर्च करने के लिये तैयार है । सरकार वहां की जिला परिषद् के सहयोग से इस पुल को बनवा सकती है ।

हमारे यहां कुछ काटेज इंडस्ट्री भी खोली जा सकती हैं, क्योंकि उसके लिये वहां साधन उपलब्ध हैं । सरकार को चाहिये कि जो साधन वहां उपलब्ध हैं उनके अनुसार वहां काटेज इंडस्ट्री खुलवाने की व्यवस्था करे ।

मैं यह भी मांग करता हूं कि जहां-जहां ब्लाकों में हेड क्वार्टर नहीं बने हैं, वहां वे बनाये जायं, जैसे जसपुरा में हेड क्वार्टर नहीं है । वहां कर्मचारियों को रहने की सुविधा नहीं है । इससे बड़ी असुविधा होती है । अभी तक वहां डाकखाने भी नहीं बने हैं । वहां पर काफी तादाद में डाक आती है, डाकखाना न होने के कारण उसके वितरण की उचित व्यवस्था नहीं है । यह सब छोटी-छोटी बातें हैं जिनकी ओर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये । इन शब्दों के साथ में इस अनुदान का हृदय से समर्थन करता हूं ।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राधेश्याम जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

गांव सभाओं और पंचायतों के अन्तर्गत १,४१,०९,७०० रुपये की मांग की गई है । इतनी बड़ी रकम आखिर क्यों मांगी गई है ? इसके कुछ लक्ष्य जरूर हैं, उन्हें सूक्ष्म रूप से मैंने ३,४ भागों में विभाजित किया है । पहला है गांवों का कायापलट कर दिया जाय । नम्बर २, पावर केवल दिल्ली की पार्लियामेंट और लखनऊ की असेम्बली तक ही सीमित न रहे बल्कि इसका विकेंद्रीयकरण हो और गांवों के किसान भी महसूस करें कि वे भी स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं । अपने भाग्य को निर्माण करने की शक्ति अब उनके हाथ में आ गई है । तीसरे, विकास का काम जोरों पर हो और गांव भी स्वर्ग मालूम होने लगें । चौथे—समाजवादी किस्म का समाज झटपट भारत में बन जाय, क्योंकि समाजवाद ही आज के युग का तकाजा है । यह चौथा लक्ष्य मंत्री जी का हो सकता है ।

श्रीमन्, इन्हीं चारों बातों को लेकर मैं संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा और वह यह है । गांव की कायापलट का मतलब है कि वहां सड़कों का जाल बिछा दिया जाय, आने-जाने के साधन सुगम हों और किसान तनिक देर में इक्के से, तांगे से, रिक्शा से या मोटर या साइकिल से अपने गांव के थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा सके या विकासखंड पर जाकर अपनी तकलीफ बता सके । मेरे जिले में अगर मंत्री जी जाकर पता लगावें तो उन्हें मालूम होगा कि वहां अब भी बाबा आदम के जमाने की ही सड़कें हैं । आज से लगभग १ महीना पूर्व सार्वजनिक निर्माण मंत्री को मैंने और उग्रसेन जी ने पत्र भी दिया था कि हमारे यहां एक ऐतिहासिक रोड राम जानकी रोड है मंडरवा से लालगंज तक, बस्ती से मुसहो होते हुये मोहली सड़क है । इस प्रकार से और बहुत सी सड़कें हैं, लेकिन उनकी हालत इतनी खराब है कि जिस समय इलेक्शन का जमाना आता है और हम लोग जाते हैं तो पता चलता है कि असली हालत क्या

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है । मैंने इस पर एक प्रश्न भी किया लेकिन लगभग १ माह हो गया और मेरे पास कोई सूचना नहीं आई कि वह स्वीकार हुआ या नहीं, तो कब आवेगा ? मुझे तो यह डर है कि वह स्टेज न आ जावे कि बजट सेशन खत्म होकर असेम्बली प्रोरोग हो जाय और सवाल लैप्स हो जावे, जैसा कि कभी कभी हो जाता है, खैर ।

श्रीमन्, समाजवाद का नारा बड़े जोर से लगाया जा रहा है । जैसा अभी हमारे एक कम्युनिस्ट भाई ने बताया, गांव समाज या गांव इकाई है जनतंत्र की । समाजवाद का मुख्य लक्ष्य जातिविहीन और वर्गविहीन समाज की स्थापना है । पवित्र संविधान के रचयिता डाक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जातिहीन और वर्गहीन समाज के बगैर स्वराज्य का कोई मतलब नहीं है । हम कैसे समझें कि यह सरकार ऐसे समाज का निर्माण करने में सफल हो जावेगी ? एक बड़ी मौलिक बात मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं । हमारे यहां हिन्दुस्तान में एक तरफ तो मनुस्मृतियां हैं, रामचरित मानस है, और दूसरी तरफ पवित्र संविधान है । मनुस्मृतियां यह बताती है कि शूद्र को, अछूत को, चांडाल को वह खाना दो जो झठन हो, वह कपड़ा पहनने के लिये दो जो मुर्दे से उतरा हुआ हो ।

श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)––

आज का युग क्या कहता है ?

श्री श्यामलाल––

दूसरी तरफ हमारा पवित्र संविधान है जो यह बताता है कि हर नागरिक यहां का बराबर है । न तो कोई छोटा, न कोई बड़ा, न तो कोई नीच और न कोई ऊंच है, लेकिन हम प्रैक्टीकल जीवन में क्या देखते हैं। माननीय मंत्री जी भले ही सोच ले कि वह जातिविहीन समाज की स्थापना करने में सफल हो रहे हैं, लेकिन मेरा यह निश्चित मत है कि जब तक समाज में ये सींग लगे हुये हैं, शर्मा वर्मा, त्रिपाठी, चतुर्वेदी, द्विवेदी, लाल, श्रीवास्तव, सक्सैना, चैटरजी, बैनरजी, मुकरजी, गुप्ता, दत्ता, कर, गंगोली इत्यादि, तब तक समाजवादी समाज की स्थापना असंभव है । जिस नाम के पीछे कोई सींग नहीं होता उसे समझा जाता है कि वह शोषित सर्वहारा वर्ग का है और सींगों द्वारा वह दुतकारा जाता है । इन सींगों को सरकार पहले समाप्त करे । यह एक नुस्खा है, और आप देखेंगे कि इससे वर्गविहीन समाज की स्थापना अलादीन का वंडरफुल लैम्प हो जायगी ।

अब मैं तीसरी बात पर आता हूं । हमारी सरकार यह कहती है कि जिला परिषदों और क्षेत्र समितियों में हमने जहां रामनारायण पांडेय और रामरतन तिवारी को रखा है, वहां उसने नामीनेशन द्वारा मुरहू और निरहू को भी रख दिया है । सरकार यह दावा करती है, लेकिन वे मुरहू और निरहू वही होते हैं जो कांग्रेस मार्का, स्वतंत्र मार्का, जनसंघ मार्का, अथवा सोशलिस्ट मार्का अज्ञानी लोग होते हैं । ज्ञानी और शोषित सर्वहारा वर्ग के लिये जो सच्चा काम करने वाले मुरहू और निरहू होते हैं, उन्हें सरकार नहीं रखती है ।

यह सरकार कहती है कि उसने पावर का विकेंद्रीयकरण कर दिया है । यह विकेंद्रीय करण आपने किया है ? वह राष्ट्र, वह देश महान् है जहां का नागरिक निडर है । लेकिन इस हुकूमत ने कैसा वातावरण बना दिया है ? इस हुकूमत ने नागरिकों को बुजदिल और डरपोक बनाया है । इनके राज्य में जो भी नागरिक बुजदिल है, खुशामद करता है, उसकी जिन्दगी कुछ हद तक खुशहाल है । जो स्वाभिमानी नौकर है वह हर तरह से कुचला जाता है । अपने जिले का जीता जागता उदाहरण आपके सामने रखता हूं लाल गंज के कन्या प्राइमरी स्कूल में सीता देवी श्रीवास्तव एक अध्यापिका है, वह स्वाभिमानी अध्यापिका है । उसके स्कूल में उपस्थित रहने पर भी यह चार्ज लगाया गया कि वह स्कूल में उपस्थित नहीं थी । प्रधान

[श्री श्यामलाल]

अध्यापिका के कहने पर उसको अध्यक्ष जिला परिषद् ने मोअत्तिल कर दिया। २–३ महीने से उसको तनख्वाह नहीं मिली।

दूसरा विकेंद्रीयकरण का उदाहरण सुनिये। कहा जाता है कि यह सरकार हरिजनों के लिये कुंये और घर बनवा रही है। घोसियारी बाजार, जिला बस्ती में एक हरिजन है उसका नाम मिश्री लाल हैं दो साल पहले उसको ५७५ रुपया मंजूर कराया था मंत्री जी के एजेंट ने घर बनवाने के लिये। उसको केवल २०० रुपया एक बार मिला। फिर उसने हरिजन वेलफेयर आफीसर को रजिस्ट्री की कि शेष रुपया मुझको दे दिया जाय, ३–४ महीने में बरसात आ जायगी, सामान मैंने इकट्ठा कर लिया है। तब हरिजन वेलफेयर आफीसर ने उसको बुलवाया और कहा कि तुम तो राजा बन गये हो कि हमें चिट्ठी भेजते हो, हम से आकर बातें क्यों नहीं करते? यानी ३०० रुपया लेकर बाकी डेढ़ सौ हमारे भाई बंदों को क्यों नहीं दे देते हो। अभी-अभी माननीया मुख्य मंत्री जी बस्ती गयी थीं। उन्होंने बी० डी० ओ०, हरिजन वेलफेयर आफीसर सबको बुलाकर ताड़ना दी कि वे अपने चरित्र से लोगों को जीतें न कि डंडे के बल पर। अब सदन ही सोचे कि हरिजन वेलफेयर आफीसर, बस्ती का यह आचरण कहां तक सुन्दर है।

अभी-अभी यह बताया गया कि जमीन भूमिहीन किसानों को नहीं दी जा रही है बल्कि जिनके पास जमीन है उनको ही दी जा रही है। यह बात बिलकुल सही है। हमारे सूबे में स्वयं जोतने वाले किसान बहुत कम हैं और जो अपने हाथ से खेती नहीं करते उनके पास अनेकों एकड़ जमीन है। गांव के प्रधान जान बूझकर गरीब भूमिहीन हरिजनों को जमीन नहीं देते हैं। हमारे यहां मुंडेरवा में एक पुराना जमींदार शंकर सहाय है उसने जवार-जवार के किसानों को परेशान कर दिया है। किसी का पेड़ कटवा लिया, किसी का बगीचा कटवा लिया और किसी की जमीन कंसोलीडेशन आफीसर से मिल कर अपने नाम लिखा ली, किसी का घर अपने नाम लिखा लिया। मैंने डी० एम० और सेटिलमेंट आफीसर को पत्र लिखे लेकिन २ माह हो गये किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। सब लोग कहते हैं कि कैथोलिया गांव में शंकर सहाय तो थानेदार बना हुआ है। ये बातें जिला बस्ती के लिये ही न मानी जायं सारी यू० पी० में लागू होती हैं। आप अपनी नीति को ओवरहाल कीजिये तभी जाकर गांवों की कायापलट हो सकती है।

*श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय पंचायत मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, इस प्रदेश में शासन के विकेंद्रीयकरण को ध्यान में रखते हुये, चाहे वह प्रदेश का शासन हो, चाहे जिला स्तर का शासन हो, चाहे ब्लाक स्तर का शासन हो, गांव सभा के स्तर से लेकर और देश के स्तर तक शासन का संचालन करने में प्रत्येक नर-नारी को वोट का अधिकार देकर बगैर किसी जाति-पांति के भेदभाव के, अपनी राय देने का अवसर दिया है। पंचायत राज के सहयोग के प्रत्येक गांव के लोगों को अपने गांव की समस्याओं पर विचार करके, हल करने का अवसर इस पंचायत राज के द्वारा दिया गया है। माननीय मंत्री महोदय ने या सरकार के किसी भी अधिकारी ने कभी यह दावा नहीं किया कि हमने पंचायत राज कायम करके गांव और प्रदेश की सारी समस्याओं को हल कर दिया है लेकिन इतना हमारा प्रयास है कि सही माने में गांव पंचायतें मजबूत बनें और अपनी समस्याओं को समझें तथा अपने साधनों और अपनी राय से अपनी सरकार से सहयोग करके

---

*वक्ता ने भाषण का नर्वीक्षण नहीं किया।

अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास करें। पिछले वर्षों में हमने बहुत कुछ काम अपनी गांव सभाओं के द्वारा अपने गांवों का किया है। आज हमारी जो भी योजना बनती है चाहे वह प्रादेशिक स्तर की हो, चाहे जिला स्तर की हो या ब्लाक स्तर की हो, प्रत्येक ग्रामवासी की राय उसमें शामिल है।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं विरोधी दल के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं यह कह कर कि गांव सभाओं में कुछ नहीं हो रहा है, पंचायतों में कुछ नहीं हो रहा है, वहां पर सारी अव्यवस्था व अनियमितताएं हैं, हम उन गांवों के लोगों के मनोबल को गिराते हैं। मैं यह मानता हूं कि इतना हमें देखना चाहिये कि जितना प्रयास हमें करना चाहिये उतना प्रयास हम कर सके हैं या नहीं, और उससे उत्पादन बढ़ा है या नहीं। यह बात तो सही है लेकिन जब हम प्रति दिन उनकी केवल आलोचना ही करते रहें और फिर जब वे इस आलोचना को पढ़ते होंगे और जब उनको खबर पहुंचती होगी तो उनको बड़ी निराशा होती होगी कि हमलोग गांवों में तो अपने उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य सिवा इसके कि सदन में जाकर झगड़ा करें और हमारी आलोचना करें, और कुछ नहीं कर रहे हैं। जब आपने हर पंचायत में उनको अधिकार दे रखा है तो उनको निराशा होती है और उनका मनोबल गिरता है। इससे न तो पंचायत राज की स्थापना ही हो सकती है और न इससे प्रदेश का उत्पादन बढ़ाने में ही कोई योग मिलता है। मैं निवेदन करूं कि आज गांव सभाओं के चुनाव होते हैं। पिछली बार वोट के द्वारा आपने चुनाव कराया और उसमें अनियमितता हुई लेकिन उसके बाद सरकार ने बैलट द्वारा चुनाव कराया और गांव के काफी लोगों को उसमें आने का अवसर मिला। जहां तक वोटर लिस्ट की बात है, शाम को तो २०० और सबेरे ३०० हो जाते हैं। इसलिये इस प्रथा को समाप्त करने के लिये निवेदन है कि जो विधान सभा की वोटर लिस्ट है उसी वोटर लिस्ट के आधार पर गांव सभाओं के चुनाव भी कराने की व्यवस्था करें।

दूसरी बात यह है कि सारे प्रदेश में ४३० विधायक हैं और जिला परिषदों में ५०, ६०, ७० और ७५ सदस्य होते हैं, लेकिन गांव सभाओं में १५,२० या २५ की संख्या बढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा। कोशिश यह होनी चाहिये कि गांव सभाओं में अच्छे और समझदार लोग आवें ताकि नियमित ढंग से उनकी बैठक हुआ करे। अब तक ऐसा होता है कि अक्सर कोरम ही नहीं होता। इसलिये आवश्यक है कि उसमें अच्छे लोग आवें और अपनी समस्याओं को हल करने की कोशिश करें। सबसे पहले मेरी प्रार्थना है कि विधान सभा की वोटर लिस्ट पर ही अगला चुनाव कराया जाय।

दूसरे, हमारे यहां ३ गांव सभाओं में चुनाव हुआ लेकिन पिछले प्रधानों से बहुत-सा सामान गांव सभाओं का अभी तक नहीं मिल सका और उन्होंने नहीं दिया है। जब चुनाव हो चुके तो मेरा सुझाव है कि एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर दी जाय, उस तारीख तक पूरा चार्ज उनको दे देना चाहिये और अगर कोई नहीं दे तो उस के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाय, चाहे प्रधान कोई भी हो, वह चाहे कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो।

एक निवेदन मेरा यह है जैसा कि मंत्री जी ने न्याय पंचायतों के बारे में बताया कि अब वह चुनाव के द्वारा बनेंगी, मैं इसके लिये उनको. धन्यवाद देता हूं। इस से निश्चित रूप से गांवों के झगड़े वहीं निबटेंगे। उन्होंने मुकदमेबाजी को कम करने में बहुत योग दिया है। अगर उन से कुछ गलतियां या गलत फैसले हो भी जाते हैं तो यह कौन दावा कर सकता है कि उनके काम में गलती हो ही नहीं सकती ? जिला स्तर की अदालतों के तमाम फैसले ऊपर की अदालतों और हाई कोर्ट में रोज उल्टा करते हैं। फिर भी जो फैसले न्याय पंचायतों में होते हैं उन को कम से कम खर्च में लोग आसानी से पा जाते हैं, वह दौड़-धूप से बच जाते हैं और गवाहियों से वहां के मौके के सही फैक्ट सामने आ जाते हैं। हमें उन को मजबूत करना चाहिये, उन की प्रशंसा करनी चाहिये और उन को बल देना चाहिये।

[श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी]

पंचायतें अपने व्यय को पूरा करने के लिये मामूली से कर भी लगाती हैं लेकिन उन करों की वसूली की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाऊंगा। हमारे साथी माननीय सदस्य कहते हैं कि काम नहीं हो रहा है लेकिन जब हम काम करना चाहते हैं और उन के लिये साधन जुटाना चाहते हैं, तो चाहे १ रुपया ही साल का टैक्स हो, उसके लिये बड़ा हल्ला होता है, मुनादी और ढिंढोरा पीटा जाता है। इस से काम नहीं चलेगा। हमें अपने साधनों को जुटाना होगा और एक सीमा तक टैक्स भी लगाने होंगे। साथ ही जनता को भी उन्हें देने में गुरेज नहीं होना चाहिये। आज बड़े-बड़े लोग ही ऐसे होंगे कि जिन पर काफी सालों का टैक्स बकाया होगा। उस को सख्ती के साथ वसूल करना चाहिये।

एक निवेदन मुझे यह भी करना है कि हमारे जो सब-डिप्टी इंसपेक्टर्स आफ स्कूल्स हैं जिन को आप ने हर ब्लाक से अटेच कर दिया है इस से बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे हमारे यहां मंडावरा ब्लाक है जो १०० मील की दूरी पर है और एस० डी० आई० का हेडक्वार्टर झांसी में है वह वहां १०० मील की दूरी से ६०, ७० स्कूलों का निरीक्षण कर सकें यह मुमकिन नहीं है। बहुत आवश्यक है कि हमारी प्राइमरी शिक्षा सुदृढ़ हो और उस पर काफी खर्च हो और उसकी ठीक से निगरानी और देख भाल हो। अच्छा हो कि एस० डी० आई० को हम वहीं पर भेज दें।

दूसरे, जिला परिषदें जूनियर हाई स्कूल खोलती हैं लेकिन कोई अनुदान उन को नहीं दिया जाता और तृतीय प्लान में उन के लिये कोई प्राविजन नहीं है। यह ५०–६० जो जूनियर हाई स्कूल होते हैं उन की हालत बहुत खराब होती है और वह बड़े संकट में हैं और जिला परिषदें यह समझ नहीं पा रही हैं कि उन को चलायें या बन्द कर दें। उन की सहायता की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

हमारी गांव सभाओं के द्वारा जो सड़कें या पुलिया वगैरा बनती हैं उनका कच्चा काम तो हम लोग कर लेते हैं लेकिन उन को पक्का करने के लिये निश्चित रूप से पी० डब्लू० डी० से सहायता मिलनी चाहिये। इससे जो श्रम वहां किया जाता है वह स्थायी हो सकेगा और बरसात में वह कच्चा काम कह नहीं पायेगा। चाहे हम थोड़ी ही सड़कों को लें, यह काम बहुत जरूरी है।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि झांसी जिले को मैन पावर स्कीम में पिछली बार शामिल किया गया था। लेकिन एक भी स्कीम उस झांसी जिले में नहीं मंजूर की गयी है। इसलिये उस मैन पावर स्कीम के संबंध में झांसी में जो योजनायें जिला परिषद् ने भेजी हैं उनको जरा स्वीकार करने की कृपा की जाय।

तालबहट ब्लाक में एक रपटा है। मध्य के ७०, ८० गांवों से उसका संबंध जुड़ता है और मध्य प्रदेश वहां रपटा बनाना चाहती है लेकिन उत्तर प्रदेश भी शामिल हो और तब तालबहट में एक अच्छी मंडी बन जायगी। सवा ३ लाख रुपये की वह स्कीम है। १ लाख ६० हजार रुपये मध्य प्रदेश पिछले ३, ४ साल से अपने बजट में रख रहा है लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश से १ लाख ६० हजार रुपये की स्वीकृति नहीं होती है इसलिये वह काम आज तक नहीं हो पा रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस रकम को यहां से दे कर उस समस्या को हल कर दें। हमारी गांव सभाओं ने मांग की है एक प्रस्ताव पास करके कि इस रपटे को बनवा दिया जाय ताकि ६०, ७० गांवों की मंडी तालबहट बन सके।

श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राधेश्याम जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। जिस समय ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई थी हम लोगों ने सोचा था शायद जो यह प्राथमिक इकाई है इससे लाभ हो सकेगा। लेकिन

इन १० साल की वर्किंग के अन्दर जितनी अपेक्षा की जाती थी उनसे वह नहीं हुई । ग्राम पंचायतें मोस्ट पावरफुल कोर्ट्स आफ दी वर्ल्ड हैं जिनके फैसले के बारे में अपील नहीं होती है । इस साल ऐसा हुआ कि इलेक्शन में कांग्रेस ज्यादा सीट्स हारी । पहले विधान सभा के सदस्य राय देते थे । लेकिन इस वर्ष अदालती पंचायतों के चुनाव हुए तो उसमें सरकार ने कुछ नामिनेटेड मेम्बर्स भेजे उन लोगों को चुनने के लिये और अधिकतर उन नामिनेटेड मेम्बर्स में कांग्रेस के कैन्डिडेट थे जो हार गये थे । एम० एल० सी० थे, कुछ चुने हुए लोग थे और जिला परिषद् के अध्यक्ष थे, जो कि निर्वाचित सदस्य नहीं थे बल्कि रूलिंग पार्टी के नामिनेटेड सदस्य थे । उन लोगों ने जा कर वहां की अदालती पंचायतों में प्रेशर डाला और उन्होंने कांग्रेस के लोगों को चुनवाया । इसका नतीजा क्या होगा ? अगर जस्टिस को करप्ट करना है तो सबसे आसान तरीका होता है कि उसका पोलिटिकल इंफिल्ट्रेशन कर दिया जाय और वही सरकार ने किया भी । पंचायती अदालतें मैंने दो तरह की देखी हैं । एक में तो बहुत केसेज होते हैं और दूसरी में बहुत कम होते हैं । ऐसा क्यों है ? ऐसा इसलिये है कि अधिकतर फैसले दलबन्दी के आधार पर होते हैं और भ्रष्ट तरीकों से होते हैं । उनका कोई चेक नहीं है । पावर इतनी वाइड दे रखी है कि रिवीजन फाइल हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है । कोई मुकदमा न्याय पंचायत को जाता है तो उसका जजमेंट हो जाता है और कुछ दिनों बाद तक पार्टीज को वह जजमेंट कम्युनिकेट नहीं होता । नतीजा यह होता है कि रिवीजन की डेट निकल जाती है और अगर उसपर जुर्माना हुआ है या उसको सजा हुई है तब डेट निकल जाने के कारण उसे रिवीजन करने की पावर नहीं रहती । उसके लिये जो अधिकारी नियुक्त हुये हैं चेकिंग करने के लिये कि ग्राम सभायें फंक्शन कर रही हैं या नहीं । उनके लिये मैं निश्चित तरीके से कह सकता हूं कि वह जांच नहीं करते, क्योंकि मेरे ज्ञान में ऐसी अदालतें हैं जिनमें दो-दो और तीन-तीन साल से कोई चेकिंग नहीं हुई कि उनमें क्या हो रहा है । ऐसी स्थिति में वह फैसला करने या न्याय दे सकने के स्थान पर अन्याय का ही ज्यादा साथ दे रहे हैं । मैं मिसाल के लिये अपने जिले की ही बात कहता हूं । तहसील सिधौली में रामपुर, मथुरा जहां का मैं रहने वाला हूं और ममौचा जहां अभी तक सदस्यों के निर्वाचन नहीं हुये । ६१ में एलेक्शन हुये और यह ६४ चल रहा है, ३ साल के लगभग हो गये, यह सरकार अभी तक वहां सरपंचों का निर्वाचन नहीं करा पायी । न मालूम मैंने कितने पत्र लिखे लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ ।

मान्यवर, ग्राम सभाओं की भी कुछ बड़ी विशेष स्थिति है । मैं देखता हूं कि अधिकतर ग्राम सभायें अपनी मीटिंग भी नहीं कर पाती हैं । होता क्या है ? मीटिंग की तारीख निश्चित कर दी जाती है कि इन ग्राम सभा में इस दिन मीटिंग होगी और इस ग्राम सभा की इस दिन मीटिंग होगी । उन मीटिंगों में सेक्रेटरी को जाना चाहिये । अक्सर सेक्रेटरी नहीं जाते हैं और अगर सेक्रेटरी जाते हैं तो कोरम नहीं पूरा हो पाता और कार्यवाही लिख दी जाती है और उस को इसी तरह पर लिखकर बाद में पंचों से दस्तखत करा लिये जाते हैं । इस तरह से तो मीटिंगें कम्प्लीट होती हैं ।

दूसरी बात, मान्यवर, हमारे क्षेत्र में एक विशेष समस्या जमीन की है । बाढ़ का इलाका है । जमीन जब कट कर इधर की उधर हो जाती है तो इधर की जमीन उधर की ग्राम सभा और उधर की जमीन इधर की ग्राम सभा के पास हो गयी और जब प्रधान और पटवारी मिल जाते हैं तब और भी बड़ी कठिन समस्या हो जाती है । ज्यादातर ग्राम समाज के पास क्या जमीन है, मैं निश्चित तौर पर चैलेंज करके कहता हूं कि अगर आज यह सरकार जांच कराये कि प्रधान, उसके संबंधियों और ग्राम समाज के इन्फ्लुयेंशन लोगों के पास कितनी भूमि है और कितनी भूमिहीन और हरिजनों तथा निचले वर्गों के पास हैं तो पता लगेगा कि भूमिहीनों के पास एक परसेंट भी जमीन नहीं है । सरकार कहने को तो बहुत कुछ कहती है लेकिन क्या माननीय मंत्री जी ने कोई ठोस कदम उठाया है इस बात का पता लगाने के लिये कि ग्राम समाजों की जो सम्पत्ति है उसका सही उपयोग हो रहा है या नहीं ।

[श्री शिवेन्द्रप्रताप]

केवल जमीन ही नहीं, दूसरी सम्पत्ति ग्राम समाज की कितनी है, पहले जब जमींदार थे तो वे अपनी जायदाद की देखभाल करते थे कि कितनी जमीन है, कितने पेड़ हैं, कितने ताल तलैया हैं, कितने बाग हैं, लेकिन आज 'everybody's property is nobody's property' के अनुसार किसी भी ग्राम समाजों को नहीं मालूम कि कितनी जमीन, कितने पेड़ और क्या-क्या और सम्पत्ति उनके पास है यह ग्राम समाजों को पता तक नहीं है। ७५ परसेंट से अधिक ग्राम समाजें ऐसी हैं जिनके पास सम्पत्ति रजिस्टर ही नहीं है। उनको सम्पत्ति रजिस्टर अभी तक नहीं मिला है तो वह सम्पत्ति कहां से दिखावें।

मैं कुछ और निवेदन करूंगा। पहले डेथ और बर्थ का रिकर्ड पुलिस रखती थी और अब इस कार्य को ग्राम पंचायतों को दे दिया गया है। मैं स्वयं पिछले दो सालों में अपने क्षेत्र और दूसरे क्षेत्रों में गया तो वहां के ४०-४५ ग्राम प्रधानों से मिला और बर्थ और डेथ रजिस्टर की उनके यहां क्या पोजीशन है मैंने स्वयं देखा, मान्यवर कि ९९.९९ परसेंट रिकार्रिंग ग्राम सभायें आज यह रजिस्टर नहीं मेनटेन कर रही हैं। अब आप सोचिये कि आज एक लड़का पैदा होता है और उसका बर्थ रेकर्ड नहीं होता है तो २० साल बाद भारतवर्ष का नागरिक नहीं रहेगा और उसका कोई रेकर्ड ही नहीं है। मैंने इस संबंध में जब प्रश्न किया तो उसको अतारांकित बनाकर सरकार की तरफ से यह कह दिया गया कि ग्राम सभाओं में ऐसे रजिस्टर मेनटेन किये जाते हैं। माननीय पांडेय जी से मैं विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि यह बड़ा अहम मामला है और बर्थ और डेथ रजिस्टर का ठीक से मेनटेन किया जाना अत्यावश्यक है। सरकार को चाहिये कि इस संबंध में वह कड़ा से कड़ा आदेश दें कि जिस ग्राम सभा में डेथ और बर्थ रजिस्टर नहीं मेनटेन किया जायगा उसके प्रधान और सेक्रेटरी को सस्पेंड कर दिया जायगा। इसके लिये उनको कुछ समय दे दिया जाय जिसमें वे अपने रजिस्टर को मेक-अप कर लें।

मान्यवर, मैं इसी बारे में यह और कहना चाहता हूं कि १९६२ में एक स्टेटमेंट आया था सुरक्षा श्रम बैंक का जिसके अन्दर प्रधान मंत्री और हमारे मंत्रियों ने, सब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ९६ घंटे कम्पलसरी श्रम करना चाहिये और उस संबंध में वी० एल० डब्लू०, सेक्रेटरी, इन सब ने ग्राम सभाओं में जा कर एक रेजोल्यूशन पास कराया था, लेकिन मैं अपने क्षेत्र की जानता हूं, किसी भी ग्राम सभा में अभी तक श्रमदान नहीं हुआ है और न यह आशा की जाती है कि उनमें कभी भी श्रमदान होगा। तो ऐसे रेजोल्यूशन जो कि सिर्फ बी० डी० ओ०, वी० एल० डब्लू०, सेक्रेटरी आदि के इंस्टीगेशन पर पास कराये जाते हैं उनसे क्या फायदा। उसी के मातहत तमाम कमेटी बना रखी हैं जिनसे यह उम्मीद की जाती है कि वे १५ दिन में मिलेंगी। लेकिन मैं जानता हूं कि दो-दो साल में भी वे नहीं मिलीं। एक यहां से गवर्नमेंट आर्डर जाता है और वह भी अंग्रेजी में ग्राम सभाओं के पास जाता है, हिन्दी में नहीं, मैंने उसे देखा तो मेरा दिमाग खराब हो गया कि ग्राम सभा में कौन कहे उस एरिया भर में उसे कोई नहीं समझेगा और उसी से कमेटी बनती हैं लेकिन उनका कोई लाभ नहीं होता। तो कागज का काम वहां भी इतना बढ़ता चला जा रहा है कि कोई हिसाब नहीं।

मैं तो मंत्री जी से कहूंगा, वे तो स्वयं अपने ही क्षेत्र में जाते हैं, जरा दूसरे क्षेत्रों में भी जा कर इसको चेक करें कि बर्थ और डेथ रजिस्टर की क्या हालत है, प्रधान की क्या रेपुटेशन है, कमेटीज कैसे फंक्शन कर रही हैं या महज पार्टी बाजी ही हो रही है।

श्री अध्यक्ष---

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)---

अध्यक्ष महोदय, मेरी धारणा है कि गांव सभा और पंचायतें हमारे इस सदन की बुनियादी शिला हैं और ताज्जुब नहीं कि एक समय ऐसा आये कि गांव सभा से यहां तक पूरा संबंध रहे और यह सदन गांव सभा और पंचायतों का प्रतिबिम्ब हो। हमको यह विदित

है कि हमारे भारतवर्ष में गांव सभायें और पंचायतें पहले जमाने में रिपब्लिक (प्रजातंत्र) कही जाती थीं। बुद्धिस्ट लिट्रेचर में इनका नाम है गणतंत्र। लेकिन ब्रटिश राज्य में इन की शक्ति का अपहरण हो गया था। फिर इनको पुनर्जीवित किसने किया ? इस कांग्रेस सरकार ने जिसे हम इन सीजन और आउट आफ सीजन कोसते रहते हैं। तो अब हमें देखना यह है कि जिस कांग्रेस सरकार ने इन गांव सभाओं को पुनर्जीवित किया है और नयी शक्तियां उनको प्रदान की हैं क्या वह सरकार इस बात की हकदार नहीं है कि हम ऐसे मौकों पर उनको धन्यवाद दें ? मैं सब से पहले अपनी मुख्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं और उनकी तारीफ करना चाहता हूं कि तीन चार महीने के अन्दर उन्होंने राज्य के कार्य को बड़ी कुशलतापूर्वक सम्हाल लिया और सुचारुरूप से वह कार्य कर रही हैं। हमें सरकार और मुख्य मंत्री को इस बात के लिये भी धन्यवाद देना चाहिये कि उनके मिनिस्टर अच्छी तरह से मिलजुल कर कैबिनेट में काम कर रहे हैं। अक्सर इस बात की शिकायत होती थी कि हमारी गवर्नमेंट में यूनिटी नहीं है। मैं अपने वित्त मंत्री को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने फिर अपने कन्धों पर यह कार्य सम्हाला है। एक दफा उनका यह इरादा हो गया था कि मैं अलग हो जाऊं। यह सब इस बात का द्योतक है कि हम जो जनता के प्रतिनिधि हैं वह अपने दायित्व को समझने लगे हैं और व्यक्तिगत प्रभुत्व और शक्ति की परवाह नहीं करते हैं। हम यह समझने लगे हैं कि सारे राज्य का भार हमारे कंधों पर है। गांव सभायें हमारी प्रजा की प्रतिबिम्ब हैं और उसी तरह से हम लोग भी प्रजा के प्रतिबिम्ब हैं और जैसा कि सरकार का सूचना विभाग है, हम भी सब सरकार के सूचना विभाग हैं। हम जो सरकार की प्रशंसा करते हैं या उस की त्रुटियां बतलाते हैं तो वह प्रजा के प्रतिनिधियों की हैसियत से बताते हैं। अभी पूर्व वक्ता ने गांव सभाओं की बहुत-सी कमियों को बताया, मुझे आशा है कि सरकार उनको ठीक करने की कोशिश करेगी।

सरकार ने गांव सभाओं को बहुत शक्ति दी है। लेकिन हमें देखना चाहिये कि उन नवीन शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है या सदुपयोग हो रहा है। पहाड़ों में पंचायत फारेस्ट बने हुये हैं और गांव सभाओं को उनके पेड़ों के कटाने और बेचने का अधिकार है। हम देखते हैं कि बहुत सी पंचायतें ऐसे पेड़ कटवा देती हैं जो उनको नहीं कटवाने चाहिये और उन पेड़ों को वे सस्ते दामों पर अपने मित्रों को दे देते हैं। इस से गांव सभाओं को पैसा कम मिलता है। मेरा सुझाव यह है कि पेड़ फारेस्ट डिपार्टमेन्ट की सिफारिश से कटने चाहिये वरना अंधाधुंध पेड़ कट जायेंगे और जंगल नष्ट हो जायेंगे। हमारे यहां दो तरह के फारेस्ट हैं। एक रिजर्व फारेस्ट और दूसरे पंचायत फारेस्ट। पंचायतों की गैर आबाद भूमि का सदुपयोग नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूं कि गांव सभा की सारी गैर आबाद भूमि को फारेस्ट डिपार्टमेन्ट के अधीन कर दिया जाय और पेड़ों के काटने और लगाने का काम जंगलात के जिम्मे होना चाहिये। लेकिन जो उससे आय हो वह पंचायतों को दी जानी चाहिये। इसमें पंचायतें उज्र नहीं कर सकती हैं। उस गैर आबाद भूमि पर पेड़ ऐसे लगाये जायं जिनसे फाडर (चारा) ज्यादा हो और लकड़ी जलाने और मकान बनाने के लिये ज्यादा मिले। जंगलात विभाग के संरक्षण में जंगलों की वृद्धि होगी और जनता को अधिक ईंधन और लकड़ी मिलेगी।

एक बात की ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि टेहरी-गढ़वाल में सरकार ऐसा डैम बनाने जा रही है जिसके द्वारा सैकड़ों गांवों की भूमि में सरोवर बन जायगा और बहुत से गांव डूब जायेंगे। वहां ६०० वर्ग मील में तालाब बनाया जा रहा है। सरकार का विचार है कि भिलंगना और भागीरथी नदी पर डैम बनाया जाय उसमें कई गांव नष्ट हो जायेंगे और सुना है कि उस पर २०० करोड़ रुपया खर्च होने वाला है और २० लाख रुपया सर्वे और प्लानिंग में खर्च होगा। इसी तरह वर्तमान सूचना के अनुसार कालागढ़ में राम गंगा पर डैम बनने पर गढ़वाल के कुछ गांव और १५ वर्ग मील भूमि दूसरे जिले में शामिल कर दी जायगी। मुझे मालूम है कि गढ़वाल में मरोड़ा डैम बनाने की योजना हुई थी। उसमें करीब २३ लाख

[श्री मुकन्दीलाल वैरिस्टर]

रुपया खर्च किया गया, वह डैम नहीं बना। कहीं वही हाल टेहरी डैम का भी न हो। कुछ गांव सभायें जो कि कालागढ़ क्षेत्र में हैं, वह गढ़वाल जिला में हैं, रामगंगा डैम बनाने के प्रयास में गढ़वाल के कुछ गांव और सारा रामगंगा डैम भी दूसरे जिले में शामिल न कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

आपका एक मिनट रह गया है।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर--

अध्यक्ष महोदय, मैं भीख कभी नहीं मागूंगा। मैं फौरन बैठ जाऊंगा चाहे मेरा भाषण समाप्त हो या न हो।

चूंकि मुझे बजट पर बोलने का समय मिला है, मैं यहां पर कहता हूं जिस गवर्नमेन्ट को विरोधी दल कोसते आ रहे हैं, मैं बतला देता हूं कि वह सरकार हमारे लिये इस वर्ष क्या करने जा रही है। मेरठ में मेडिकल कालेज बन रहा है, नैनीताल जिले में सैनिक स्कूल बनने वाला है जिसका कभी कयास भी नहीं था। मैं आशा करता हूं कि तीसरा सैनिक स्कूल गढ़वाल में होगा। अगर नहीं होगा तो गढ़वाल में बड़ा असंतोष फैलेगा। सरकार ने ५१ इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनाने का संकल्प किया। यद्यपि श्रीनगर में कई साल से इंडस्ट्रियल एस्टेट बनी है, वहां कोई कार्यवाही नहीं हुई। सरकार ४०० मील नयी सड़कें बनाने जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष--

अब आपका समय समाप्त।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, कल पांडेय जी ने जब ग्राम सभाओं का अनुदान रखा तो ग्राम सभाओं से लेकर जिला परिषद् तक पूरी मंजिले बड़ी खूबसूरती से तय कीं। मगर कुछ ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई हलवाई अपनी ज्यादा बिक्री करने के लिये थालों के ऊपर चांदी के वरक लगा देता है। मैं इसलिये यह बात कहता हूं कि पिछले साल जब पांडेय जी ने ही यह अनुदान पेश किया था १ करोड़ ३५ लाख का तो कम से कम एक चीज जरूर ग्राम सभाओं के हक में दी गयी थी और वह यह है कि ग्राम समाज को मर्ज करके ग्राम सभा की एक सबकमेटी बना दिया था। लेकिन अब की दफा १ करोड़ ४१ लाख के अनुदान में एक भी नयी चीज जो गांव सभा को दी गयी हो पांडेय जी ने नहीं रखी। पिछले साल मैंने इस अनुदान के ऊपर कट मोशन मूव किया था, उस तारीख १५ मार्च, १९६३ की प्रोसीडिंग्ज पांडेय जी देख लें। उसके बाद चीफ मिनिस्टर जो उस वक्त इस विभाग की मिनिस्टर थीं उन्होंने अपने जवाब में यह बात कही थीं, मैं दो-चार लाइनें सुना देना चाहता हूं। उन्होंने यह कहा था कि आज वाद-विवाद के समय सदन में काफी रचनात्मक वातावरण रहा है। उन्होंने यह कहा कि "जो भी समालोचना हुई वह काफी क्रियात्मक रही है। बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने व्यक्तिगत अनुभव का जिक्र किया, जैसा कि हमारे माननीय रियासत हुसैन जी ने" उसके अलावा उन्होंने यह भी कहा--"मगर इस व्यवस्था में सुधार लाया जायगा ताकि गांव सभापति गांव सभा की सम्पत्ति सुरक्षित रखने में सफल हो सकें।" जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने पिछले साल के हमारे सुझावों के ऊपर यह कहा था और यह आशा दिलाई थी कि ये सुझाव अच्छे हैं और इसमें हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे। लेकिन अफसोस है कि साल भर हो जाने के बाद एक भी सुझाव जो पिछले साल दिया गया था वह इस रूप में नहीं परिणत किया जा सका कि जिसे कल पांडेय जी हाउस के सामने अनुदान पेश करते वक्त रख सकते।

दूसरा अफसोस मुझे यह है कि आज जबकि गांव सभाओं का अनुदान पेश है तो शनिवार का दिन उसके लिये आकर पड़ गया जिससे बहुत से माननीय सदस्य चले गये अपनी छुट्टी मनाने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लिये। आज ८३ फीसदी जनता का मामला यहां पेश है। उनके लिये सुझाव देना, उनकी बातें समझना, उसमें दिलचस्पी लेना, यह सब बातें ऐसी हैं कि जिसमें माननीय सदस्य चाहे वह इस तरफ के बैठने वाले हों चाहे उस तरफ के हों, उन्होंने उसमें वह दिलचस्पी नहीं दिखायी जो कि पिछले साल दिखाई गई थी। इसका भी मुझे अफसोस है।

तीसरी बात मैं यह भी बता दूं कि अगर माननीय सदस्य यह समझते हों कि असेम्बली के अन्दर जीत कर आ जाने से ही डेमोक्रेसी की रक्षा हो जायगी तो यह वह गलत समझते हैं। डेमोक्रेसी की रक्षा वह ग्राम सभायें करेंगी जो कि ७२ हजार की तादाद में देहातों के अन्दर फैली हुई हैं, वह प्रधान करेंगे जिनका कि जनता से सीधे सम्पर्क है जो गांवों में रहते हैं। हम में और आपमें से कितने आदमी ऐसे हैं कि जो एलेक्ट हो जाने के बाद जनता से सम्पर्क स्थापित करने के लिये वक्त दे सकें, उनके बीच में बैठकर उनसे बात कर सकें। हम अपने को इतने से ही मुतमईन कर लेते हैं कि अगर गांव में किसी आदमी को जरूरत होगी तो वह हमारे पास आ जायगा और कह देगा और हम अपनी ताकत के मुताबिक उस काम को करेंगे। आज जबकि अपने देश के ऊपर चीन का खतरा है और पाकिस्तान की हालत जैसी कि नन्दा जी ने कल बतायी है दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, खतरा बढ़ता जा रहा है। तो आज डेमोक्रेसी की रक्षा करना हमारी तरफ के बैठने वाले और आपकी तरफ के बैठने वाले दोनों का फर्ज हो जाता है। आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि आपके हाथ में शक्ति है। हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम उसकी रक्षा तभी कर सकते हैं कि जब अपनी ८३ फीसदी जनता जोकि देहातों में रहती है और जो गांवों के प्रधान हैं उनके अन्दर कोई ऐसी भावना शासन के या डेमोक्रेसी के खिलाफ पैदा न होने पाये। कोई ऐसे जजबात उनके अन्दर पैदा न हो जायं, यह देखना और उनकी रक्षा करना यह हमारी आपकी जिम्मेदारी है। उनके अन्दर इत्मीनान और भरोसा पैदा करने के लिये हमें यह देखना होगा कि वहां उन लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है, उन लोगों की सामाजिक स्थिति कैसी है। हम गांवों के अन्दर गांव सभाओं की हालत देखें। अभी दो-तीन दिन पहले का अखबार माननीय पांडेय जी ने पढ़ा होगा, उनको ज्ञात होगा कि बनारस जिले के अन्दर एक गांव सभा ऐसी है जिसकी सालाना आमदनी कुल २९ रुपये हैं जिसमें से २५ रुपया सेक्रेटरी के भत्ते में चला गया और ५ रुपया स्टेशनरी में खर्च हो गया। तो कोई भी ग्राम सभा २९ रुपये सालाना की आमदनी से क्या तरक्की करेगी? क्या वहां पर काम होगा?

दूसरी तरफ जहां सामाजिक एकता की बात है उसमें आप देखें हरिजनों के लिये क्या अभी तक आप कर पाये हैं? ४९ से लेकर ६४ तक १५ साल गांव सभाओं को कायम हुये और पंचायत राज ऐक्ट को लागू हुये हो गया, लेकिन क्या पांडेय जी या कोई भी माननीय सदस्य दावे से आज कह सकते हैं कि कोई गांव ऐसा है कि जहां हरिजन और दूसरी जातियों में बराबरी का दर्जा पैदा हो गया हो? मैं समझता हूं कि यह आप अभी तक नहीं कर पाये हैं। इसके लिये मेरी गुजारिश है कि पांडेय जी क्रम से तमाम उत्तर प्रदेश में जितनी ७२ हजार ग्राम सभायें हैं उनका एक नक्शा तैयार करा लें कि प्रदेश में कितने गांव ऐसे हैं कि जहां हरिजन, जाटव, अछूत, मुसलमान यह सब एक कुयें से पानी लेते हैं। यह जांच करायेंगे तो पता चलेगा कि बहुत सी गांव सभायें ऐसी हैं जहां कि हरिजन एक-एक मील और दो-दो, तीन तीन फर्लांग से पोखरे से और नदियों से पानी लाया करते हैं। अगर वे ग्राम सभायें अब तक हरिजनों के लिये पीने के पानी का प्रबंध नहीं कर सकी हैं तो फिर आगे उनसे गांव की क्या तरक्की की आशा की जा सकती है? मान्यवर, जिस वक्त जमींदारी खत्म हुई उस वक्त हरिजन क्लास के लोग, जो इस सदन के अन्दर बैठते थे, उन्होंने यह समझा कि हरिजनों की तरक्की हो गई, इसलिये कि उनको रिजर्वेशन का एडवान्टेज मिल गया। मैं चाहूंगा कि वह कम से कम अपने क्षेत्र में जाकर सर्वे करा लें और देख लें कि कितने लोगों को एडवान्टेज मिला है। अगर हरिजनों के नाम पर कोई एडवान्टेज मिलता है तो कितने ऐसे लोग हैं जो उस लाभ को उठाने की ताक में रहते हैं और कितने ऐसे लोग हैं जिनको कोई फायदा नहीं मिल पाता है। कितने ही ऐसे लोग हैं जो इस बात की ताक में रहते हैं कि कुछ हरिजनों के नाम पर मिले तो उस पर अपना कब्जा कर लिया

[श्री रियासत हुसैन]

जाय । जहां तक हरिजनों को नौकरी देने का वास्ता है, तहसीलदार या हाकिम परगना कोई उनको नौकरी देना पसन्द नहीं करता है । वह यह समझते हैं कि न तो वह बच्चे को खिलायेगा और न वह चौके में जा सकता है । उनके दिमाग में छुआछूत का भूत खड़ा रहता है । सारा प्रश्न छुआछूत का सामने आता है जिसकी वजह से हरिजनों को कोई नौकरी नहीं मिल पाती है । इसी वजह से उनको पीने के लिये पानी भी किसी पास के कुयें से नहीं मिल पाता है । इसलिये मैं चाहता हूं कि पांडेय जी ग्राम सभाओं के द्वारा इस चीज को खत्म करायें । पांडेय जी हर ग्राम सभा को यह आदेश जारी करें कि हर गांव सभा का यह फर्ज है कि वहां पर पानी के लिये छुआछूत खत्म की जाय । मेरे खयाल में जो ग्राम सभा की प्रापर्टी जमीन की शकल में है वह पहले आप उन हरिजनों को दीजिये ताकि उनके खाने का सिलसिला हो सके ।

इसके बाद टैक्स के बारे में कहा गया कि हमने १४ करोड़ टैक्स लगाया और उसमें से ३ करोड़ बाकी रह गया और एक करोड़ की छूट हो गई और १० करोड़ रुपया वसूल कर लिया गया । गांव सभा का टैक्स ३ करोड़ बाकी रह गया । क्या पांडेय जी किसी और विभाग का इस ग्राम पंचायत के अलावा मुकाबिला कर सकते हैं कि जिसमें २० फीसदी टैक्स बाकी रह गया हो ? इतना टैक्स किसी और विभाग में बकाया नहीं मिलेगा । इसकी वजह है और वह वजह यह है कि आपका रजिस्टर नम्बर १४ जो है उसमें टैक्स के बारे में लिखा हुआ है । मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि आज तक उसमें सही रिकार्ड नहीं है । कितनी बार का और कितना टैक्स बाकी है इसका आज तक सही रिकार्ड नहीं है । इसी सिलसिले में आपका बकाया है । इसका कारण यह है कि रजिस्टर नम्बर १४ आपका कम्पलीट नहीं है । कितनी वसूलयाबी अमीन के जरिये से होती है जिसको वह तहसील के खजाने में जमा करते हैं ? इसको आप मालूम करें । कितना ग्राम सभा का रुपया ऐसा है जो अभी तक अमीन के जरिये से वसूल हो चुका है और वहां खजाने में पड़ा हुआ है ? कितना ऐसा है जो ग्राम सभा के पर्सनल लेजर में जमा नहीं हुआ है ? कितना रुपया ऐसा है जो ग्राम सभा के प्रधान के खाते में नहीं है । इन सब का कोई एकाउन्ट नहीं है और कोई सही रिकार्ड मिलता नहीं है । जब यही मालूम नहीं है कि बकाया कितना है तो फिर वसूलयाबी क्या होगी ?

आज बड़ी परेशानी है । पंचायत सेक्रेटरी के जिम्मे १३-१४ गांव लगे हुये हैं । २०-२५ मील के फासले पर वह रहता है । उसके पास साइकिल रहती है । एक दिन में उसको बहुत से काम करने पड़ते हैं । उसको ७०-७५ रुपये तनख्वाह मिलती है । एक दिन उसको मरकज पर हाजिर होना पड़ता है । संडे को वह घर जाता है । २–३ दिन उसको अदालती पंचायतों में भी हाजिरी देनी पड़ती है । १३ गांव सभाओं में उसको जाना पड़ता है जिसके लिये ३ दिन बहुत कम पड़ते हैं । मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितने रिकार्ड गांव सभा के चल रहे हैं और जितनी मीटिंग गांव सभा की हो रही है वह सब फर्जी होती हैं । हल पर जाकर सेक्रेटरी को अंगूठा लगवाना पड़ता है । इसमें आपको सोचना होगा कि आखिर यह सब क्यों है ? मेरा इस सम्बन्ध में एक सुझाव है जो मैं आपके सामने रखता हूं । आप ब्लाक प्रमुख का इन्डाइरेक्ट चुनाव कराते हैं । अब आप कृपा करके प्रमुख का चुनाव कम से कम डाइरेक्ट करा दीजिये ताकि प्रमुख जब हर गांव में वोट मांगने जाय तो वह जिम्मेदारी महसूस करे । आज हालत यह है कि प्रमुख ने चालीस लोगों को बंद कर दिया और वह चुन कर आ गया । जिला परिषदों में भी आपने यही किया है । अगर वह डाइरेक्ट एलेक्शन से आये तो जिले की जनता उसे जानेगी । कम से कम वोट के सिलसिले में तो जाकर वह गांव में छान-बीन करेगा ।

इसके अलावा आमदनी का सवाल बड़ा भारी है । अभी मैंने बताया कि बनारस की एक गांव सभा की आमदनी २९ रुपये साल की है । अगर आप चाहते हैं कि देश में डेमोक्रेसी मजबूत हो तो उसे नरिश करने के लिये आप अपने रेवेन्यू सोर्सेज से कुछ दीजिये । अगर आप रेवेन्यू का २५ परसेंट उनको दे देंगे तो उनमें एक विश्वास पैदा होगा, उनका मनोबल बढ़ेगा और तभी गांव सभाओं की उन्नति हो सकेगी । पिछले साल जो मैंने सुझाव दिये थे मैं उनको दोहराना नहीं चाहता । आशा करता हूं कि आप उनको मानेंगे, लेकिन एक मुख्य बात फिर कहूंगा कि जो रुपया ग्रान्ट की शक्ल में आप प्रधान को देते हैं उस के लिये आप उसे स्टेट

बैंक की चेक न दे कर कोआपरेटिव बैंक की चेक द्वारा दीजिये क्योंकि स्टेट बैंक की चेक उसे करेंट एकाउन्ट में भुनानी पड़ती है और उस के लिये वकील को कमीशन देना पड़ता है और अगर प्रधान अंगूठा टेक हुआ तो दो आदमियों को शिनाख्त करनी पड़ती है। प्रधान इस के लिये झूठे वाउचर बनाने के लिये मजबूर होता है। अगर आप कोआपरेटिव बैंक की चेक दें तो उन्हें रुपया आसानी से मिल जायगा और वे अपना विकास कार्य आसानी से कर सकेंगे।

इसके बाद देहात में जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है उसके लिये भी आपको सोचना पड़ेगा। मेरा सुझाव है कि कम से कम पंचायती अदालतों के लेविल पर आप एक इंडस्ट्रियल सेंटर जरूर बनाइये जिसमें काटेज इंडस्ट्री जैसे बरतन बनाना, बांन बनाना आदि काम चला सकते हैं जिसमें जो लोग वहां बेरोजगार उनको काम मिल सकता है और यह मसला हल किया जा सकता है। इसके बाद प्रोडक्शन बढ़ाने का सवाल है। आपकी जरूरत है कि पैदावार बढ़े, लेकिन उसके लिये कोई प्रैक्टिकल कदम नहीं उठाया गया। आपकिसान को कहते हैं कि यह खाद डालिये, वह काम करिये, लेकिन मेरी गुजारिश है कि आप पंचायती अदालत के लेविल पर डिमांस्ट्रेशन करें और उसमें प्रधानों को इन्वाइट करें, उनको समझाया जाय, तभी वे उस नये प्रकार के तरीके को, खाद को इस्तेमाल करने की ओर बढ़ेंगे। केवल आदेश से ही यह काम होने वाला नहीं है। इसके अलावा कम से कम हर गांव की प्लानिंग कि वहां किस-किस चीज की जरूरत है उसके लिये इसका ६ महीने का एक रेकार्ड होना चाहिये कि इस पर्टिकुलर गांव के अन्दर इस चीज की जरूरत है। मैं समझता हूं कि अगर आपने एक साल के अन्दर हर गांव के अन्दर इतना भी कर दिया कि उस गांव से छूत-छात ही दूर कर दी, हरिजनों को पानी पीने की व्यवस्था कर दी तब भी मामूली काम नहीं होगा––अगर एक साल के अन्दर यह लक्ष्य बना लें।

श्री अध्यक्ष––

अब आपका समय समाप्त।

*श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)––

श्रीमन्, मैं श्री राधेश्याम शर्मा द्वारा प्रस्तावित कटौती का जो प्रस्ताव है उसके विरुद्ध और सभासचिव पांडेय जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। हमारी पंचायतें, यह सही है कि लोकतंत्र की पहली कड़ी हैं और यह कड़ी जितनी मजबूत होंगी उतना ही हमारा लोकतंत्र स्वस्थ और सुन्दर होगा। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि कई बाधायें हैं पंचायतों और गांव सभाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में। सबसे मुख्य बाधा यह है कि सामन्तवादी प्रथा यद्यपि निर्मूल हो चुकी है किन्तु आज भी उसका प्रभाव इतना जबरदस्त है कि गांव सभायें और उनमें रहने वाले लोग उस प्रभाव के कारण कुछ ऐसे कार्य कर ही नहीं सकते जो जनहित में आवश्यक समझे जाते हैं। आज भी अधिकांश गांव सभाओं के प्रधान अपनी लाठी के जरिये से या पुराने दबदबे और रोब को गालिब करने की वजह से पुराने जमींदार और ताल्लुकेदार होते हैं। परिणाम यह होता है कि सामान्य हित की योजनाओं का कार्यान्वयन जिस तरह से होना चाहिये उस तरह से नहीं होता और सारी की सारी सुविधायें गांव सभा के प्रधान और उसके गुर्गे खींच ले जाते हैं। साथ ही हमारी सरकार की तरफ से पंचायत विभाग को द्विविध शासन के अन्तर्गत रखा गया है। आज गांव के ऊपर जो लेखपाल सेक्रेटरी के रूप में और माल मुहकमे का जो एक प्रभाव डाल रखा गया है कानूनी तरीके से मैं देखता हूं कि हमेशा पंचायत राज अधिकारियों और माल मुहकमे के अधिकारियों में संघर्ष हुआ करता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि लेखपाल को गांव पंचायत राज के दायरे से बिलकुल हटा देना चाहिए और इस प्रकार की प्रणाली अख्तियार की जानी चाहिये कि हर गांव सभा की खसरा और खतौनी प्रत्येक गांव सभा में रखवाने की व्यवस्था की जाय ताकि ग्रामवासियों को आवश्यकता पड़ने पर वह आसानी से प्राप्त हो सकें। १६ वर्ष के बाद आज भी एक गांव की खसरा खतौनी को नकल लेने के लिये जब तक डायरेक्ट आदेश ऊपर से एस० डी० ओ० या

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवदत्त मिश्र]

जिलाधीश से लेखपाल के नाम नहीं आता है तब तक आसानी से उसकी नकल नहीं मिलती है। तो मैं सभासचिव और मंत्री जी, श्री राममूर्ति से निवेदन करना चाहता हूं कि जो माल मुहकमे को पंचायत राज में घुसेड़ रखा गया है उसको हटाया जाना चाहिये और उसका प्रभाव अलग कर दिया जाना चाहिये।

एक चीज और है, बहुत से ऐसे गांव हैं जिन्हें नम्बरी मौजा कहा जाता है। उनकी आबादी भी २५०-४०० तक की है। किन्तु चूंकि उनको नम्बरी मौजा कहा जाता है इसलिये उनको अपनी अलग गांव सभा बनाने का अधिकार नहीं है। परिणाम यह होता है कि जहां नम्बरी मौजे हैं वहां पर वही पुराने जमींदार वहां के प्रधान होते हैं, वहां निम्न वर्ग के लोग रहते हैं और उनको पंचायती राज की वह सुविधायें प्राप्त नहीं हैं जो और जगह होती हैं। उदाहरण के लिये अकबरपुर एक गांव है जिसके सभापति या प्रधान पुराने ताल्लुकेदार हैं। वे अखिल भारतीय जन संघ काउन्सिल के मेम्बर हैं। मैं जनसंघ के नेता से निवेदन करूंगा कि वे जाकर देखें कि उनका किसानों के प्रति किस प्रकार का रवैया है। मेरे मौजे में जिसमें ४०० किसान वर्ग के लोग हैं जिनमें अधिकतर पासी, लोधी और कुर्मी आदि हैं उनके साथ उनका बड़ा खराब व्यवहार रहता है और चूंकि उनके मुकाबिले में इन लोगों ने पिछले इलेक्शन में अपना एक उम्मीदवार खड़ा किया है, इसलिये उनको कभी चोरी में, कभी डकैती में और कभी मारपीट के किस्सों में फंसाया जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो इस प्रकार के नम्बरी गांव हैं जिनकी आबादी २५० से ऊपर है उनको यह अधिकार दिया जाय कि यदि वे चाहें तो अपनी अलग गांव सभा बना लें।

माननीय रियासत हुसेन ने एक यह बात कही कि वहां का इलेक्शन डाइरेक्ट होना चाहिये। मैं उनका ध्यान उनकी पार्टी के नेता श्री जयप्रकाशनारायण जी के एक कथन की ओर दिलाना चाहता हूं। जब माननीय गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर थे, तब उन्होंने गुप्ता जी को एक पत्र लिखा था जिसमें यह लिखा था कि अगर पंचायतों के इलेक्शन डाइरेक्ट होंगे तो उसका मतलब यह होगा कि उन लोगों की गतिविधि ५ सालों तक निर्वाचनों तक ही सीमित रह जायेगी। उन्होंने डाइरेक्ट इलेक्शन का घोर विरोध किया था। हमारे आचार्य विनोबा जी ने भी डाइरेक्ट इलेक्शन का विरोध किया था। यह ४ साल पहले की बात है। इन सब विरोध के कारण ही कानून में इसके लिये संशोधन भी किया गया था और इस इनडाइरेक्ट प्रथा को रखा गया था। इसलिये अगर इसके लिये माननीय रियासत हुसैन साहब को कोई शिकायत है तो यह उनको अपने नेता से ही होना चाहिये।

एक बात मैं अपने सभा सचिव महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने अपने ऐक्ट में यह रखा है कि उप-प्रमुख यदि कोई गांव सभा का प्रधान होगा तो उसे गांव सभा के प्रधान पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इसका परिणाम यह होता है कि कोई भी अच्छा व्यक्ति इस भय से कि उसको उप प्रमुख बनने के बाद प्रधान के पद से इस्तीफा देना होगा उस पद के लिये खड़ा नहीं होता है। हमारे यहां बीघापुर ब्लाक में कोई व्यक्ति चुना ही नहीं गया। अभी दो व्यक्तियों का नामिनेशन हुआ है, उनमें से एक की उम्र भी कम थी, इसलिये वे केवल क्षेत्र समिति के ही कोआप्टेड मेम्बर रहे। मैं यह बताना चाहता हूं कि कोआप्टेड मेम्बरों का वह कलेवर और स्तर नहीं होता जिससे कि वे अपने कर्त्तव्यों का उचित रूप से पालन कर सकें। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि ऐक्ट में यह संशोधन किया जाय क्योंकि उप प्रमुख वरिष्ट और लघिष्ट के ऊपर इतनी जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती कि वह गांव सभा का सभापतित्व कर सके। इसलिये यह कैद कि वह एक ही रह सकता है, उसको हटा दिया जाना चाहिये।

उन्नाव जिले का कुछ हिस्सा कानपुर महापालिका के अन्तर्गत चला गया है। मैं जानना चाहता हूं कि उस हिस्से की गांव सभाओं और गांव पंचायतों की क्या स्थिति है? इस संबंध में मैं बहुत जोर के साथ प्रतिवाद प्रकट करना चाहता हूं। सरकार का यह कर्त्तव्य था कि वह पहले उन्नाव जिले के लोगों का मत इस संबंध में प्राप्त कर लेती और उसके बाद ही कानपुर

जिले में उस हिस्से को ट्रांसफर करती । लोकतंत्र के युग में यह उचित नहीं हुआ । संबंधित जिला परिषद् और क्षेत्र समिति से इस संबंध में यह जानना चाहिये था कि वह क्षेत्र कानपुर महापालिका के अन्तर्गत किया जाय या न किया जाय । यह क्षेत्र गंगाघाट से लेकर मगरवारा और सहजनी गांव तक है । मैं पूछना चाहता हूं कि उन गांवों की अब क्या स्थिति है, वे उन्नाव जिले के समझे जायेंगे या कानपुर जिले के ? इस संबंध में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है ।

जैसा कि रियासत हुसैन साहब ने बताया कि हर ब्लाक में एक फार्म ग्राम पंचायत की तरफ से बनाया जायगा, उस योजना को शुरू में कार्यान्वित करने की कोशिश की गयी । इस योजना को शीघ्र ही कार्यान्वित किया जाय और ऐसे फार्मों को बनाया जाय । इससे खेती का उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी । मैं सभा सचिव महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे हर ब्लाक में आदर्श फार्मों की स्थापना करें । मालूम नहीं वह योजना क्यों ड्राप कर दी गयी है, क्यों नहीं कार्यान्वित की जा रही है । मैं चाहूंगा कि इस योजना को पुनर्जीवित किया जाय ।

श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा देश गांवों में बसा हुआ है और इन गांवों की तरक्की हो जाय तो हमारे प्रदेश और देश की भी तरक्की हो जाय । हमारी सरकार की भावना तो अत्युत्तम है और सुन्दर है लेकिन फिर भी हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं ? क्या कारण है । इसको हमें इस सदन में विचारना होगा और कोशिश करनी पड़ेगी कि देश की तरक्की हो । इसको देखने से यह मालूम होता है कि जिन अधिकारियों के हाथ में जुर्म को रोकने और किसानों को राहत देने की क्षमता है वे आज बिलकुल नहीं चाहते कि गांव सभाओं की तरक्की हो । आज गांव सभाओं की तरफ से जितने भी मुकदमे दाखिल किये जाते हैं सभापति को इतना हैरान होना पड़ता है, इतना दौड़ना पड़ता है और जायज बात के होते हुए भी उनको हार खानी पड़ती है । यह बिलकुल सही नहीं है कि आज जो गांव सभायें हैं, उनके अन्तर्गत हर गांव की तरक्की नहीं हुई है । जहां के सभापति लोगों ने निर्भीकतापूर्वक चुने, वह तो ईमानदार हैं और उसने अपने गांव में तरक्की अवश्य करायी है लेकिन जहां का सभापति पुराने जमाने की मनोवृत्ति का, लूटने वाला, खसोटने वाला चुना गया है, वह गांव नरक बन गया है । वह अपने गांव के किसानों को लड़ा-लड़ा कर तबाह करता है । आज उस गांव के लोग तरसते हैं । इसका कारण यह है कि कुछ सभापति डंडे के जोर से सभापति हो गये हैं । आज सारी योजना जो चल रही है उसमें कोई भी ऐसी योजना नहीं है जैसे मछली पालन-योजना, गांव के जो बढ़ई व लोहार हैं, अगर सरकार उन बढ़ई, लोहारों को सही तरीके पर अनुदान देकर उस कला को बढ़ावे तो अवश्य ही उसकी उन्नति होगी ।

आज सरकार देखे कि गांव समाज की जितनी जमीनें हैं, खलिहान हैं, रास्ते हैं या डीह की जमीनें हैं, उसमें जो लोग वहां पर हावी थे, जो पहले से ही जनता का शोषण करते चले आ रहे हैं, आज भूमिहीनों व हरिजनों को जमीन न मिल करके उन्हों ने ले लिया है और उसे अपने काम में ले आये हैं । न तो उनकी कोई जांच पड़ताल करने वाला है और न उनको देखने वाला है । सारे विरोधी दल और सत्तारूढ़ दल के लोग भी कहने के लिये तो कहते हैं कि गांव सभाओं में किसी पार्टी का दखल नहीं होना चाहिये लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जितनी भी गांव सभायें हैं, आज वे पार्टीबन्दी का अखाड़ा बन गयी हैं और पार्टीबन्दी की वजह से गांव नरक बनते जा रहे हैं । तो इस तरफ भी ध्यान देना होगा और कोशिश करनी होगी कि आज हमारे गांव कैसे आगे बढ़ें । आज जो अधिकारी गांवों की तरक्की के लिये नियुक्त किये गये हैं उनके कर्त्तव्य क्या हैं ? उनका कर्त्तव्य यह है कि वह देखें कि हमारी गांव सभायें किस तरह से मजबूत बनें । अगर आप खाद के गड्ढों को ही देखें और कुल गड्ढों को जोड़ डालें तो पूरे गांव की जमीन गड्ढों में ही निकल जायगी और एक बिस्वा जमीन भी नहीं बचेगी । इसलिये इस तरह की जो फर्जी कार्यवाही होती है उसको भी रोकने की तरफ सरकार को ध्यान

[श्री दुर्योधन]

देना चाहिये । केवल कागजी घोड़े दौड़ाने से यह काम नहीं होने वाला है, आज इतने वर्षों के बाद भी हमारे गांवों में पानी पीने वाले कुओं का इन्तजाम नहीं हो सका है । इसका कारण यह है कि आज जो अनुदान हम देते हैं, वहां के गरीब वर्ग के पास पैसा नहीं है जिससे वे उस काम को नहीं करा पाते हैं । आप देखें कि हरिजनों के कुयें भी बहुत कम बने हैं तथा पानी पीने के नल भी नाम मात्र को ही लगे हैं । हमारे जिला गोरखपुर में इस तरह के जो रुपये हरिजनों के नाम पर ब्लाक्स में दिये गये हैं वे सब ऐसे ही पड़े हैं और ब्लाकों के द्वारा तीन साल से कोई काम नहीं हुआ है । तो सरकार को पिछड़े लोगों की तरफ भी ध्यान देना चाहिये । हमारे जिले में विकास खंडों को अनुदान देकर एक हरिजन बस्ती बनायी जा रही है लेकिन आज ५ साल हो गये, उसका पूरा रुपया ही नहीं दिया जा रहा है । काफी काम अधूरा पड़ा है और वे लोग बिलखते हैं। तो हमारी असावधानी जो है वह भी ऐसी है कि तरक्की के रास्ते में बाधक है । हमारे एक-एक गांव में आज लेखपाल भी है, सेक्रेटरी भी है, वी०एल०डब्लू० भी है और जब हमें इन गांवों की तरक्की करना है तो यह जो इतने सारे लोग गांव में काम करने वाले हैं हैं उन सब को ट्रेनिंग दे कर एक आदमी को एक गांव में जिम्मेदार बना कर भेजना चाहिये तभी गांव की तरक्की हो सकती है । आज ग्राम सभापतियों के द्वारा बहुत से गलत काम होते हैं । यह लोग अक्सर किसानों का रुपया खा जाते हैं और बहुत से निर्माण के काम इस कारण से रुक जाते हैं । कुओं का बहुत-सा रुपया इस तरह से खा लिया गया और फिर उस को गरीबों ने चन्दा जमा करके बनवाया । एक सेक्रेटरी १२ गांव सभाओं का रुपया लेकर चम्पत हो गये और बाद में जब छानबीन हुई तो उस पर कार्यवाही होने के बजाय वह भाग गये और १२ गांवों के सभापति मुकदमा लड़ रहे हैं कि हमारा रुपया मिल जाय । इस तरह से अगर गांव के सभापतियों को तंग किया जायगा तो अच्छा नहीं होगा क्योंकि वह कुछ लेते नहीं हैं और काम करते हैं । इस तरह से गांवों का काम चलने में दिक्कत होगी। अगर आप गांव पंचायतों की तरक्की चाहते हैं तो मुनासिब यह होगा कि जो लगान वसूली का काम है आप उन के सुपुर्द करें और जो वसूली वह करें उसका २५ प्रतिशत उन को दिया जाय ताकि वह पैसा गांवों की तरक्की में लग सके । इस के अलावा मैं चाहता हूं कि किसानों को बीज लेने के लिये ज्यादा दूर दौड़ना न पड़े और उन को वह मिल जाय आसानी से.....

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि इस अनुदान पर आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया । जहांतक पंचायतों का संबंध है मैं अपने पंचायत मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ऐसे सुन्दर अनुदान को प्रस्तुत किया है । इन पंचायतों पर ही स प्रदेश की जनता का दारोमदार है जिन के द्वारा इस प्रदेश का प्रशासन देहात में चल रहा है । इन १५ वर्षों में पंचायतों द्वारा जो काम हुआ है वह इस से पहले किसी युग में नहीं हुआ है, इतने खड़ंजे, इतनी सड़कें, इतनी नालियां, इतनी नहरें और इतने कुएं केवल इसी शासन काल में यहां बने हैं और शायद इस से पहले कभी नहीं बने । हम इसके लिये अपनी सरकार और अपने मंत्री जी को बधाई देते हैं । सब से पहले हमारे देश में हरिजन-उत्थान की और आजादी की आवाज उठाई और उसने कहा कि हमारे यहां से इस तरह की कुरीतियां दूर होनी चाहिये, उस ने समाज के उत्थान का नारा लगाया और उसके बाद कांग्रेस आई । लेकिन इन ३ साल के दौरान में सरकार का जो हरिजन और प्लानिंग विभाग हैं उन में कोई काम नहीं हुआ है और पता नहीं उस रुपया का क्या हुआ और आप का जो कानून बना और जिन जमींदारों को आप शोषक बताते थे, जिन को आप दलन करने वाला बताते थे उनसे जमीन छीन कर जो आप के प्रधान बने हैं उन्होंने अपने भाई-बन्दों को दे दी। और नतीजा सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यह एक और शिगूफा कि जमीन बांटो । यह किसी ने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नहीं कहा कि मिलों और कारखानों को बंटो और बड़ी सर्विसेज को बांटो और वे हरिजन नवयुवकों को दी जायं । जमीन कोई रबड़ नहीं है । इस भ्रम में मत डालो कि जमीन उतनी ही रहेगी लेकिन हम चाहते हैं कि उद्योग धंधे हरिजनों को दिये जायं, तालीम दी जाय । यह सरकार १८ परसेंट रिजर्वेशन पूरा नहीं कर सकी । हमें देखना यह है कि हमारे देश के निवासियों ने एक ऐसे वर्ग को उठाना शुरू किया और भरसक प्रय न किया कि उनमें शिक्षा आये । आप लोग इस देश में बाहर से आये हैं और यहां के रहने वाले दलित या अछूत के नाम से पुकारे जाते हैं और उनके साथ यह व्यवहार होता है । कहा जाता है कि भूमिहीनों को जमीन दी जा रही है लेकिन उनको एक इंच जमीन नहीं मिली है । सीमा-निर्धारण बिल पास होता है लेकिन जो जमीन निकली उसमें से एक इंच भर भूमि नहीं मिली । मैं सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों से कहता हूं कि वे चिल्लाते ज्यादा हैं लेकिन मजदूरी के दो-तीन आने देते हैं और देखा यह जाता है कि जो उनमें ज्यादा जुल्म करता है वह सबसे ज्यादा बोलता है और जो प्रेम रखता है वह नहीं बोलता है । लेकिन मैं सरकार से यह कहूंगा कि अगर वह हरिजनों के लिये कुछ नहीं कर सकती तो वह भ्रम में उनको न डाले कि वह बड़ी शुभचिन्तक है .....

श्री अध्यक्ष---

आप हरिजन अनुदान पर बोल रहे हैं या पंचायतों पर ?

श्री हरीसिंह---

जो जमीनें पंचायतों को दी गयीं वे हरिजन विभाग को नहीं मिलीं और इन्होंने घर-घर में पार्टीबाजी पैदा कर दी है । भाई-भाई में गांव में पार्टीबाजी आज हो रही है । हर आदमी आज वहां व्याकुल है । आज गरीब गांव में सुख के साथ रह नहीं सकता जब तक कि वह राजा कुंवर श्रीपाल सिंह को वोट न दे । डर और डंडे के जोर से वोट उनको देना पड़ता है और राजा साहब के जीतने पर वह गांव में रह नहीं सकते और इतना बुरा व्यवहार उनके साथ गांव में है कि वे वहां रह नहीं सकते । आज पंचायतों के द्वारा कोई उद्योग-धंधे देहातों में नहीं खुले हैं, न कोई परमिट दिये गये हैं ताकि उनकी बेकारी दूर हो सके और वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें । मेरा निवेदन है कि उनका १८ फीसदी रिजर्वेशन पूरा हो, जो जमीन देने का वादा हरिजनों के लिये किया गया था उसको पूरा किया जाय ताकि वे खेती कर सकें, उनके लिये उद्योग-धंधे खोले जायं ताकि उनकी बेकारी दूर हो तब पंचायती राज का उनको लाभ मिल सकता है और अगर यह बातें नहीं की गयीं तो जो पंचायत राज का प्रभाव आप चाहते हैं वह उल्टा होगा । आज मैं अनुभव कर रहा हूं कि भय के मारे कोई नहीं बोल पाता है लेकिन वास्तविकता कुछ और है । प्लानिंग विभाग आपका कम से कम यह तो पता लगावे कि कितनी जमीन भूमिहीनों को दी गयी है, हरिजनों का कितना रिजर्वेशन पूरा हुआ, कितनी छात्रवृत्तियां उनके बच्चों को दी गयीं । आज पंचायती राज के स्कूलों में छात्रवृत्तियां भी हरिजन छात्रों को नहीं मिल पातीं, सहायता भी उन तक नहीं पहुंचती । जो आप के कार्य हो रहे हैं वह तो सराहनीय है लेकिन उनमें गरीबों और गरीब वर्ग के लोगों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये ।

*श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल से यह पंचायतों के बारे में अनुदान पर विचार चल रहा है । मैं राधेश्याम जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं । मैंने पांडेय जी के कथन को कल जब सुना तो ऐसा लगा कि किसी ने एक अच्छी दूकान सजा रखी है और बहुत हल्ला मचा रखा है और ग्राहकों से चिल्ला-चिल्ला कर कहता है इधर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री लखीसिंह]

आओ, इधर आओ । पंचायत यह बापू जी की देन है, उनसे भी बहुत पहले एक बहुत पुरानी चीज कोई कांग्रेस राज्य की देन नहीं है । मैं यह तो मानने के लिये तैयार हूं कि यह सरकार बापू जी के कदम पर थोड़ा चली लेकिन हरिसिंह जी जैसा कह रहे थे तो उनके लिये मैं क्या कहूं। माननीय हरिसिंह जी और जगजीवनराम ये सारे लोग ऐसे दलाल हैं जो सिर्फ हरिजनों को नीचे दबोचने के लिये कांग्रेस में आये हैं और हरिजनों के नाम पर ये लोग मालामाल होना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

किसी का नाम लेकर यह नहीं कहना चाहिये । यह शोभा नहीं देता ।

श्री लखीसिंह--

ठीक है, मैं नाम ले कर नहीं कहूंगा लेकिन यह जरूर कहूंगा कि इस सरकार ने--आर्य समाज की जो बात हरीसिंह जी कह रहे थे--उस जैसी पुण्य-पावन संस्था के नियमों को पंचायत में नहीं लायी है । उसका नवां नियम है कि "केवल अपनी उन्नति में ही संतुष्ट नहीं रहना चाहिये किन्तु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति माननी चाहिये" । इस एक नियम का भी पालन सरकार ने नहीं किया । तो सरकार को शिक्षा देना बेकार है क्योंकि 'सीख वाको दीजिये जाको सीख सुहाय, सीख न दीजिये बानरा, जो बया के घर को खा जाय' । तो क्या सीख दूं ?

श्री अध्यक्ष--

आपको तो अपना कर्त्तव्य करना ही चाहिये ।

श्री लखीसिंह--

इसीलिये तो श्रीमन्, सोशलिस्ट पार्टी ने कई बार कहा कि सोशलिज्म कैसे आ सकता है । भुवनेश्वर का तो अब स्वप्न आया है, सोशलिज्म को तो सोशलिस्ट पार्टी ही ला सकती है उसका ही यह जन्मसिद्ध अधिकार है और वही ला सकती है ।

आज गांवों की क्या हालत है । हमारे यहां अभी भी ऐसी गांव पंचायतें हैं जहां पर १८-१८ मील की दूरी पर डाकखाने हैं ।

एक सदस्य--

डाकखाने से इसका क्या संबंध है ?

श्री लखीसिंह--

मैं भी यह समझता हूं कि इस सरकार का डाकखाने से क्या संबंध है लेकिन इसलिये कह रहा हूं कि यह सरकार केंद्रीय सरकार को लिखे । इन डाकखानों के दूर-दूर रहने से उनके पास आदेश नहीं पहुंचते समय पर और वे काम ठीक से नहीं कर पाते और मेरे गांव के पास छाता में उनका ब्लाक है और वहां से १८-१८ मील दूर डाकखाना है ।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

इसीलिये तो रेडियो है ।

श्री लखीसिंह--

रडियो में क्या चिट्ठी जाती है ?

एक सदस्य--

कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां से दो-तीन मील के फासले पर डाकखाना न हो जैसा कि केंद्रीय सरकार के मंत्रियों ने घोषणा की है । ऐसा कौन-सा गांव है जहां से १८ मील दूर पर डाकखाना है : जरा माननीय सदस्य बता दें ।

श्री लखीसिंह---

एक नहीं, कई ऐसे गांव हैं । मैं झूठ नहीं बोलूंगा । लिखिये, ऐट, बुखरारी, शाजादपुर, बुढहा, शूरनगर, रूपनगर और कितने ही गांव मेरे क्षेत्र के हैं । मुझे पंचायत पर ही बोलना है, मैं हरीसिंह जी वाली बात नहीं बोलूंगा । पंचायत का नक्शा ठीक बना है और चौखम्भा राज्य के बजाय आपने पंचखंभा राज्य बना दिया है । लेकिन आपने पूज्य बापू के कथनानुसार किसी गांव पंचायत में महिला सीट नहीं दी है ।

श्री बंशीधर पांडेय---

२३५ या ऐसे ही महिला सदस्या हैं ।

श्री लखीसिंह---

किसी तरह से बेचारी बन गई होंगी । लेकिन आपके कानून के द्वारा नहीं बनीं । जबकि आपके पड़ोसी पंजाब ने ५ महिला सीटें हर पंचायत में रखी हैं । आपने विकास क्षेत्र और जिला परिषद् में तो महिला सीटें रखी हैं, चाहे कोआप्ट ही रखी है । लेकिन गांव सभाओं में आपने यह विधान नहीं बनाया है । इस पर आपको ध्यान देना चाहिये ।

मैं किसी एक धर्म का आदमी नहीं हूं सोशलिस्ट धर्म का आदमी हूं लेकिन बड़े खेद के साथ मुझे यह कहना पड़ता है कि इस सरकार की गलत व्यवस्था के कारण गरीब इतने गरीब हो गये हैं कि मेरे जिले में तमाम लोग ईसाई बनते चले जा रहे हैं । दुखी हो कर वह लोग ऐसा कर रहे हैं । वहां पर एक गिरजाघर भी बना है । हम तो खुले आम कहेंगे कि एक अंग्रेज सरकार थी जिसने पाकिस्तान बनाया और उसके बनने की यही बुनियाद थी, जैसे कि आज काले बादल हमारे ऊपर मंडरा रहे हैं और यह सरकार गांव पंचायतों की तरफ नहीं देखती है और यह सरकार भी आकाश की तरफ देखती है। गांव पंचायतें बन गईं और प्रधान भी बन गये और जो जमीन छुड़ाई गई है वह गरीबों को नहीं दी जा रही है । एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि बड़े-बड़े लोगों ने जमीन ले ली और गरीब लोग तबाह होकर, परेशान होकर अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म की तरफ जा रहे हैं । एक माननीय सदस्य, श्री रमेशचन्द्र शर्मा जी ने कल कह दिया कि गांव खुशहाल हो गये हैं अगर सरकार के पास कोई कमीशन हो तो उसे नियुक्त किया जाय और वह देखे कि ४६–४७ के बनिस्बत अब गांवों की क्या हालत है ? ४६–४७ के बनिस्बत गांवों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है ।

यहां पर पूर्वी जिलों की बात बहुत की जाती है । पहले पूर्वी जिले ज्यादा गरीब थे । लेकिन पश्चिमी जिले जो खुशहाल थे उनकी भी आज हालत बहुत खराब हो गई है । १९४६ से अब बहुत ज्यादा फर्क हो गया है । पहले किसान साल भर तक नाज मोल नहीं लेते थे लेकिन अब सस्ते गल्ले की दुकान पर भीख मांग रहे हैं । आप हरिजन की परिभाषा क्या करते हैं ? हमारी भाषा में और पूर्वी भाषा में फर्क पड़ जाता है । यहां के लोग चमारों को और जाटवों को भी हरिजन मानते हैं । उनकी आबादी गांवों में बहुत ज्यादा है । लेकिन पश्चिमी जिलों में मेहतरों को हरिजन कहते हैं । अगर कांग्रेस में एक भी आदमी गांधीवादी हो तो वह उत्तर प्रदेश के गांवों का निरीक्षण करे । मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनकी औरतों को आज भी कुओं से पानी नहीं मिलता । इसलिये वे लोग ईसाई बनते जा रहे हैं । मैं आंकड़ों की बात नहीं कहूंगा बल्कि वह बात कहूंगा जो गांवों में बीत रही है । यह गांव पंचायतों का नक्शा है । गांव पंचायतें काम कैसे करें। सारी मालगुजारी सरकार हड़प लेती है । सोशलिस्ट पार्टी का कहना है कि मालगुजारी में से एक-चौथाई गांव पंचायतों को देना चाहिये। आप कहते हैं कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया है । लेकिन कहां किया है ? आपने आर्थिक और सामाजिक विकेंद्रीकरण कहाँ किया ? राजनीतिक विकेंद्रीकरण इसलिये किया कि आपने ५ खम्भे बना दिये लेकिन इससे विकेंद्रीकरण नहीं होगा।

*श्री लालबहादुरसिंह (जिला वाराणसी)--

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं इस अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । अगर देखा जाय तो पंचायतों का निर्माण करके प्रजातांत्रिक समाजवाद की तरफ एक बड़ा मजबूत कदम उठाया गया है । आखिर किसी भी राजनीतिक दर्शन को देखा जाय तो कहीं की भी जनता उस देश की, समाज की नींव है, उसकी रचना करती है । इसी तरह से हमारी सरकार ने जो पंचायतों का निर्माण किया, हो सकता है कि लोगों की इसमें भिन्न राय हो । कह सकते हैं कि हरिजनों को यह घर नहीं दिया गया, यह जमीन नहीं दी गयी, सवर्ण को यह नहीं दिया गया । तमाम बातें कही जा सकती हैं । लेकिन कोई भी ईमानदार आदमी जिसके पास राजनीतिक चेतना होगी यह कहने से कभी नहीं हिचकेगा कि समाजवादी समाज की रचना में यह मजबूत पत्थर का खम्भ लगाया गया है । हो सकता है कि पंचायतों के चुनाव में कहीं झगड़े हुय हों, कई लोगों की राय है कि निर्विवाद चुनाव होने चाहिये । लेकिन फिर जनता की राय का महत्व क्या है ? फिर तो सदन को अधिकार है कि जिसको चाहे नामिनेट कर दे । प्रजातंत्र के यह मानी हैं कि प्रजा की बातें मालूम हों ।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और दो बजे फिर बैठेंगे ।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

गणपूर्ति अधिक समय तक न होने के सम्बन्ध में निदेश

श्री उपाध्यक्ष--

मुझे बड़े दुख के साथ यह निवेदन करना है कि आज करीब २५ मिनट कोरम होने में लगा । मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर भविष्य में ऐसा हुआ तो जो संविधान में स्पीकर को अधिकार है उसका प्रयोग करने के लिये हम बाध्य हो जायेंगे । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि सरकार की ओर से भी और अपोजीशन की ओर से भी जरा इस बात का खयाल रखा जाय कि इसमें जनता का धन खर्च होता है । मैं उम्मीद करूंगा कि आयंदा ऐसा नहीं होगा ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

श्रीमान् जी, यही हालत गांव पंचायतों की भी है जिसका अनुदान आज पेश है । तो जरा सरकार को एक चेतावनी गांव पंचायतों के बारे में भी दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

एक बात मुझे अपोजीशन से कहनी है । वह दावा करते हैं और असल में अपोजीशन का ही ज्यादातर यह टाइम होता है बजट का, तो अपने ही टाइम को वह बरबाद करते हैं । अभी तक दो-तीन स्पीकर बोल चुके होते । लेकिन वह इतना टाइम बरबाद हो गया ।

१९६४-६५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ११--गांव सभाएं और पंचायतें --(क्रमागत)

श्री लालबहादुर सिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी निवेदन कर रहा था कि प्रजातांत्रिक समाजवाद जो होता है उसमें पीपुल्स के राइटस जो होते हैं वह अधिक दिये जाते हैं जिस तरह कि हमारे ग्राम पंचायतों के संगठन में जनता को अधिकार दिया है । यह अधिकार वह बुनियादी चीजें हैं जिन पर कि सोशलिस्टिक पैटर्न की गवर्नमेन्ट का ढांचा खड़ा किया जाता है । आज के जो हालात हैं हमारे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

पंचायतों के वह सिद्धांतत: जो बहुत ऊंची बातें हैं, बड़ी अच्छी बातें हैं। लेकिन अगर उसकी कार्यप्रणाली मान्यवर, देखी जाय और जो उसके रूल्स वगैरह बने हुये हैं, उनको देखा जाय, तो वह बहुत ही डिफेक्टिव हैं जिससे कि उसके बिल्ड अप होने में बड़ी रुकावट है। एक गांव पंचायत ले लीजियेगा जिसकी आबादी आपने रखी है २५० से कम नहीं है, २५० से ऊपर १,०००, १,५०० ऐसे हो सकती है। तो वहां तीन तीन अधिकारी बना दिये गये हैं—सेक्रेटरी, वी० एल० डब्लू० और पटवारी। तीनों का फंक्शन जो है वह कुछ अलग-अलग है जबकि काम तीनों का करीब-करीब सिमिलर टाइप का है कि किस तरह से खेतीबाड़ी बढ़े, किस तरह से गांव डेवलप करें, किस तरह से हमारे कागजात ठीक हों, किस तरह से गांवों की सफाई का इंतजाम हो। सिद्धांत तो बड़े अच्छे हैं जो आपने ब्लाकों को दिये, लेकिन उनके लिये चार्ट और कानून-कायदे इतने लम्बे-चौड़े दे दिये कि हम विधान सभा के सदस्य भी उनको नहीं समझ पाते। मैं तो खुद नहीं समझ पाया जबकि मैं ब्लाक का प्रेसीडेंट भी रहा हूं, जब तक यह कानून नहीं बना था कि एम० एल० ए० ब्लाक का प्रेसीडेंट न हो, तब तक मैं ब्लाक का प्रेसीडेंट रहा। लेकिन इतने बड़े-बड़े चार्ट और नक्शे और फार्म बनाये हुये हैं कि मालूम होता है कि बड़े-बड़े आडीटर और नक्शानवीस बैठें तो वह कहीं जाकर वह काम हो। तो एक बात तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो लम्बे-चौड़े कागज रखे हैं उनको कम किया जाय। दूसरी बात यह कि तीनों पद तोड़कर एक कर दिये जायं। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के सिद्धांत का प्रतिपादन तभी हो सकेगा जब ये तीनों पद एक में कर दिये जायं, चाहे एक-एक गांव में एक एक को रख दीजिये। और तीन क्यों चार हैं। एक कोआपरेटिव का भी है। एकदम डायर्की, द्विविधि शासन है। एक कोआपरेटिव का सुपरवाइजर आता है। वह भी किसान से वही बात कहता है, वी० एल० डब्लू० पहुंचता है, वह भी उसी बात को कहता है। कभी सेक्रेटरी के पास, कभी पटवारी के पास। वही सब बात करते हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार यह काम करे कि आप एक आदमी को एक गांव के लिये या दो गांव के लिये रखें। जैसी भी आपको सुविधा हो वैसा आप करें। एक आदमी के जिम्मे काम हो। तो अधिक सुविधाजनक रह सकता है। कोआपरेटिव की वसूली हुई। उधर सुपरवाइजर के पास भी पर्चा चला गया और तहसील के असीन के पास भी चला गया। बाद में विलेज लेविल वर्कर के पास भी चला गया। वह ऐसा लिंक है कि जिससे किसान बड़ी गड़बड़ में पड़ जाता है। मैं एक छोटा किसान हूं। २५ रुपये खाद की तकावी ली तो कई जगह उसकी वसूली होती है। कुछ जगहों पर ऐसा हुआ है कि एक एक तकावी २,३ बार वसूल हो चुकी है और आज भी वसूलयाबी उनकी की जा रही है। यह कमी है। उसको देखने की जरूरत है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ गांव सभा तो ऐसी हैं जिनको काफी आमदनी है और कुछ ऐसी हैं जिनके पास कोई आमदनी नहीं है। मैं तो यह समझता हूं कि यह जो माल-गुजारी का मसला है इसको वसूल करने का काम गांव सभा को जरूर दिया जाय। आप डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बुनियाद अपने यहां डाल रहे हैं। यह मानना चाहिये कि उनके लिये यह एक ट्रेनिंग का पीरियड है। उनसे कुछ गड़बड़ हो सकती है। बहुत-सी जगहों पर ऐसा हो रहा है और बहुत सी जगहों पर अच्छा काम हो रहा है। तो उनको मालगुजारी की वसूली का काम जरूर दिया जाय। एक्सपेरिमेंटल तरीके से ही दिया जाय। कुछ खतरा हो सकता है लेकिन सरकार को यह खतरा मोल लेना चाहिये क्योंकि समाजवाद की रचना में और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में प्रजातंत्रात्मक समाजवाद की रचना करनी है तो आपको यह खतरा मोल लेना चाहिये। मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि मैं यह बात इधर के लोगों से ही नहीं कह रहा हूं बल्कि उधर के लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में अपोजीशन की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। हमारा सोशलिज्म जो है वह किसी हथियार के आधार पर नहीं बना है। हमारा सोशलिज्म जनता के सहयोग से और सत्य और अहिंसा के आधार पर बना है। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। आप लोग चाहे इसकी कितनी ही आलोचना करें किन्तु अपने हृदय पर हाथ रख कर पूछें कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म यहां पर जनता के सहयोग पर बना है या नहीं ? यह जरूर है कि कार्य प्रणाली में कोई त्रुटि हो सकती है। जब कोई काम एक्सपेरीमेंटल स्टेज में चल रहा हो तो उसमें उससे गलती हो सकती है। मैं यह नहीं कहता कि

[श्री लालबहादुरसिंह]

यह सब काम हो गया लेकिन हमको और आपको सबको यह भुगतना पड़ेगा, जो हमने सैकड़ों वर्षों की गुलामी से पाया है। जब यहां पर अंग्रेजों का राज्य था उस समय हम क्या देखते थे? हमारा कोई भी काम नहीं होता था। हमारी कोई भी सुनवाई नहीं होती थी। उनके यहां कागज चलता था और यह आफिशियल्डम सब काम करता था। कागज का पेट भर दिया जाता था। मैं यह चाहता हूं कि इस तरह की चीज यदि अब भी चलती है तो उसमें कमी की जाय।

दूसरी बात यह है कि जो न्याय पंचायतों का गठन किया गया है यह बहुत अच्छा किया है और उसके लिये सरकार को धन्यवाद है लेकिन एक काम और सरकार करे। वह यह कि ७,८ गांवों को मिलाकर जो एक न्याय पंचायत बनाई गई है उसमें से सेलेक्शन किया जाय। उसमें से कुछ आदमियों का सेलेक्शन किया जाय और उनको ही आगे चलकर अपील सुनने की अथारिटी हो। ५,७ आदमियों का उसमें से सेलेक्शन करके एक पैनल बना दें जैसे कि जजों का आप बनाते हैं, तो उस तरह से बना दें। उसमें चुने हुये आदमी हों। एक कोई इम्तहान ले लें और उसमें से सेलेक्ट किये जायं। इस लेविल पर नहीं बल्कि मुन्सिफ या डिप्टी कलेक्टर या कोई पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी या डिप्टी मिनिस्टर या यह हाउस जिसको अथराइज़ करे, वह जाकर इम्तहान ले कर देखें और फिर एक एक विकास खंडों की अपीलें न्याय पंचायतों में हुआ करें। इसका भी एक्सपेरीमेंट किया जाय। उसमें जब हमें सफलता मिलेगी तभी हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को आगे ले जा सकते हैं। तो यह मैंने न्याय पंचायतों की बात कही।

दूसरी बात मुझे यह निवेदन करनी है कि आप गांव पंचायतों को आबादी के अनुसार रुपया न देकर उनकी जरूरतों के मुताबिक रुपया दीजिये। इसकी वजह यह है कि कहीं तो समझदार, पढ़े-लिखे लोग होते हैं। वे थोड़े पैसे में ही अपना काफी विकास का काम कर लेते हैं और गांव को तरक्की करा देते हैं, लेकिन यदि किसी गांव सभा में साधारण दर्जे के सदस्य होते हैं, उनकी ज्यादा जानकारी नहीं होती तो वे उस रुपये का उपयोग नहीं कर पाते और वह रुपया लैप्स हो जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो रुपया उनको दिया जाय वह पिछड़ी हुई गांव सभाओं को ज्यादा दिया जाना चाहिये।

तीसरी बात यह कहना है कि यहां बहुत इस बात का जिक्र हुआ कि डंडे के बल पर वोट लिया जाता है। डेमोक्रेसी तो है ही। अगर कहीं ऐसा हो, तो उसके लिये आप कोर्ट में जायं। कानून है कि डाका नहीं डालना चाहिये, लेकिन वह पड़ते हैं। क्या इस असेम्बली के एलेक्शन में डंडे नहीं चले हैं? तो यह सब तो होता ही रहेगा। उसके चलते हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात समाप्त नहीं कर सकते। यह तो एक्सपेरीमेंटल टाइम है। अगर कहीं एक जगह डंडे बाजी हुई तो उसके चलते हम सब जगह की व्यवस्था तो नहीं बदल सकते। लेकिन आप यह भी देखें कि १९५७ में कितने परसेंट वोट पड़े थे और फिर १९६२ में कितने परसेंट वोट पड़े, तो हारने-जीतने की बात यहां नहीं होनी चाहिये। आज हमारी सरकार है, कल आपकी हो सकती है। अगर आप यह बात समझेंगे तभी उससे फायदा उठा सकते हैं। प्रजतंत्र में यह सब हो सकता है।

अंतिम बात मुझे यह निवेदन करनी है कि पंचायतों में जो हो रहा है वहां हो ही रहा है लेकिन एक बात नहीं हो रही है। वहां लोगों का दिमागी स्तर कैसे उठे इसके लिये कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। पंचायत के लोग तो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन गांव के लोग आप के इंस्पेक्टर के जाने पर डर जाते हैं। उसके पास आने का वे साहस नहीं करते। आप इसके लिये कोई प्रोग्राम चलावें। पहले मिनिस्टर्स गांव पंचायत की मीटिंगों में जाया करते थे, लेकिन आज कल यह काम सरकारी अफसरों पर छोड़ दिया गया है। आप के अफसरों से पब्लिक घबराती है। वह कोई कोआपरेशन उससे नहीं करते। अब हम देखें कि यह जो उद्घाटन हुआ करते थे पंचायतों के वह सब बन्द हैं, पंचायत भवन सभी जगह बन ही गये, तो अब कोई ऐसा इनिशिएटिव फिर लें और अगर जरूरत समझें तो कोई कमेटी बना लें ताकि लोगों का दिमागी स्तर ऊंचा हो।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका समय समाप्त ।

*श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच)---

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राधेश्याम जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, जब पंचायतों की स्थापना सन् ४९ में हुई थी तो उसका एक विशेष महत्व था और उस वक्त ऐसी सरकार की नीति घोषित की गयी थी कि सत्ता के विकेन्द्रीकरण करने की वजह से ये स्थापित की जा रही हैं। श्रीमन्, जो पहले के उसके पैम्फलेट थे उनको देखें और आज की रूपरेखा देखें तो काफी अंतर मालूम होता है। मैं मिसाल के लिये बताऊं कि गांव पंचायतों का काम सरकार करती है, बी० एल० डब्लू० करता है और गांव समाज को कोआपरेटिव का रेकार्ड या एंट्री लेखपाल करता है। इस सदन में भी और गांव में भी जहां जायं इसकी चर्चा सुनने को मिलेगी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट इतना खराब है और उसके विशेष अधिकारी को इतना बड़ा अधिकार रख-रखाव के लिये दे देना क्या मुनासिब बात होगी ? एक मसल मशहूर है कि "एक मछली सारे तालाब को गन्दा कर देती है", तो लेखपालों के लिए सुनने में आता है और सदन में भी कहा गया है कि जगह-जगह खराबियां करते हैं। ऐसी स्थिति में जबकि विद्या भी बहुत कम है, पंच तो छोड़िये। प्रधान भी जहां बहुत कम-पढ़े लिखे हैं तो जो लेखा-खोजा लेखपाल बनाता है उसको कैसे देखते होंगे ? इसको अगर सरकार सोचे तो मालूम होगा कितनी धांधली होती है। ऐसी सूरत में मेरा अपना खयाल है और मैं माननीय सभासचिव महोदय से जो दूसरी तरफ मशगूल हैं, दरख्वास्त करूंगा कि अगर वह गौर करें तो मालूम होगा कि प्रापर्टीज को कितने नाजायज तौर पर गड़बड़-शड़बड़ होती है। यह मैं आंकड़ों के अनुसार कह सकता हूं कि इस वक्त हमारे प्रदेश में करीब २५ लाख एकड़ भूमि ऐसी है जिस पर खेती की जा सकती है और जो प्रधानों और लेखपालों की मिलजुल कर ऐसी निजी जमींदारी या संपत्ति है कि किसी को जबान हिलाने की भी गुंजायश नहीं है, जब देश में विशेष कर गल्ले की इतनी कमी हो रही है और बराबर यहां सवाल उठाये जा रहे हैं, अगर उसको यूटिलाइज किया जाय, उसका वितरण ठिकाने से किया जाय, उसको स्थायी रूप से हरिजनों या भूमिहीनों को बांट दिया जाय तो देश का बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। लेकिन होता यह है कि लेखपाल और प्रधान ने अगर तय कर लिया तो भूमिहीन तो क्या, सरकारी अफसर भी कलम नहीं लगा सकते---इस तरह के तथ्य प्रस्तुत किये जाते हैं। मिसाल के लिए बहराइच जिले की बात कहता हूं कि एक ग्राम सभा है लालपुर कुसमाहा है, वह जंगल के हाशिये पर आता है, बहुत बड़ा कत्थे का जंगल है। कत्था इतनी कीमती चीज है कि उसका एक मामूली पेड़ २०० रुपये का होता है। पूरा जंगल कत्थे का प्रधान और लेखपाल ने नीलाम कर दिया, न मुश्तहरी हुई, न डुग्गी हुई, किसी को पता तक नहीं चला। वन विभाग को कुछ ऐसे अधिकार दिये गये हैं कि जो वन किसी गांव सभा के किनारे है उनको अगर नीलाम करना है तो कायदे के हिसाब से पेड़ों वगैरह की मार्किंग आदि होना चाहिये, तभी उनको नीलाम किया जा सकता है। वन विभाग ने जब यह आपत्ति उठाई तो डिप्टी कलेक्टर महोदय ने यह फरमाया कि मैं स्वयं इसको देखूंगा कि वन विभाग कैसे उन पेड़ों को कटने से रोक सकता है। तो जहां पर प्रधान के फैसले को डिप्टी कलेक्टर कानून की अवहेलना करके उसको सही बनाता हो और अपनी प्रेस्टीज का सवाल बना लेता हो, वहां गांवों का कैसे उत्थान हो सकता है ?

एक मिसाल और बताना चाहता हूं। एक गांव सभा में एक आदमी मर गया। उस के न कोई आगे था न पीछे था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो संसार में उसका कोई नजदीकी रिश्तेदार नहीं था। एक गलत औरत को खड़ा कर दिया गया और कहा गया कि यह उसकी लड़की है। पंचायत के रिकार्ड में उस आदमी की उम्र ४५ साल है, जबकि लड़की की उम्र ५५ साल है। वह मामला २ साल से चल रहा है। पंचायत की तरफ से जो वकील

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री मुन्नूसिंह]

मुकदमा लड़ रहे हैं उनको फीस चाहिये। मैंने एस० डी० ओ० साहब से कहा कि आप दौरे पर जा रहे हैं, मौके पर जाकर तथ्य को मालूम कीजिये। उन्होंने कहा कि अगर मैं तथ्य जान जाऊंगा, तो कायदे के अनुसार मुकदमा ही मुझे दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर देना पड़ेगा। प्रधान की शहादत कोई मानी नहीं रखती। लेखपाल के रिकार्ड में कुछ पता नहीं चलता। रेवेन्यू विभाग की यह हालत है कि कोई रिकार्ड नहीं पता चलता। तो आप इससे क्या उम्मीद करेंगे ?

इसके अलावा श्रीमन्, पंचवर्षीय योजना बनायी जाती है और यह कहा जाता है कि हर गांव का प्रधान उसको समझेगा। लेकिन एक भी मिसाल ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें किसी प्रधान द्वारा ही किसी गांव की योजना को बनाया गया हो। जिस गांव की जो योजना होती है, अगर उसके बारे में उस प्रधान से कुछ पूछा जाय तो उसको उसकी कुछ भी जानकारी नहीं होगी। अमूमन यही हालत सब जगह मिलेगी। तो श्रीमन्, अगर हमारी तरक्की की योजना इंगलैंड वाले बनायेंगे, या इंगलैंड वालों की तरक्की की योजना आस्ट्रेलिया वाले बनायेंगे, तो मैं नहीं समझता कि कैसे किसी योजना की तरक्की हो पायेगी।

श्रीमन्, पहले जमाने में जब सरकारी आफिसर दौरे पर जाते थे तो उनके कैम्पिंग ग्राउन्ड हुआ करते थे। लेकिन जब से अमेरिका ने जीप कारें भेज दी हैं, तब से जहां तक जीप जाती है, वही तक उसका इलाका समझा जाता है और वहां तक उसका दौरा होता है। बाकी हिस्सा वह समझता है कि वह प्रदेश का हिस्सा ही नहीं है।

न्याय पंचायतों के लिये पंचों का चुनाव होता है। पंच अदालतों का चुनाव कौन करता है ? डिप्टी कमिश्नर महोदय। उसको चुनेंगे डिप्टी कमिश्नर महोदय। कैसे ? क्लर्क जो लिस्ट बना कर वहां दे देता है वही उन्होंने डिटो कर दी। अगर मंत्री महोदय इस बात की लिस्ट बनवायें कि कितने मुकदमे पंचायत में दायर हुये, किसी भी पंचायत में, और कितनों के लिये ट्रांसफर एप्लीकेशन मूव हुई तो उन्हें पता चलेगा कि ९५ फीसदी में ट्रांसफर एप्लीकेशन मूव होती है, यह इस बात का सबूत है कि पंचायतों में कितनी गड़बड़ी और बेईमानी है। (किसी सदस्य के कुछ कहने पर) अगर कोई लखनऊ रह कर देहात की बोली बोले तो बात कुछ ठीक समझ में नहीं आती।

बहराइच के एक पंचायत इंसपेक्टर ने, जो मंत्री के पद से प्रोमोट हुआ था, ५७ में रिपोर्ट की कि पंचायत मंत्री ने गबन किया है। वहां के डिपार्टमेंट ने उनके और पंचायत मंत्री के, दोनों के खिलाफ ४०६ का मुकदमा दायर कर दिया। सेशन जज ने फैसला दिया कि यह केस ४०६ का नहीं है, ४०९ का है, इसलिये खारिज किया जाता है। मंत्री भी बच गये और इंसपेक्टर भी बच गये। १० दिन बाद पंचायत इंस्पेक्टर डिसमिस कर दिये गये और लिखा यह गया कि चूंकि आप पंचायत के लिपिक हैं इसलिये डिसमिस किये जाते हैं, जबकि उसने लिपिक के पद पर कभी काम किया ही नहीं। यह हुआ सन् ५८ में और तब से उसकी अपील मंत्री महोदय के यहां पड़ी हुई है, कोई फैसला नहीं हुआ। जहां ऊपर ही खराबी है वहां नीचे का क्या ठिकाना है ?

सेक्रेटरी का अलाउन्स सवा ६ रु० सरकार देती है और सवा ६ रु० गांव से वह वसूल करता है। आप सोचिये कि २, २ रुपये की गांव सभा के वसूल करने में उसे कितना समय लगता होगा। क्या यह सरकार इतनी गरीब है कि सवा ६ रु० सेक्रेटरी को और नहीं दे सकती है ?

ऐसे भी हमारी निगाह में मामले आये हैं कि किसी सेक्रेटरी से प्लानिंग अफसर ने कहा कि तुमको हम विलेज लैविल वर्कर बना देंगे, तो उन्होंने कहा कि जरा एम० एल० ए० साहब आप ही सिफारिश कर दीजिये कि मैं सेक्रेटरी ही रहना चाहता हूं। दुनिया तो तरक्की के लिये परेशान है, इसलिये कोई खास बात ही तो होगी कि सेक्रेटरी की कुर्सी को बी० एल० डब्ल्यू० की कुर्सी से वह अच्छा समझता है।

इन शब्दों के साथ, मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने सामुदायिक विकास और पंचायत के अनुदान पर बोलने का अवसर दिया है ।

सर्व प्रथम में यह कहना चाहूंगा कि समाजवादी समाज की स्थापना के लिये सत्ता का विकेन्द्रीयकरण एक बहुत आवश्यक वस्तु है । इसके लिये पंचायतों की स्थापना एक बहुत सराहनीय कदम है । मैं एक बात अपने भाई राधेश्याम जी से भी कहना चाहता हूं, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, कि मुझे यह देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस अनुदान म बजाय बढ़ोत्तरी के कटौती चाहते है । बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव के साथ भी विभागीय नीति की आलोचना हो सकती थी । परन्तु कटौती का प्रस्ताव करके उन्होंने हमारी ग्राम सभाओं के सभापति जो सही रूप से समाजवाद के प्रहरी हैं के मनोबल को, जो तमाम प्रदेश में फैली हुई है, कमजोर कर दिया है । समाजवाद की स्थापना के लिये में उनसे निवेदन करूंगा कि वे पंचायत राज की योजना में, जो कि एक सफल मंत्री की अध्यक्षता में चल रही है, हमारे साथ चलें और हम उन्हें देहात में दिखावेंगे कि समाजवाद की भावना कैसे आगे बढ़ रही । (व्यवधान) जरा धीरज से काम लीजिये, हम ही है जो आपको समाजवाद तक पहुंचा देंगे बशर्ते आप हमारी पंचायती योजनाओं में क्रियात्मक सहयोग दें, भटकिए नहीं ।

एक सदस्य--

यह कानपुर में रहते हैं । इनसे समाजवाद से क्या मतलब ?

श्री राजनारायण मिश्र--

मुझे फख्र है कि मैं कानपुर की देहात का रहने वाला हूं और एक सोशलिस्ट के मुकाबले में जीत कर आया हूं, रामस्वरुप वर्मा जी आपके नेता रहे है और हैं, अगर मैं भूलता नहीं हूं तो ।

समाजवाद के लिये आर्थिक समानता का होना बहुत आवश्यक है और चूंकि हमारा कृषि प्रधान देश है तो जरूरी है कि अपना फूड प्रोडक्शन बढ़ावें । जो भी तरीके सरकार ने इसके लिये बी० डी० ओ० के जरिये दे रखे है अगर वे ग्राम सभाओं के सभापतियों के माध्यम से कर दिये जायं, तो अधिक अच्छा होगा । सरकारी अधिकारी के अन्दर वह भावना नहीं है जो समाजवाद के लिये आवश्यक है ।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि बहुत सी ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिनके साथ छोटे-छोटे गांव लगे हुए हैं और ऐसे भी गांव है जो स्वयं गांव सभा बनने के योग्य है । कानपुर जिले की डेरापुर तहसील में सलिकपुर अकौडिया नाम का गांव है जिसकी स्वयं की आबादी इतनी है कि वह अलग से गांव सभा हो सकती है । परन्तु फिर भी यह औरंगाबाद डालचन्द की ग्राम से जुड़ी है । आप पूरे सूबे का सर्वे करावें और जहां जहां जिन जिन ग्रामों में ग्राम सभायें अलग से कायम हो सकती है उनका वह अधिकार उनके पास तक पहुंचाने की कृपा करें ।

बहुत सी जगह ग्राम सभाओं में, हमारे कुछ भाइयों ने कहा, पैसे की कमी है । वह ठीक है, परन्तु जिला कानपुर में भागनीपुर तहसील में दौलतपुर नाम की ग्राम सभा है जिसके पास १०,००० से ज्यादा रुपया है और वह सरकारी कोष में जमा है । यह अनरोधा ब्लाक में है और वहां मौरंग निकलती है । वहां की पंचायत और सभापति जब जब ऐसा प्रस्ताव करते हैं कि फलां विकास के काम के लिये रुपया चाहिये तो हाकिम परगना महोदय या और कोई अन्य अफसर इस किस्म के अड़ंगे लगाते हैं कि इसमें फलां आपत्ति है । तो यह हमारा दुर्भाग्य है कि कई साल से रुपये की मांग चली आ रही है लेकिन आपके अधिकारियों की मदद नहीं मिल पाती है । मैं समझता हूं कि इस पर मंत्री जी विचार करेंगे ।

पिछली बार मंत्री जी ने विधान सभा में कहा था कि सिंचाई के लिये ग्राम सभाओं को प्रयत्न करना चाहिये, या अगर ग्राम सभा का रहने वाला कोई व्यक्ति अपने पास से पैसा लगाता है और ग्राम सभापति उसके मुआफिक रिपोर्ट करता है, तो, चाहे वह ट्यूबवेल की बोरिंग हो या

[श्री राजनारायण मिश्र]

और कोई अन्य साधन हो, उसके लिये किसी विशेष अनुदान का प्रावीजन होना चाहिये ताकि वह काम पूरा हो सके। उदाहरण के लिये, अमरौधा में एक व्यक्ति ने अपने पास से पैसा लगाकर ट्यूबवैल की बोरिंग कराई लेकिन उसको वह टैस्टिंग नहीं कर सकते हैं चूंकि उसकी मशीन इतनी हैवी होती है कि वह वहां नहीं पहुंच सकती है, सरकार को इस प्रकार के प्रयासों में पूरा सहयोग करना चाहिए। अगर कोई ग्राम पंचायत इस किस्म का सुझाव देती है कि किसी आदमी को इस प्रकार की सुविधा दी जाय तो अवश्य ही सरकार की तरफ से उसको सुविधा दी जानी चाहिये, तभी फूड प्रोडक्शन बढ़ सकता है। इससे पंचायतों की आमदनी बढ़ेगी और पंचायतें सफल हो सकेंगी।

अभी जैसा कि एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया, अगर आर्थिक रुप से यह संभव हो सके तो पंचायत सेक्रेटरियों का स्थान वी० एल० डब्ल्यू० की पोस्ट में कनवर्ट कर दिया जाय। सरकार अपना बजट देख कर इस पर गंभीरता से विचार करे।

इसके अलावा जिन जिन गांव सभाओं की जो जो योजनायें अधूरी पड़ी हुई हैं, चाहे वह हरिजन बस्तियों की हों या कोई और हों, अगर वे ब्लाक्स के जरिये से पूरी नहीं करायी जा सकती हैं तो सरकार की तरफ से उनको पूरा कराये जाने का प्रबन्ध होना चाहिये।

बुन्देलखंड में बहुत-सी जमीन बेकार पड़ी हुई है। रेवेन्यू विभाग से यह पता लगाया जाय कि खेतों के बीच में ऐसी कितनी भूमि है जिसका उपयोग हो सकता है लेकिन उपयोग नहीं किया जा रहा है और अगर वे लोग उसका उपयोग न करें तो वह ग्राम सभा को दे दी जाय। इससे भय के कारण वह जमीन उपयोग में आ जायगी या अगर ग्राम सभा में चली जायगी तो भूमिहीनों का भला हो जायगा।

बहुत-सी जगहों से यह भी शिकायत है कि सभापति लोग धन का सही उपयोग नहीं करते हैं। पंचायत सेक्रेटरी के माध्यम से जो कार्य होता है उसके बारे में आपको अपनी नीति में आमूल परिवर्तन करना होगा। यह जरूरी नहीं है कि हर सभापति पढ़ा-लिखा ही हो, क्योंकि उसके जमाने में अगर कोई गलत कदम उठाया जाता है तो दूसरे सभापति को उसका खमियाजा भुगताना पड़ता है।

भोगनीपुर तहसील में अफसरिया एक गांव है। वहां पर गबन हुआ है। मैं नहीं समझ पाया कि वहां के सम्बन्धित अधिकारी के सामने क्या दिक्कत है कि वह अभी तक इंक्वायरी उस मामले में नहीं कर पाया तमाम शिकायतों के बाद भी। इस प्रकार की शिकायतों का निबटाना अविलम्ब होना चाहिये। अगर वे हिसाब मेनटेन न कर पायें तो ब्लाक के माध्यम से हिसाब रखाया जाय। और गबन हो तो सजा दी जाय। इन शब्दों के द्वारा। मैं अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय पांडेय जी ने कहा कि बापू जी क्या चाहते थे और कांग्रेस क्या चाहती है और क्या कांग्रेस का उद्देश्य था लेकिन यह नहीं बताया कि हम पहुंच कहां रहे हैं। यह भी कहा कि वह जेलों में गये, गये होंगे। यह भी कहा कि कुरबानियां कीं। कोई शक की बात नहीं है सब लोगों ने कुबरबानियां कीं, आपने भी और हमने भी। लेकिन सवाल यह है कि इस देश का नेतृत्व जिस पार्टी के हाथ में आया उसने जनता की आकाक्षाओं को कहां तक पूरा किया, उसमें कहां तक सफल हो पाये। बापू ने कहा यह था कि गांव गांव में राम राज्य हो जायगा। देश के अन्दर रामराज्य हो, यह भी सही है, परन्तु क्या हम उस उद्देश्य की तरफ कदम बढ़ा रहे है? अगर बढ़ा रहे है तो कितनी फुर्ती और तेजी के साथ? हमारे सामने आज तक वह नकशा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ही पेश नहीं हो पाया है। पब्लिक को आज तक हम नहीं बतला पाये कि हम आपको कहां ले जाना चाहते हैं और क्या वह सुनहरा स्वप्न है जिसको हम आपके सामने रखना चाहते है। कोई गांधीवाद का नारा देता है, कोई सोशलिज्म का नारा देता है, कभी कभी कोई सोशलिस्ट पैटर्न का नारा देता है लेकिन आज तक हमारी समझ में नहीं आ पा रहा है कि आपके दिल व दिमाग के अन्दर क्या है और आपके हाथों में क्या है। गांधी जी जिस चीज को रामराज्य का नक्शा बतलाते थे––उसके अन्दर जहां तक हम लोग समझ पाते हैं और आप भी उस चीज को मानते है––कि हर गांव इतना सेल्फ सफिशिएंट हो जाय। सिवा नमक और लोहे के और किसी चीज के लिये उसे अपने गांव के बाहर हाथ पसारने की जरूरत न रह जाय। उस तरह की योजना हर गांवों के लिये प्रान्त के अन्दर आप बना पायें तो हम आपका समर्थन करें, आपकी नीतियों का समर्थन करें, लेकिन हमारे सामने वह चीज नजर नहीं आ रही है। मैं माननीय मंत्री जी को एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं कि जेल के अन्दर उसकी एक नयी दुनिया ही होती है। उसकी बिलकुल एक अलग दुनिया होती है। मंत्री जी भी वहां रहे हैं और अच्छी तरह से जानते है कि वहां कपड़ा अलग बुना जाता है, कम्बल अलग बुना जाता है। उसी के अन्दर खेती करने का भी इन्तजाम है और इसी तरह से सारे धंधे होते है, जैसे आटा पीसना, पानी खींचना और इस तरह से जेल को हम अगर एक बस्ती का रूप मान लें तो वह बहुत हद तक सेल्फ सफिशिएंट इन्स्टीट्यूट होता है। अगर उसी आधार पर आप हर गांव को ले लें, यह मैं नहीं कहता कि आप उनको जेल बना दें लेकिन उसी नक्शे को आप अपने सामने रखें कि किस ढंग से सामूहिक रुप में २५०, ४००, ४०० आदमियों को इकट्ठा करके उनका संगठन बना सकते है और सारी धरती को एक जगह ला सकते है।

आप देखें कि किस तरह से कांसोलिडेशन के नाम पर, चकबन्दी के नाम पर लूट हो रही है। यह पब्लिक के सामने ऐसा भयानक नक्शा है जिसकी मिसाल शायद हिस्ट्री में नहीं मिलेगी। एक एक आदमी, जो भी इसमें लगे हुए हैं छोटे से लेकर बड़े तक, रातों रात माला-माल होते जा रहे हैं और बराबर उनका पैसा बढ़ता ही जा रहा है। किसी का टुकड़ा लेकर उसमें जोड़ दिया, किसी का टुकड़ा निकाल कर दूसरे में जोड़ दिया। दौड़ हो रही है और सिवा इसके कि पैसे देने के बाद थोड़ी बहुत तसल्ली हो जाय और कुछ हासिल नहीं हो रहा है। अगर हर गांव को सेल्फ सफिशिएंट का रूप दे दिया जाय, हर गांव की सम्पत्ति एक जगह एकत्रित हो जाय, और जितनी जमीन जिसकी हो उसी के प्रतिशत के हिसाब से उत्पादन बांट दिया जाय तो मेरा खयाल है जैसे बिनोबा जी ग्रामदान लेकर इस काम को कर रहे है, आप कानून बना कर ग्राम दान के वसूल को आप यहां लागू कर सकते है। इससे गांधी जी का उद्देश्य ही पूरा हो सकता है और जनता भी ऊंचा उठ सकती है। लेकिन कोई बड़ी चीज हम करना चाहते है तो उसे कर नहीं पाते। उसके रास्ते में बाधायें खड़ी हो जाती है, उसके रास्ते में बड़ी-बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती है। वह क्यों? अगर हम कहें कि ब्यूरोक्रेसी की वजह से ये सारी बातें है जिससे हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता, तो कुछ हद तक यह बात सही है। लेकिन हमें देखना है कि सर्विस में भी हमारे ही बेटे, चाचा, ताऊ जाकर बैठे हुए हैं परन्तु जहां कहीं वे कुर्सी पर जाकर बैठ जाते है उनके रूप अलग हो जाते है। और जिस वक्त वह और हम रिश्तेदार के नाते मिलते है तो उनका व्यवहार दूसरी तरह का होता है। उसमें हम कुछ नहीं कर पा रहे है लेकिन सच्चाई यह है। यह जरूरी है कि हम गांधी जी के नक्शे को देहातों में स्थापित कर सकें और गांवों में हम सेल्फ सफीशियेंट बिलेज सोसाइटी बना सकें। वैसे आप २–४ या दस योजनायें बना लें लेकिन यदि एक ही योजना आप इस छोटे से नक्शे के साथ बनायें और चलायें, तो सारी चीजें सामने आ सकती हैं। गांवों में उत्पादन इतना होता है कि अपनी जरूरत पूरी करने के बाद वहां की जनता कुछ बाहर भेजने के काबिल रह जाती है। इतना कपड़ा वहां बन सकता है कि अपने इस्तेमाल के बाद वह बाहर भेज सकते है। इसी तरह से खेती के औजार अगर हर गांव में नहीं तो पंचायत में छोटा मोटा कारखाना लगाकर बनाये जा सकते है। इसी तरह से सिंचाई के साधनों का प्रयोग किया जा सकता है, उनको केन्द्रित किया जा सकता है पंचायत या गांव सभा के अन्डर में।

[श्री ब्रह्मदत्त मायर]

एक सबसे बड़ी दिक्कत इन तमाम चीजों को हासिल करने लिये फंड्स की होती है। जिस तरह से यह हमारा बड़ा बजट होता है और जो प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है, लेकिन जिस तरह से नल में पानी डाला जाता है और वह नीचे तक पहुंचते-पहुंचते बीच में ही सूख जाता है और जितना जनता चाहती है उतना वह आखिर तक नहीं पहुंच पाता, अगर जिस आदमी को जहां धन की आवश्यकता है उसको वहीं वह मिल जाय, तो उसको सुविधा होगी और उसको अपने तौर पर प्रयोग कर सकेगा क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने पैसे को स्वयं खर्च करता है तो वह सतर्कता से और ईमानदारी से खर्च करता है लेकिन जिस वक्त आम लोगों को यह पता लगता है कि इतना पैसा सरकार का मदद के तौर पर आया हुआ है तो उसको हासिल करते करते रास्ते में कितनी जगह उसके टकड़े होते चले जाते हैं और आखिर में स्टेट बैंक में जब चेक की वसूली होती है तो कहीं वकील के दस्तखत, कहीं करेंट एकाउन्ट वाले के दस्तखत और अंगूठे लगाने वालों के लिये और २ आदमियों के दस्तखत की जरूरत होती है। इस तरह से जिसको पैसा मिलना होता है उसके पास पहुंचते-पहुंचते बहुत कम पहुंच पाता है। बजट में रुपया पास करते हैं, सरकार रुपया देती है लेकिन रुपया जहां पहुंचना चाहिये वहां वह नहीं पहुंचता। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह कोई ऐसा तरीका निकालें इस साल या अगले साल ही--राममूर्ति जी को अभी यह महकमा पहली बार मिला है और उनमें वह सब चीजें और जील मौजूद है और उनकी नीयत भी है इसलिये हम आशा करते है कि वह इसकी ओर तवज्जह करेंगे। आदरणीय विनोबा जी से, बड़े बड़े जूरिस्टस से और साइन्स दानों से विलेज लाइफ के उत्थान के लिये और गांधी जी के वसूलों को सामने रख कर वह स्कीम बनायें, तो अच्छा होगा।

*श्री काशीप्रसाद द्विवेदी (जिला झांसी)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे आज सदन में बोलने की आज्ञा दी। मैंने दोनों ओर के भाषण इस संबंध में सुने। जहां तक पंचायतों का संबंध है हमारे सामने प्रदेश में पंचायत राज की स्थापना का सबसे पहला परीक्षण था। आम जनता के द्वारा जो पंचायतें यहां स्थापित की गईं उन्होंने अपने सभापतियों का चुनाव किया और इस तरह से गांवों में एक प्रकार की छोटी सी असेम्बली बनी। इससे पहले जो चुनाव होते थे उनमें कभी गांव के बालिग स्त्री, पुरुषों को मत देने का अधिकारी नहीं था। यहां तक कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तथा असेम्बली के चुनाव होते थे उनमें बहुत बड़े जमींदार जाते थे जो सैकड़ों रुपये लगान के देते थे और वही वोटर होते थे। गांव में पंचायत राज की स्थापना जब हुई तो गांव वालों ने देखा कि गांव के प्रत्येक स्त्री, पुरुष वोटर है और उसको अपनी राय देने का अधिकार है जिसमें बैठ कर गांव का निर्माण गांव वाले ही करने लगे। कई गांव सभाओं ने इतना सुन्दर काम किया है, हाई स्कूल खोले, छोटो-छोटी रोड्स बनाई, पुलिया बनाई और ऐसे ऐसे काम किये जो पिछले गांव में नहीं हुए थे।

जहां तक न्याय पंचायतों का सम्बन्ध है गांव का लाखों रुपया बरबाद होता था। दीवानी के मामलों में ५०० रुपये तक के मामले गांव की पंचायतों को दिये गये हैं जिनका वे फैसला कर सकती हैं। इसके पहले अगर कोई आदमी ५०० रुपये का दावा करता था तो जिले की अदालती मुन्सफी तक जाने में उसे १००, १५० रुपये खर्च करने होते थे जब ५०० रुपये वसूल होत थे। अब वे लोग छोटे छोटे मुकदमे आपस में बैठ कर तय करने लगे, दीवानी तथा फौजदारी के। पंचायतों को यहां तक अधिकार दिया गया है कि दोनों पार्टियां अपना फैसला पंच द्वारा करा सकती है और वह फैसला मान्य होगा और हमारे यहां पंचायतों ने बड़े बड़े फैसले किये है जिनकी प्रशंसा अदालतों ने भी की थी। तो गांव पंचायतों के द्वारा सरकार न क्रान्तिकारी कदम उठाया है और जो कुछ खामियां है भी उनका भी समाधान किया जा रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सभापति का चुनाव अब बैलट के द्वारा होता है। मेरा सुझाव यह है कि कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव भी बैलट से होना चाहिये क्योंकि हाथ उठा कर चुनाव होने में पार्टीबन्दी बढ़ती है। बैलट द्वारा जब से सभापति का चुनाव होने लगा है तब से पार्टीबन्दी कम हुई है।

पंचायत में काम करने वाले लोग पंचायत सेक्रेटरी, ए० डी० ओ० तथा बी० डी० ओ० हैं। इनको अपने जिले में न रख कर ४, ६ जिले पार रखा जाता है। मेरा सुझाव है कि यह पाबन्दी बी० डी० ओ० पर तो रहे लेकिन जिस तरह से पंचायत सेक्रेटरी पर यह पाबन्दी नहीं उसी तरह से ग्राम सेवक तथा ए० डी० ओ० पर नहीं रहना चाहिये।

मेरा यह सुझाव है कि जो पंचायतें अच्छा काम करती हैं उनको सरकार स्थायी रूप में मत करें। क्योंकि कुछ पंचायतें प्रान्त में ऐसी रही हैं जो छोटे उद्योग धंधे चला रही है तो यह सही है कि उद्योग धंधों को पनपना चाहिये लेकिन क्योंकि यह पंचायतों द्वारा चलाई जाती हैं तो पंचायतें एक तो प्राब्लम्स होती है और दूसरे जहां टैक्स का सवाल है विरोधी पार्टियां कहती है जिनके लिये कि अन्याय हो रहा है तो उनको टैक्स से भी मुक्ति मिलती है क्योंकि इनसे पंचायतें स्वावलम्बी हो जावेंगी, वे अपना उद्योग धंधा चलाने लगेंगी और अपने खर्चे को वहन करने की शक्ति उनमें स्वयं हो जायगी। तो फिर इस बात की आवश्यकता नहीं रह जाती है कि लोगों पर टैक्स लगाये जायं और अगर वह न हो तो हमारे प्रान्त और देश के लिये बड़े सौभाग्य की बात होगी। तो हम पंचायतों को स्वावलम्बी बनाते जायं और उनकी सहायता करते जायं।

मुझे एक बात और कहनी है कि जो गांव सभा के सभापति होते हैं अभी तक उनके काम की एक साधारण देखरेख होती है यानी नजरसानी लेकिन उसके लिये ऐसा एक विशेष प्रबन्ध होना चाहिये जिससे एक गांव सभापति के कार्यालय में जो भी अधिकारी जाय वह वहां नोट करे कि अमुक सभापति द्वारा यह यह काम हुये है क्योंकि बहुत सी शिकायतें है कि गांव सभापतियों ने लोगों को नाजायज पट्टे कराये हैं। तो उस इलजाम में भी कमी आयेगी। तो संक्षेप में ये मेरे सुझाव है। आशा है कि मंत्री जी इन पर गौर करेंगे।

श्री अवधनारायणप्रताप सिंह (जिला गोंडा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि विरोधी दल की तरफ से जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उस पर बोलने का समय आपने दिया। कल सभासचिव महोदय ने जो सुन्दर और अच्छे ढंग से भाषण किया, वह अच्छा था। मैं उनका ध्यान एक प्रधान जी के कारनामों की ओर ले जाना चाहता हूं कि उनकी ही आडिट रिपोर्ट से मिला है। मार्च, सन् १९५६ में सहरिया जाति के पुनर्वास हेतु जौनरा कालोनी, झांसी में मकानों की मरम्मत तथा निर्माण हेतु २२ लाख रुपया सरकार ने स्वीकृत किया था उसमें नियोजन विभाग ने ग्राम प्रधान को जनवरी, सन् १९६० में २०,९७५ रुपये इस कार्य हेतु दिये। जून, १९६० में जिला पी० डब्ल्यू० डी० अधिकारी ने उसे देखा और निर्माण के अयोग्य बता दिया तथा कार्य का दाम कुल १६८ सौ रुपये का ही बताया। मकान ठीक से न बनवाने के कारण जो धांधली हुई उसका यह कार्य रहा और जो रुपया उनको मिला उसमें कुछ रुपया तो उसमें लगा और जितना पैसा था ग्राम प्रधान ने अपने घर को बनवा लिया। इस तरह से २०,९७५ रु० बेकार हो गया।

स्थानीय उन्नति हेतु अंशदान के अनुदान में ७५७ लाख रुपया १९५३ से मार्च, १९६२ तक जिला नियोजन समिति को दिया जिसमें ३२२ लाख यानी कुवों का ४० प्रतिशत मार्च, ६२ तक उस काम में नहीं लगा और ३१९ लाख रुपया तो २ वर्ष से भी अधिक पड़ा रहा। इस तरह से ब्लाक का कार्य है। एक हमारे प्रधान कानपुर के ग्राम बधौली के हैं श्री विश्वनाथ कटियार। उन्होंने पंचायत बिल्डिंग बनाने हेतु पैसा लिया और ठीक से कंस्ट्रक्शन नहीं कराया। एक दूसरे मुकदमे में उनके खिलाफ ४२० आई० पी० सी० का मुकदमा भी दायर है। आडीटर साहब उनके

[श्री अवधनारायणप्रताप सिंह]

वहां जाते हैं तो मुझे यह सूचना मिली है कि उनके घर जाते हैं, जाने पर उनकी खातिरदारी हो गई और वे आडिट न करके चले आये। गांव सभाओं को जो सहायता मिलती है और सरकार जो यहां से पैसा भेजती है, वह ब्लाक में पहुंचकर ठीक तरह से गांव सभाओं तक नहीं पहुंच पाता है। इसका कारण यह है कि ब्लाक के अधिकारी उस पैसे को खा जाते हैं।

सिंचाई योजना की पहली स्कीम यह थी कि पहले १/३ सब्सिडी मिलती थी। जो समझदार लोग थे उन्होंने उसका फायदा उठा लिया। लेकिन पिछड़ी जनता जो नहीं जानती थी इसका फायदा न उठा सकी। अब यह हो गया है कि सरकार ने सब्सिडी फिक्स कर दी है। जैसे छोटे ट्यूबवैल पर अब केवल एक हजार रुपया देते है और जो काश्तकार उसको लगाना चाहता है उसको पूरी सब्सिडी मिलती भी नहीं हैं। वहां जो अधिकारी बीच में बैठे हुये हैं वे उससे पैसा लेते है और इस तरह से उसका आधा रुपया तो घूस में ही चला जाता है। मैं यह अनुरोध करूंगा कि जैसी पहले व्यवस्था थी वही अब भी कर दी जाय।

सड़कें जब तक गांवों में नहीं होंगी तब तक गांवों की तरक्की नहीं हो सकती है। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी यहां पर नहीं है इसलिये विकास मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे उन तक यह समाचार पहुंचा दें। सादुल्लानगर से मानिकपुर तक एक सड़क बननी थी। उस पर ६० हजार रुपया भी खर्च हो गया। लेकिन पता नहीं बाद में क्या हुआ? उस सड़क को कैंसिल कर दिया गया। अब मनकापुर अंधियारी होते हुये सड़क को बनाने की योजना बना दी गयी है। इस तरह से गरीब जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जाता है। यह कहां तक उचित है? यह इलाका तो बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है और १९५२ से लेकर १९६२ तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। इधर ध्यान भी दिया गया तो पता नहीं मंत्री जी ने क्या समझ कर बनती हुई सड़क को कैंसिल कर दिया। मैं आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि इस पर फिर से विचार किया जाय और इस सड़क को बनाया जाय।

अब मैं रेहरा ब्लाक में हुई गड़बड़ी की ओर सदन का ध्यान दिलाऊंगा। कल मंत्री जी ने भी उसके बारे में आश्वासन दिया था। इस ब्लाक में एक ऐसी ग्राम सभा है, जिसका पंचायत घर बनाने के लिये ४ हजार रुपया लिया गया है और वह ऐसा बनाया गया कि गिर गया। इस साल फिर रुपया दिया गया है और वह फिर से बन रहा है और वैसी गड़-बड़ी हो रही है। मैं समझता हूं कि इस तरह से गरीबों के पैसे का दुरुपयोग किया जाना ठीक नहीं है। मैंने माननीय मंत्री जी को अपनी तरफ चलने के लिए अनुरोध भी किया है कि वहां की गड़बड़ियों को देखें और देखने के बाद उस पर उचित कार्यवाही करें। हमारी तरफ शिक्षा का बड़ा अभाव है। रेहरा में एक हाई स्कूल चलवा रहे है। सरकार से मान्यता प्राप्त करने के लिये बहुत कोशिश की जा रही है। आज तीन वर्षों से लगातार कोशिश करने के बाद भी उसको मान्यता नहीं मिल पायी है। उसके बहुत से कारण है। पहला कारण यह है कि वहां के इन्स्पेक्टर महोदय उस पर विशेष ध्यान नहीं देते और ध्यान भी कैसे दें। वह स्कूल इतना गरीब है कि जो पैसा मिलता है वहां के कमरों, किताबों और सारी चीजों की व्यवस्था में खर्च होता है। इंस्पेक्टर महोदय को पैसा नहीं दे पाते। इस वजह से स्कूल को मान्यता नहीं मिल पाती है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि उस स्कूल की तरफ भी ध्यान दें। जब तक गांव में शिक्षा की ठीक व्यवस्था नहीं होगी, आगे बढ़ने में किसानों को कठिनाई होती है। इन शब्दों के साथ मैं जो कटौती का प्रस्ताव हमारे विरोधी दल से रखा गया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री बब्बनसिंह (जिला गोंडा)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया है। मैं जो प्रस्तुत अनुदान १ करोड़ ४१ लाख ९ हजार ७ सौ रुपये का है उसका समर्थन करता हूं और जो जो कटौती का प्रस्ताव है उसका घोर विरोध करता हूं। इसलिये कि जो भी कटौती के प्रस्ताव

पर बोलते हैं उनकी मांग तो यह होती है कि अधिक से अधिक विकास किया जाय लेकिन कटौती का जो प्रस्ताव होता है वह यह होता है कि मांग की धनराशि घटा पर एक रुपया कर दी जाय। जितना अनुदान है वह भी, मैं समझता हूं, कम है । इसमें और ज्यादा रुपया होना चाहिये ।

श्रीमन्, हमारे यहां ग्राम सभा की स्थापना गांधी जी का एक स्वप्न थी । उसको कायम करके सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है । ग्राम सभा, क्षेत्र समिति, जिला परिषद् और विधान सभा, एक इकाई इसकी वहां से शुरू होती है, जड़ इसकी वहां है । जब तक हम उस जड़ को अच्छी तरह से नहीं सींचेंगे, खाद नहीं देंगे, तब तक यह पल्लवित नहीं हो सकती । उसके साथ साथ हम गांव की तरक्की चाहते हैं लेकिन गांव की तरक्की कैसे हो ? इसके लिये मेरा सुझाव यह है कि काश्तकार सिर्फ पैदा करता है गल्ला । वह भी ईश्वर के ऊपर निर्भर हो कर खेती होती है । अगर कुदरत ने साथ दिया तो हमारी खेती अच्छी है, अगर कुदरत खिलाफ हुई तो हमारी खेती बिलकुल कुछ नहीं है । हमारी सरकार ने सामूहिक खेती कायम की थी जिसका विरोध हमारे भाइयों ने किया । कहा गया कि किसान के बच्चे एक-एक भुट्टे को तरस जायेंगे । यह सरकार जबरदस्ती सामूहिक खेती करवाना चाहती है । मेरा विचार है कि कोआपरेटिव खेती से उसमें सफलता अवश्य होगी । आज का काश्तकार सिर्फ अनाज पैदा करता है लेकिन उसके अनाज की कहीं भी ऐसी मंडी नहीं है कि जहां से उसको उचित मूल्य मिल जाय बल्कि जो बाहर के रोजगार करने वाले है वह एक घात लगाये बैठे रहते हैं। लगान वसूली का टाइम हुआ, उनके दलाल पहुंच गये और मनमाने भाव पर गल्ला मांगा, ४ सेर का हो तो दस सेर का मांगा और दस सेर का ले लिया । तो मेरा सुझाव है कि सरकार हर गांव सभा में इस चीज का बन्दोबस्त करे कि उनका गल्ला एक जगह पर रखा जाय और सरकार अपने ऊपर जिम्मेदारी ले उनके गल्ले को खरीदने के लिये, और उसी के साथ-साथ किसान की जरूरत की जितनी चीजें है लोहा, कपड़ा, नमक, तेल इत्यादि, उनकी भी एक दूकान वहीं पर ऐसी होनी चाहिये कि उनका गल्ला भी उचित मूल्य पर निकल जाय और उनको जरूरी सामान भी मिल जाय । उसमें जो कुछ मुनाफा हो वह सब ग्राम सभा का हो । मेरा ऐसा अपना विचार है ।

थोड़ी-सी बात मैं पंचायती अदालतों के ऊपर भी कहना चाहता हूं कि पंचायती अदालतों की स्थापना इस खयाल से की गई थी कि ग्राम के रहने वालों को सच्चा और सस्ता न्याय मिले और किसी हद तक इसमें बहुत कामयाबी हुई । लेकिन हमारा अपना विचार है कि उसमें कुछ हकूक और देने चाहिये सरकार को । एक हक सरकार ने पहले पंचायती अदालतों को ऐसा दे रखा था वरासत का । जिस वक्त वरासत का अधिकार पंचायती अदालतों को हुआ, उस वक्त यह हक पड़ेगा कि जितने ऊंचे अफसर थे वह तिलमिला उठे । उनका यह कहना था, हमने खुद सुना है, उन्होंने यह कहा कि जो आदमी निरक्षर भट्टाचार्य है उसको वरासत करने का मुकदमा दे दिया गया । यह तो उन्होंने नहीं कहा कि हमारी एक इनकम खत्म हो गई । मेरा अपना विचार है कि वहां जितने वरासत के मुकदमे होते थे वह सही होते थे और पैसा भी बहुत ज्यादा काश्तकार को खर्च नहीं करना पड़ता था । लेकिन सरकार ने वह अधिकार छीन लिया । मैं यह मांग करता हूं कि वह अधिकार फिर पंचायती अदालतों को दिया जाय । दूसरी बात, पहले यह कायदा था पंचायती अदालतों में कि सरपंच बेंच बनाते थे । मैं यह नहीं कह सकता कि यह अख्तियार क्यों छीन लिया गया । अब तो पांच-पांच आदमियों की एक बेंच हुई है और मुकदमे नम्बरवार उन बेंचों में लगा दिये जाते है । तो इससे सच्चा न्याय नहीं हो पाता है । इसलिये कि जहां का मकदमा हो, जिस गांव का उस गांव के दो पंच पहले उस बेंच में सरपंच जरूर रखता था, यह उसमें लिखा हुआ था । लेकिन अब तो बेंच बने हैं उसमें जिस हिसाब से मुकदमें जाते हैं, उसी हिसाब से लगा दिये जाते है । तो इससे सच्चा न्याय नहीं हो पाता क्योंकि बड़े से बड़े गांव में भी कोई जुर्म होता है तो गांव के आदमियों से वह जुर्म छिपता नहीं है और यही मेरा मतलब है कि वह जो दो आदमी उस गांव के उस बेंच में होते थे उनके उसमें होने से सच्चा न्याय मिलता था । लेकिन अब यह बात नहीं हो पाती है कि उसी गांव के पंच उसमें

[श्री बब्बनसिंह]

रहें जिस गांव का मुकदमा हो । इससे सही बात का पता नहीं चलता है । यह तो वैसे ही हुआ जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवेल पर वकील लोग खड़े हो गये, और गवाही और सबूत अदालत के सामने पेश किया उसी के ऊपर हाकिम को भी मजबूर होकर उसी के अनुसार फैसला देना पड़ता है । अब यही हाल पंचायतों का हो गया है कि जिस गांव का मुकदमा हो वहां के पंच उसमें नहीं है तो सही बात वहां को मालूम नहीं हो सकती है । इसलिये मैं यह भी चाहूंगा कि सरकार इस चीज का फिर विचार करे और सरपंच को फिर अधिकार दे कि सरपंच बैंच का निर्माण कर सकता है । यह मेरा अपना निजी विचार है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मुझे कुछ बातें और कहनी हैं कि ग्राम पंचायतों में जो ग्राम समाज की जमीन है उसका एक रजिस्टर होता है जो लेखपाल के पास रहता है । मैं यह कहता हूं कि ९० फीसदी प्रधानों को यह नहीं मालूम है कि जिस गांव का वह प्रधान है उसमें ग्राम समाज की वहां पर जितनी जमीन है । उनको यह आज तक नहीं मालूम है और न कोई लेखपाल उनको जाकर बतलाता है । बहरहाल वह सेक्रेटरी है और उसको बतलाना चाहिये लेकिन वह कभी नहीं बतलाता है । इससे यह समझता हूं कि एक तरीके से करेप्शन बढ़ता है और करेप्शन पैदा होता है । अगर हर प्रधान को वह रजिस्टर मिल जाय और वह नक्शा उनके पास हो जाय, खसरा और खतौनी उनके पास रह जाय तो मेरे विचार से प्रधान को बहुत बड़ी सहूलियत होगी । जो नाजायज तरीके से ग्राम समाज की जमीन किसी के अधिकार में है उसके लिये कुछ प्रबन्ध कर सकता है । मैं अपनी बात बतलाता हूं कि हमने कई ग्राम समाजों में देखा है कि उसकी जमीन को दूसरे आदमी जोते हुये है, कब्जा किये हुये हैं वे जोतने वाले कौन हैं? वे वही लोग है जो पुराने ठेकेदार और जमींदार थे । उन लोगों के ही कब्जे में वह जमीन है । आज तक प्रधान को पता नहीं है कि ग्राम समाज की कितनी ऐसी जमीन है जो गलत तरीके से लोगों के अधिकार में है । लिहाजा में सरकार से प्रार्थना करूंगा कि यह चीज होनी चाहिये कि वह रजिस्टर ग्राम समाज के प्रधान के पास होना चाहिये ताकि वह यह समझ सके कि हमारे ग्राम समाज के अन्दर कितनी जमीन ग्राम समाज की है और किसके पास है । मैं इसलिये कहता हूं कि वह रजिस्टर प्रधान के पास होना चाहिये । तभी यह पता चल सकता है कि वह किसके कब्जे में है । खसरा और खतौनी भी उसके पास होनी चाहिये और अगर दूसरी कापी उसकी न हो तो डुप्लीकेट बनाकर उसको देना चाहिये ताकि वह जान सके ।

श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र में पंचायतों का प्रशासन प्रथम इकाई है । जहां ८० फीसदी जनता का नित्य सीधा सम्पर्क पंचायतों से है । पंचायत एक बहुत महत्वपूर्व विभाग है । मंत्री महोदय के भाषण को मैंने सुना । जहां तक मैंने समझा मंत्री जी ने हमारे पंचायत राज की केवल कुछ धाराओं का वर्णन किया । मंत्री जी ने कुछ गोल माल वातावरण में पंचायतों के टैक्स की रिपोर्ट संक्षेप में यहां पर पेश की । मैं यह समझता हूं कि बजट पेश करने की यह उन्होंने कोरी रस्म अदा की । पंचायत जितना महत्वपूर्ण और आवश्यक है और जितना उसका विस्तार है उसके हिसाब से विस्तार के साथ उसकी सूचना चाहिये । पर विस्तार से सूचना उन्होंने नहीं दी । एक बात मैं समझ पाया कि माननीय मंत्री जी ने अपनी रिपोर्ट के दौरान में यह बतलाया कि हमने इस कार्यकाल में बड़े लम्बे दौरे दिये और बहुतायत विकास खंडों में हमने पहुंचने की कोशिश की । जहां तक विकास खंडों में पहुंचने की कोशिश की बात है इसके बारे में जहां तक मैं समझता हूं मंत्री जी ने केवल सरकारी कार्यक्रम के हिसाब से शायद ही दौरा किया है और उसी हिसाब से वे दौरा करते हैं जैसे आमतौर पर मंत्रियों का कार्यक्रम हुआ करता है । प्रमाणस्वरूप मुझे बनारसीदास जी का कार्यक्रम मिला उन्होंने ९ दिन में ऐसा कार्यक्रम बनाया जिसमें १०-१२ जिलों का दौरा किया । २७ किस्म के लोगों को उन्होंने सूचना दी, उन्होंने प्रधान मंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी एटा, मथुरा, सहारनपुर, झांसी, हरदोई, कानपुर और बुलन्दशहर वगैरा के दौरे का कार्यक्रम बनाया । तो उन्होंने,

१०-१२ जिलों का दौरा ९ दिन में कर डाला और इस के लिये उन्होंने करीब ढाई, तीन सौ पत्र लिखे होंगे । उसके कार्यक्रम की सूचना जिला कांग्रेस कमेटियों को भी दी गयी । होता यह है कि विभाग दौरे का कार्यक्रम बनाते हैं और करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक संगठन का काम । ठीक इसी प्रकार हमारे मंत्री जी भी शायद दौरा करते होंगे । मैं समझता हूं कि आज कल पंचायतें प्रदेश के लिये एक अभिशाप बन गयी हैं। मंत्री जी की आंखों पर तो हुकूमत का चश्मा चढ़ा हुआ है और इसके ही परिणामस्वरूप पंचायतों की परेशानियां दिन प्रति दिन बढ़ रही हैं । आज की पंचायतें केवल चुनाव ऐजेंसी मात्र बना दी गयी हैं। जिला परिषदों में अप्रत्यक्ष चुनाव करा कर जनता में एक अविश्वास की स्थिति उत्पन्न कर दी गयी है । कानपुर में हमारे जिला परिषद् में करीब ८८ सदस्य हैं और उनमें से एक चौथाई कानपुर नगरमहापालिका के अन्तर्गत रहने वाले सदस्य हैं, जबकि उनको जिला परिषदों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिला परिषद् पर कब्जा करने के लिये सिंहानिया, जयपुरिया जैसे लोगों को भी जिला परिषद् सदस्य बना दिया गया है, वे कभी बैठक में नहीं जाते, केवल वोट देने का काम करते हैं ताकि सरकार की गद्दी बरकरार रहे । उनको तो अगर सदस्य बनाना ही था तो कारपोरेशन में बनाया जाता, न कि जिला परिषद् में । उनकी सदस्यता से क्या तात्पर्य है ? जनता को सरकार पर आस्था हो तो कैसे ? यह तो उसका कुचक्र है । यहां हम विरोधी लोग विधान सभा में १७०, १७२ की संख्या में बैठे हैं, लेकिन प्रदेश भर की जिला परिषदों में केवल फैजाबाद या एक दो जगह पर ही विरोधी दल के अध्यक्ष आ पाये हैं । इसके अलावा पंचायतों का चुनाव इतना दोषपूर्ण है कि उसके संबंध में सरकार को आमूल परिवर्तन करना होगा वरना इतनी परेशानी पैदा होगी कि उसे आप हल नहीं कर सकेंगे । आज प्रत्येक पंचायतों में हजारों मुकदमे चल रहे हैं । लोग पार्टीबाजी से ऊब गये हैं । लोग चुनाव में अपनी ही पार्टी के लोगों को जिताना चाहते हैं और भोले-भाले आदमी को जो प्रधान होता है । उसका काम मुकदमेबाजी करना और भत्ते में पैसे वसूल करना ही रह गया है । एक तो पंचायतों में वैसे ही आमदनी कम है, जो होती है वह भी इस प्रकार व्यर्थ के कामों में खर्च हो जाती है और पंचायतें अपना कार्य नहीं कर पातीं । मंत्री जी ने व्योरे से बतलाया कि हमने इतना इतना रुपया पंचायत टैक्स में वसूल किया है । मैं समझता हूं कि जो चुनाव के उम्मीदवार होते हैं वे ही टैक्स का रुपया जमा करते है या फिर तहसील की तरफ से इसके लिये कुछ शासकीय आदेश की तहत में ही अमीनों द्वारा कुछ रुपया जबरन जमा हो सका है वैसे पंचायत टैक्स की कोई वसूली नहीं होती । एक नया रास्ता अवश्य सरकार ने इस वसूली को दिखाने के लिये निकाला कि कोई फरजी श्रमदान कागज में दिखा कर उनके लिये रसीद काट कर टैक्स की वसूली का रास्ता है । और इस तरह से टैक्स की वसूली को दिखा दिया करते हैं ।

जहां तक आपके प्लानिंग और पंचायतों की स्थिति है, मैं आपको एक मिसाल घाटमपुर ब्लाक की देना चाहता हूं। वहां जिलाधीश द्वारा मुआयना हो रहा था, मैं मौजूद था । वहां १७,००,००० रुपया खर्च हुआ उसमें केवल ४० कुयें ५-७ मील सड़क बनी, इसके अलावा कोई भी काम नहीं हुआ । तथा ३-४ सांड़ छोड़े गये और बाकी सारा रुपया बेकार खर्च किया गया । माननीय मंत्री जी ने खास तौर से बताया है कि प्रमुख और बी० डी० ओ० व सरकारी कर्मचारी एक गाड़ी के दो पहिये हैं । मैं निवेदन कर दूं कि सन्दलपुर एक कानपुर में ब्लाक है । उसके प्रमुख और जो सरकारी अधिकारी हैं उनके बारे में आपको जानकारी कर दूं। वहां के प्रमुख साहब ने कुछ सरकारी डाक अपने विकास खंड के माध्यम से भेज चाही । वहां के प्रधान लिपिक ने लिख कर भेजा कि मुझे क्षेत्र विकास अधिकारी से मौखिक आदेश प्राप्त हुआ है कि किसी का भी व्यक्तिगत पत्र वगैर बिना मेरे आर्डर के न भेजा जाय। इसलिये मैं आपकी भी डाक वगैर साहब के आर्डर के भेजने से मजबूर हूं। यह परमेश्वरदत्त, प्रधान लिपिक ने प्रमुख को लिख कर ३१/१०/६३ को दिया ।

श्री बंशीधर पांडेय---

यह आप उनसे लिखवा कर भिजवा दें ।

श्री शिवनाथसिंह---

वह लिख कर मंत्री जी को दे दिया है। उसके बाद प्रमुख साहब ने बी०डी०ओ० साहब को लिखा। उन्होंने जवाब दिया कि "आपके पत्र संख्या शून्य, दिनांक १४-११-६३ के संदर्भ में सूचित करना है कि मेरे तरफ से श्री परमेश्वरदत्त, डिस्पैचर को मौखिक आदेश अवश्य है कि बिना मेरे हस्ताक्षर के कोई भी डाक डिस्पैच न की जाय। यदि मैं न रहूं तो संबंधित सहायक विकास अधिकारी अथवा ज्येष्ठ सहायक विकास अधिकारी के हस्ताक्षर कृते क्षेत्र विकास अधिकारी कराकर डाक भेजी जाय।"

श्री बंशीधर पांडेय---

यह क्या व्यक्तिगत डाक की बात कह रहे हैं ?

श्री शिवनाथसिंह---

विकास खंड में व्यक्तिगत क्या चीज भेजी जायगी ? फिर प्रमुख ने विकास अधिकारी संदलपुर को लिखा, "क्या आपके यहां कोई भी प्राविधान है कि आप स्वयं क्षेत्र समिति की मीटिंग या कार्यकारिणी की मीटिंग बुला लेते हैं और स्थगित भी कर देते हैं ? क्या ऐक्ट में व नियमों में ऐसी कोई धारा है और अगर है तो मुझे भी अवगत कराई जाय।" दूसरे २-३-६४ के पत्र में प्रमुख ने संदलपुर विकास अधिकारी के हैड-क्लर्क से मांग की कि आप यहां का भ्रमण-चक्र और अटेंडेंस रजिस्टर दिखा दीजिये, तो उसने लिख कर दे दिया कि 'श्रीमान् जी, सेवा में निवेदन है कि आप मुझ को सीधा पत्र लिखने का न कष्ट करें। आप जो कुछ मुझ से पूछना चाहते हैं आप खंड विकास अधिकारी, सन्दलपुर के माध्यम से पूछने का कष्ट करें।'

श्री राजनारायण मिश्र---

आन एक प्वाइंट आफ क्लैरिफिकेशन। क्या यह सत्य है कि जिस मीटिंग का जिक्र है उसमें ब्लाक अध्यक्ष मीटिंग छोड़ कर भाग गये थे ?

श्री शिवनाथसिंह---

यह मीटिंग की सूचना नहीं है, यह पत्र-व्यवहार की सूचना है।

श्री राजनारायण मिश्र---

क्या यह वही मीटिंग थी कि जो पोस्टपोन करनी पड़ी क्योंकि वह मीटिंग छोड़ कर भाग गये थे ?

श्री शिवनाथसिंह---

आप शायद सुन नहीं रहे थे। यह कभी मीटिंग छोड़ कर नहीं भागे। यह तो मैं पत्र-व्यवहार सुना रहा हूं जो ब्लाक प्रमुख और वहां के बी०डी०ओ० हैड-क्लर्क के बीच में हुआ, क्योंकि मंत्री जी ने कहा था कि गाड़ी के दो पहिये हैं। मुझे खेद है कि ऐसे तनावपूर्ण वातावरण में जहां प्रमुख के आदेश की अवहेलना की जाय, व्यक्तिगत ढंग से कार्य सुचारु होना कैसे संभव हो सकता है। आज से पहले भी माननीय मंत्री जी को वस्तुस्थिति से पूर्णरूप से अवगत कराया जा चुका है फिर भी कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया गया। जहां पर प्रमुखों की यह दुर्गति हो वहां कैसे उन्नति हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री राजाराम (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, जैसा कि आप जानते हैं, पंचायतें हमारे प्रशासन की बहुत ही आवश्यक इकाई हैं और कानून में उनको बहुत से अधिकार दिये गये हैं और उनसे प्रशासन में बहुत मदद मिलती है परन्तु जैसी उनकी आजकल दशा है उसको देखते हुये उनसे कोई संतोषजनक परिणाम नहीं निकल रहा है । चुनाव की वजह से आजकल गांवों में पार्टीबन्दी पैदा हो गयी है । पहले हर गांव में जहां प्रेम था, वहां दलबन्दी दिखाई देती है और जो काम पहले सहूलियत से निकल आता था वह अब नहीं हो पाता । इसका बहुत कुछ कारण तो हमारी चुनाव की प्रणाली है। हाथ उठाकर जो चुनाव होते हैं वह प्रणाली बहुत दोषपूर्ण है । उसकी जगह सीक्रेट बैलेट की प्रणाली होनी चाहिये । अगर इसमें बहुत खर्च पड़ता हो तो इस चुनाव को भी संसद और विधान सभा के चुनाव के साथ-साथ कराया जा सकता है, उसमें खर्चा कम पड़ेगा । जो आज चुनाव प्रणाली है उसमें तो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वाली कहावत चरितार्थ होती है । गुंडे लोग ही चुनाव में जीत कर आते हैं । भले आदमी तो चुनाव से दूर ही रहते हैं । इसलिये इस चुनाव प्रणाली में परिवर्तन होना चाहिये ।

पंचायत हमारे स्वायत्त शासन की एक संस्था है । इसलिये चुने हुये प्रधानों की इज्जत होनी चाहिये । आज आपके लेखपाल और तहसीलदार वगैरह उनके बड़ी ही नीची निगाह से देखते हैं । इसलिये इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये और उचित कार्यवाही करनी चाहिये ।

जहां तक पंचायतों के काम का संबंध है उस संबंध में बड़ी शिकायतें हैं । पंचायतों की मीटिंग बहुत कम होती है और उनमें फरजी कार्यवाही बहुत अधिक होती है । इनमें कम से कम रुपये में ८ आने फरजी कार्यवाही होती है । यही कारण है कि इनका काम ठीक प्रकार से नहीं चल रहा है । सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये ।

जहां तक गांव समाज की सम्पत्ति का मामला है, कानून के अनुसार गांव समाज की जो सम्पत्ति है वह भूमिहीनों को मिलनी चाहिये । सारे प्रदेश में जो गांव समाज की सम्पत्ति है वह भूमिहीनों को न मिलकर ऐसे लोगों को मिलती है जो उसके पाने के हकदार नहीं हैं वह जमीन भूमिहीनों को नहीं मिल पाती । इसमें बहुत कुछ दोष प्रधानों और लेखपालों का है, जो वहां पर हावी लोग हैं उनका है और वह इस संबंध में कुछ कार्यवाही करें, मीटिंग्स अटेंड करें । गांव सभाओं के जिम्मे निर्माण का काम भी होता है लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता । जो पैसा उनके पास टैक्स लगाने से आ सकता है वही आता है, लेकिन टैक्स लगाने की उनकी हिम्मत नहीं होती क्योंकि उससे वह अप्रिय हो जाते हैं । थोड़ा बहुत पैसा उनको क्षेत्र समितियों से मिल जाता है, उसी से वह कुछ करा सकते हैं, इसके अलावा उनकी कोई आमदनी नहीं होती है, उसके लिये सरकार कोई उचित उपाय करे । आंध्र और बंबई में वहां की सरकार पंचायतों को आमदनी का कुछ भाग देती हैं ताकि वे निर्माण कार्य करा सकें । कानून में पहले यह व्यवस्था की गयी थी कि मालगुजारी पंचायतें वसूल किया करें लेकिन शुरू में जो पंचायतें वसूल करती थीं, उनसे भी यह काम ले लिया गया है । अब वह सारा का सारा अधिकार अमीनों कौर लेखपालों को दे दिया गया है । इसलिये वह पैसा भी उनको नहीं मिलता है । अगर पंचायतों से कुछ काम लेना है तो उनकी आमदनी का कुछ प्रबन्ध होना चाहिये । उनको मालगुजारी का १० प्रतिशत रुपया जाना चाहिये नहीं तो पंचायतों को बन्द कर दीजिये ।

हमारे प्रदेश में न्याय पंचायतों न्याय प्रशासन का बहुत काम चला रही हैं । उनको फौजदारी में ५०० रुपया तक जुरमाने के अधिकार और दीवानी में ५०० रुपया तक मुकदमे सुनने का अधिकार दिया गया है । ये अधिकार बहुत ज्यादा हैं उस स्थिति को देखते हुये जो आजकल हमारे प्रदेश में है । ये अधिकार न्यायसंगत नहीं मालूम होते । ज्यादातर फैसले मुंह देखी होते हैं, पक्षपात होता है । कभी-कभी तो कोरम भी नहीं होता और फैसला हो जाता है । इन अदालती पंचायतों का मूल्यांकन होना चाहिये और तब फिर से उनको अधिकार दिये जाने के बारे में विचार होना चाहिये ।

[श्री राजाराम]

मान्यवर, मंत्रियों के ३ महीने के प्रशिक्षण की व्यवस्था है, लेकिन यह समय काफी नहीं है और अधिक होना चाहिये । इसके अलावा पंचायत के प्रधान, सदस्य और लेखपाल आदि सब के प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिये । उसमें उनको वहां के कानून कायदे बतलाये जायं। उनके ऊपर जो नयी जिम्मेदारी आने वाली है उसको बतलाया जाय । आजकल की जैसी स्थिति में पंचायतें बहुत कुछ काम कर सकती हैं मसलन, खाद तथा अन्य चीजों का बंटवारा, गल्ला तथा चीनी का बंटवारा । अगर वे अपनी जिम्मेदारी को समझें तो इस ओर बहुत काम कर सकती हैं । नयी जिम्मेदारी के बारे में अगर उनको प्रशिक्षण दिया जायगा तो बहुत कुछ अच्छा काम हो सकता है । उनकी निगरानी सरकार की ओर से ठीक होनी चाहिये । अगर कोई अच्छा काम नहीं करता है तो उसको सजा होनी चाहिये ।

*श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—[1]

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राधेश्याम जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसके समर्थन में मैं बोल रहा हूं और अपने कुछ सुझाव माननीय मंत्री महोदय की सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं । मैं प्रार्थना करूंगा कि इत्मीनान के साथ दोनों महानुभाव इनको सुनें और इन पर गौर करें। आप मुस्करा तो बहुत रहे हैं लेकिन शायद कभी आपको मेरे जैसा न होना पड़े । "देखने वालों मुझे हंस हंस कर न देखो, वरना ये दिवानगी तुम्हें मुझ सा न बना दे ।" ऐसा न हो कि कभी आपको इधर बैठना पड़े ।

प्रजातंत्र की असली बुनियाद ग्राम पंचायतें हैं। यह खुशी की बात है कि आपकी अक्ल में यह यह बात आयी कि इसमें कुछ खामियां हैं। लेकिन उन खामियों के तरफ आपका ध्यान नहीं जाता। आप लोग तो आजकल इस चिन्ता में रहते हैं कि शासन की कुर्सी पर किस तरह से बैठे रहें जिससे हमेशा के लिये यह कुर्सी हिले डुले नहीं । इसके लिये आप अपनी कुछ न कुछ अक्ल लगाते ही रहते हैं।

एक बात यह कि जो ज्येष्ठ प्रमुख रहे या कनिष्ठ प्रमुख रहे और सभापति भी रहे, जब दोबारा चुनाव हुआ और नये सभापति चुन लिये गये तो नये सभापति को उन लोगों ने चार्ज नहीं दिया है, इस चीज को आप नोट कर लें। जो नये सभापति हैं उनको चार्ज आज तक नहीं मिला है ।

दूसरी बात यह है कि कानून बनाकर आपने श्रमदान करने की बात जो लोगों के सर पर लाद दी है, यह हमारे खयाल से गैरमुनासिब है, यह कोई अच्छी बात नहीं है। २६ जनवरी, १९५० से आपने एक श्रमदान का कार्यक्रम शुरू किया जिसके लिये लोगों ने उत्साह भी दिखलाया, काफी काम हुआ, गांव गांव में सड़कें भी बनीं लेकिन गांव वालों को सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन नहीं मिला । जो कुछ हिसाब किताब मिला उसे अधिकारियों ने बांट चोट कर खा डाला, खतम कर डाला। चूंकि कुछ प्रोत्साहन नहीं मिला उसी की वजह से आपको कानून बनाना पड़ा और उसे लोगों के सर पर लादना पड़ा । मैं जानता हूं कि कहां तक इसमें हम लोगों को सफलता मिली है और कानून लादने का क्या परिणाम होता है वह भी आपके सामने आयेगा।

एक बहुत बड़ी फौज गांवों की तरक्की के लिये, गांवों के विकास के लिये खड़ी कर दी गयी है लेकिन यह फौज गांवों में जाकर करती क्या है ? सेक्रेटरी लोग सारा नक्शा घर पर बैठ कर ही फिट कर लेते हैं और अपने मन से ही जिस पर जितना चाहें टैक्स लिख कर लगा देते हैं बगैर किसी की स्थिति को ठीक से ध्यान में रखे हुये । मैं तो सेक्रेटरी लोगों को लेखपाल ही मानता हूं । लेखपाल जिस तरह का काम करते हैं उसी तरह का काम ये सेक्रेटरी लोग भी करते हैं । वे गांवों में जाकर कोई मीटिंग नहीं करते हैं, लोगों को जल्दी सूचना नहीं देते हैं,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कुछ बतलाते भी नहीं है, क्योंकि गांव के सभी सभापति पढ़े लिखे नहीं हैं । वे अपने मन से कागज भरते जाते हैं और गांव वालों पर मनमाना टैक्स लगा देते हैं। इसके कागज पत्र की दशा यह है कि मछियारा गांव में लक्षण नाम का एक आदमी है जिसकी उम्र पिछले चुनाव में ३५ वर्ष थी और इस चुनाव के समय २९ वर्ष हो गयी। बाप की उम्र ४० वर्ष है और बेटे की उम्र उसके कागज में ६० वर्ष है ।

पांडेय जी ने कहा कि वे गांवों में घूमने फिरने वाले आदमी हैं जैसा कि मैं भी घूमने फिरने वाला हूं और मेरे जैसा ही वे नौजवान आदमी हैं : लेकिन यह सही है कि वे शहरों में ही घूमते फिरते हैं। कहने के लिये तो उन्होंने कह दिया कि वे किसान के बेटे हैं लेकिन मैं जानता हूं कि उनके बाप ने कभी हल की मूठ न पकड़ी होगी । साथ ही यह भी मैं जानता हूं कि वे कौन से ब्राह्मण हैं । यह भी मैं जानता हूं कि यदि उन्हें किसी खेत के पास ले जाकर खड़ा कर दिया जाय तो वे संवरी जौ तथा खर को पहचान भी नहीं सकेंगे कि इसमें कौन चीज कौन है, यह मुझे मालूम है, लेकिन वह कह देते हैं कि हम भी किसान के बेटे हैं । वक्त है उनका ।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि यह जो रामराज्य के खम्भे हैं, दिल्ली की सरकार, प्रादेशिक सरकार, जिले का प्रशासन और चौथा खम्भा आप के राम राज्य का है गाव पंचायतें । आप ने अब एक और चीज अदालती पंचायतें बना दी हैं । लेकिन अदालती पंचायतों के पंचों को नामिनेट करने का जो अधिकार दिया है कि विधायक और फला फंला मिलकर नामिनेट करेंगे इससे झगड़े पैदा होंगे। यह जनता द्वारा चुने हुए आदमी होने चाहिये । मैं इसकी मुखालिफत करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसमें सुधार करें ।

चौथी चीज है ग्राम पंचायतें और ग्राम समाज । इन ग्राम समाजों के सेक्रेटरी होंगे लेखपाल और पंचायतों के सेक्रेटरी होंगे पंचायत सेक्रेटरी। लेकिन आज अगर माननीय पांडेय जी किसी ग्राम समाज का जाकर सम्पत्ति रजिस्टर मांगे तो उन को वह कहीं पर भी मुकम्मिल नहीं मिलेगा और मिलेंगे तो गलत मिलेंगे। कायदा यह है कि गांव समाज की जितनी सम्पति है उसकी लिस्ट तहसील से बनकर आती है और वह ग्राम समाज में रहनी चाहिये लेकिन वह नहीं रहती । हमारे यहां एक पट्टन गांव सभा है और जब ग्रमसमाज में किसी भूमिहीन को जमीन देना होता है, अगर किसी के पास नहीं है तो पहले गांवसमाज के पास जमीन हो तो वहां प्रस्ताव होगा और फिर वह परगना हाकिम के पास जायगा लेकिन पट्टन के सभापति मनमाने ढंग से चाहे जिसको जमीन दे देते हैं और उनको दे देते है जिनके पास पहले से काफी जमीन है । इसलिये इस तरह के केसेज में जितनी गांवसमाज की सम्पत्ति है उसकी रक्षा करना सरकार का परम कर्त्तव्य है । इस तरह से दूसरी योजना की तरह सरकार की ग्रामसभायें भी आपने कार्य में असफल रही है । यह तो कहने की बात है कि—

"दैहिक दैविक भौतिक तापा
रामराज काहू नहीं व्यापा ।"

परन्तु दुख से साथ कहना पड़ता है कि ऐसा रामराज्य कहीं नहीं दिखाई देता और यह तो रावण राज्य हो गया है ।

श्री जसरामसिंह—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का अवसर दिया । यह नियोजन विभाग का एक अंग है और प्रदेश के निर्माण कार्य में यह एक विशाल और महत्वपूर्ण अंग है । अगर हम इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो हम महाराजा अशोक के जमाने से लेकर आजतक यही पायेंगे कि महाराजा अशोक ने भी देश के निर्माण का कार्य किया था, उसने सड़कें बनवाई थीं, सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाये, कुआं बनवाये और उसके बाद बादशाह अकबर और शाहजहां के इतिहास को आप देखें तो सैकड़ों वर्ष का इतिहास

[श्री जसरामसिंह]

इस बात का साक्षी है कि देश के बनाने का काम बड़े-बड़े राजाओं और महाराजाओं ने किया है और अब स्वतन्त्रता के बाद इन १५–१६ वर्षों में हमारी राष्ट्रीय सरकार ने भी अपनी योजनाएं बनाई हैं। हमारे देश का ८० प्रतिशत भाग देहात में रहता है और इसी कारण से हमारे ग्रामीण जनता का उत्थान होना परम आवश्यक है। किसी भी लोकतन्त्र राज्य के लिये गांवों को उठाना उसका एक मौलिक सिद्धान्त होता है और गांव गणतन्त्र राज्य की रीढ़ होती है। मेरा यह नारा है कि इस देश के गांव उठेंगे तो यह देश उठेगा और यदि गांव नहीं उठेंगे तो देश नहीं उठेंगे। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने कुछ योजनाएं बनाई हैं गांवों को उठाने के लिये।

योजनाओं में गांव सभाओं को एक ऋण देने की व्यवस्था है, जैसे ५ हजार से १० हजार रुपया ऋण लेकर वह अपने गांव में मछली आदि पाल सकते हैं। मेरा सुझाव है कि न्याय पंचायत केन्द्र के स्थान पर कुछ धनराशि देकर उद्योग चलाने की व्यवस्था की जाय तभी देश का कुछ उद्धार हो सकेगा। जिला उद्योग अधिकारी, प्लानिंग आफिसर, न्याय पंचायत तथा पंचायतों के कुछ प्रधानों को लेकर उस संस्था का एक रजिस्ट्रेशन किया जाय और १५ हजार रुपये की जगह २० हजार से ५० हजार की एक इंडस्ट्री न्याय पंचायत के आधार पर कायम कर दी जाय। इससे मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा लाभ प्रदेश तथा देश को हो सकता है। बड़े बड़े ऋण देने से गांव उठ सकेंगे न कि छोटे-छोटे ऋण देने से और छोटे ऋणों का सही इस्तेमाल भी नहीं हो सकता।

गांव पंचायतों में अकसर उपस्थिति कम होती है। लिहाजा ऐसी कोई स्कीम निकाली जाय जिससे लोग उसमें रुचि लें। बड़ी चर्चा होती है इस बात की कि दस्तखत कराने के लिये रजिस्टरों पर दस्तखत कराते फिरते हैं घरों पर। कोई प्लानिंग अथवा निर्माण कार्य उनके अन्तर्गत हो तो उसमें वह रुचि रख सकते हैं। टैक्स के मामले में भी प्रगति नहीं हो पा रही है, काफी टैक्स पड़े हुए हैं। उसमें उनको रुचि लेना चाहिये। श्रमदान के रूप में सुरक्षा बैंक की व्यवस्था को ऐक्ट में हुई वह स्कीम कैसे पूरी हो उस तरफ नियोजन अधिकारी विशेष रूप से ध्यान दें।

न्याय पंचायतों में अकसर गरीबों को न्याय नहीं मिल पाता है और न्याय करने में बड़ा विलम्ब होता है। तो मेरा निवेदन है कि इस मामले में न्याय पंचायतों को जितने अधिकार हमने दिये हैं वे बहुत अधिक तो है ही और अधिक होने के साथ-साथ अगर सरकार ऐसा कोई आदेश दे कि न्याय जल्दी से जल्दी मिल सके और न्याय पंचायतें देरी न करें तो उचित होगा। उसमें देर करने में जितनी गड़बड़ी होती है का अन्दाज हम नहीं लगा सकते। थोड़ी सी देर में लोग भागे भागे फिरते हैं, झूठी नालिशें बहुत होती हैं। तो इस प्रकार के मामले में एक आदेश सरकार की तरफ से निकले और कोई अवधि लगा दी जाय दो महीने, चार महीने की उससे ज्यादा वह न रख सकें और उसको जल्द तय करने के लिये आदेश हों।

श्रीमान्, आज बड़ी चर्चा हुई है कि गांव समाज की जो भूमि है वह भूमिहीनों को नहीं दी जाती और ग्राम सभा के प्रधान अपने रिश्तेदारों को उसको पट्टा कर देते हैं और भूमिहीनों, विशेष कर हरिजनों को भूमि नहीं मिलती। यह जरूर ज्यादती है। ग्राम सभाओं के कुछ प्रधानों ने ग्राम समाज की भूमि पर अनधिकार कब्जा कर रखा है और मैंने सामान्य प्रशासन पर भी कहा आज भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश में ३ लाख से अधिक व्यक्ति हैं जो इस तरह भूमि पर अनधिकार कब्जा किये हुए हैं और उनसे कब्जा में हटाने में सरकार असमर्थ है। तो मेरा निवेदन है कि किसी भी उपाय से एक जी० ओ० निकले या ऐक्ट में परिवर्तन करें जिससे वह अनधिकार उनके कब्जे से हटा लें और भूमिहीन लोगों को दे दें तो एक बड़ा भारी संतोष देहात में आयेगा और सरकार की तरफ से न्याय हो सकेगा। इसलिये पांडेय जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस मामले में कोई सख्त कदम उठाने की कृपा करें।

हरिजनों को पानी न मिलने की और अन्य बहुत सी शिकायतों की चर्चा हुई लेकिन मैं केवल एक बात कह कर बैठना चाहता हूं। गरीबों के साथ हमेशा जुल्म हुआ है और आज भी होता है। उसको अगर जमीन नहीं मिलती है तो कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन जब आदमी का धीरज, सब्र टूट जाता है तो क्या नहीं कर बैठता? गरीबों के सामने आज एक समस्या खड़ी हो गयी है, सरकार का कानून उसकी सहायता नहीं कर पाती और अगर उसके धीरता की सीमा टूट गयी तो उसको कोई न कोई उपाय सोचना पड़ेगा, इस कष्ट से छुटकारा पाने के लिये। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आप सरकार को एक चेतवानी दें कि ३ लाख आदमियों के अनधिकार कब्जे से जमीन को किसी तरह से हटाकर गरीबों को भूमि दिलायी जाय जिससे गरीबों को संतोष मिल सकेगा।

(श्री राधेश्याम शर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)---

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि अभी सवा घंटे का समय जो पर्याप्त है। उसमें मंत्री जी को रिप्लाई करने के लिये आधा घंटा दे और १५ मिनट राधेश्याम जी को दें। शेष समय में दूसरे सदस्यों को समय मिल जाय। जनसंघ के सदस्यों को तो विशेषाधिकर समय नहीं मिला है और अभी केवल तीन ही सदस्य बोले हैं। क्या आप व्यवस्था करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---

लेजिस्लेचर्स का कायदा है कि गवर्नमेंट को हर एक अनुदान के ऊपर अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिये, इसलिये माफ कीजियेगा, मैंने आपको बता दिया।

*श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---

श्रीमन्, कल जिस वक्त मैंने कटौती का प्रस्ताव किया उस समय से अब तक पूरे दिन इधर के भी और उधर के भी जितने माननीय सदस्यों ने भाषण किये, सबकी बातें सुनीं और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उधर के बैठने वाले सदस्यों ने भी ज्यादातर आलोचना ही की। ज्यादातर आलोचना पंचायत राज्य विभाग की ही गयी है। इस विभाग की आलोचना पर मैंने कल विशष रूप से ध्यान नहीं दिया। मैं तो श्रीमान्, सारे ढांचे की ही आलोचना करना चाहता हूं। यह ढांचा स्वस्थ परम्परा और जनतांत्रिक पद्धति के अनुसार प्रतिपादित ह या नहीं इसको हमें देखना। इस अनुदान के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने कहा कि एक रुपये का कटौती का प्रस्ताव रखा गया है। श्रीमन्, यह प्रश्न नहीं है और चाहे जितना अनुदान दें लेकिन नीति का प्रश्न है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि जयप्रकाशनारायण जी ने कहा था कि अप्रत्यक्ष कराओ वरना चुनाव में अखाड़ेबाजी हो जायगी। यह कितनी थोथी दलील है। यदि आपने उनके कहने से अप्रत्यक्ष चुनाव कराया तो सत्ता की राजनीति को क्यों नहीं छोड़ा? वह सत्ता की राजनीति नहीं चाहते। जिस ढंग से आप सत्ता की राजनीति को चला रहे हैं उसको वह नहीं चाहते है। गांव सभाओं की तरह से यदि विधान सभाओं के भी चुनाव अप्रत्यक्ष होने लगें तो मैं दावे से कह सकता हूं कि यह सीटें खाली मिलेंगे। यदि आप सत्ता का विकेन्द्रीकरण ईमानदारी से चाहते है और चाहते है कि प्रजातंत्र का ढांचा शुद्ध रूप से देश में हो, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान में हिस्सा लेने का मौका दीजिये। प्रजातंत्र का नाम अपनेपन का है और यह तभी आयगा जब सबको अधिकार रहेंगे। गांव पंचायतों के बाद क्षेत्र समतियों के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कराइये। इनमें लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में हिस्सा लेंगे और अपने मन की भावना को समझेगें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राधेश्याम शर्मा]

आप कहेंगे कि चुनाव में खर्च ज्यादा होगा और समय ज्यादा लगेगा। लेकिन मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि इसमें न तो खर्च ज्यादा होगा और न समय ही ज्यादा लगेगा। मैं यह भी कहता हूं कि लोगों को उतनी ही दिलचस्पी होती है जब वे वोट देने जाते है या कनवैसिंग करने जाते है। थोड़े वोट में पूंजीपति हावी हो जाते हैं और वोटों को खरीद लेते है। क्या आप समझते हैं कि कांग्रेस सरकार इतनी लोकप्रिय हो गई है कि एक भी जिला परिषद् में विरोधी दल का चैयरमैन नहीं हो सका। मैं आपको चुनाव के आंकड़े देता हूं। उत्तर प्रदेश में केवल पांच उपचुनाव हुए है। उनमें से अमरोहा, फर्रुखाबाद, गोरखपुर और मोहनलालगंज में कांग्रेस हारी है और केवल एक जगह जौनपुर में जीती है। लेकिन जिला परिषदों में कांग्रेस के ही चैयरमैन हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव समिति अधिकार लेकर प्रशासन के कंधों को मजबूत करता है। ग्राम पंचायतों के चैयरमैन चुनाव लड़ने से पहले स्वतंत्र होते हैं लेकिन बाद में सरकारी पार्टी का साथ देते हैं क्योंकि सरकार से उसे खतरा बना रहता है। अगर सरकार ईमानदारी से विकेन्द्रीकरण चाहती है तो प्रत्यक्ष चुनाव कराये। पंचायतों को कांस्टीट्यूशनल पावर्स नहीं है, डेलीगेटेड पावर्स हैं। उनको कोई अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायतों को अधिकार दिये जायं और क्षेत्र समितियों में हरिजन, शूद्र, महिलाओं और पिछड़े लोगों को अलग से कांस्टीटुयेंसी बना दी जाय लेकिन प्रत्यक्षरूप से चुनाव करायें। एक औसत दर्जे की गांव पंचायत में क्या होना चाहिये, आदर्श को छोड़ें। सब से पहले आप जिला परिषद् में जिलाधीश के ओहदे को समाप्त कीजिये और न्याय विभाग को छोड़कर जिले में जितने मुहकमे हैं जिला परिषद् के अन्दर कर दीजिये। जिलाधीश को अध्यक्ष का सेक्रेटरी बना दीजिये। पुलिस विभाग उसके अन्तर्गत रहे, क्षेत्र समिति के अन्तर्गत। राजस्व की वसूली पंचायतों से करवाइये और उनको एक चौथाई दीजिये तभी कुछ सक्रियता आ सकेगी। यह मेरे सुझाव बड़े बड़े लेखकों और अपने विचार से तैयार किये हुए है। ग्राम पंचायत में कम से कम पांच लट्ठधारी सिपाही जरूर हों। और बन्दूकों जितनी ग्राम पंचायत चाहे, अभी से आर्डर कीजिये, हाकिम परगना, तहसीलदार की स्वीकृति के बिना, जितनी बन्दूकें चाहें अपने यहां ले सकें। प्रत्येक ग्राम पंचायत में साक्षर सेना बनायी जाय, जिससे गांव में समाचारपत्र पढ़ सकें। गांवों में सरकारी और विरोधी पक्ष के नेताओं के लेख जायें जिससे सही राजनीति का निर्माण हो सके। एक छोटा पुस्तकालय हो जिसमें चरित्र निर्माण, वैज्ञानिक खेती, एक क्षण बेकार न रहें, इसके लिए साहित्य हो। ग्राम पंचायत का एक छोटा फार्म हो जिसमें फलों, तरकारियों और फलों के उन्नत बीज पैदा कर सकें और सामूहिक खाद बनाने का कार्य हो सकें। उसमें गोबर और हरी पत्ती की खाद प्राथमिकता दी जाय। ए० डी० ओ० और ग्रामसेवक जाकर अनिवार्य रूप से इस कार्य को करवाएं। रासायनिक खादों के सम्बन्ध में पूरी-पूरी जानकारी ब्लाक अधिकारी और कृषि अधिकारी जनता को कराएं जिससे उनके प्रयोग में गलत न हो सके। लघु सिंचाई योजना के लिये जो पैसा दिया जा रहा है, पूरी कड़ाई और नियंत्रण के साथ देख जाय कि वह पैसा उसी कार्य पर लगाया जाय। अभी तक वह रुपया सही रूप में इस्तेमाल नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत में एक सांडधर हो जिसमें अच्छी नस्ल के सब प्रकार के सांड हों, भैंसे, बकरे, मेढ़ें मुर्ग घोड़े आदि। मुर्गी पालन, मतस्य पालन, रेशे के कीड़ों का पालन भी होना चाहिए। इस कार्य के लिए सरकार आधा अनुदान दे। साधन सहकारी समिति होनी चाहिए। गांव पंचायतों में जहां बिजली नहीं पहुंच रही है पहुंचनी चाहिए और जब तक बिजली नहीं पहुंचती हर पांच घरों पर एक लालटेन जरूरी है। पानी पीने का नल सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम पांच घरों पर एक नल अवश्य होना चाहिये। महिलाओं के लिए स्नानघर और पाखाने बनने चाहिए। समान अवसर में सिद्धांन्त को छोड़ कर विशेष अवसर के सिद्धांन्त को अपनाइये। प्रत्येक गांव पंचायत में अनिवार्य रूप से लघु उद्योगशाला हो जिसमें गांव वाले बेकार समय से काम करके अपनी आमदनी बढ़ाएं। कढ़ाई, बुनाई, चटाई बनाना, कुर्सी मेज, खेती के औजार, कपड़ा और साबुन बनाना यह सब कार्य कर सकें। प्रत्येक ग्राम पंचायत में अन्न सेना भरती हो। ग्राम पंचायतें अपना बजट बनाएं और धारा सभा की तरह अपनी कार्यवाही करें।

अनिवार्य रूप से प्राइमरी स्कूल कन्या पाठशालाएं, जूनियर हाई स्कूल हर अदालती पंचायत क्षेत्र में बनाना चाहिए। ब्लाक समिति क्षेत्र में एक इंटरमीडिएट कालेज होना चाहिए। जिला परिषद् के क्षेत्र में एक डिग्री कालेज और वैज्ञानिक इंजीनियरिंग कालेज होना चाहिए जिससे पढ़े-लिखे लोग जो बेकार हो रहे हैं, उनको वह ट्रेनिंग मिल सके और वह काम से लग सकें। एक न्याय पंचायत में एक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक या यूनानी दवाखाना जहां जो सम्भव हो, तुरन्त स्थापित करना चाहिये। पशु चिकित्सालय भी होना चाहिये। गोबर और खाद का परीक्षण तेजी से सफल बनाइये ताकि उससे देश और प्रदेश को लाभ हो सके। हर ग्राम पंचायत में एक खेल का मैदान हो जिसमें सभी युवक सभी तरह से खेल खेल सकें और जिसका प्रबन्ध ग्राम पंचायत के हाथ में हो। इसके बाद न्याय पंचायतों के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि हर न्याय पंचायत का पंचायत घर में बाकायदा एक न्यायालय हो, सरपंच को एक हाई स्कूल पास मुंशी दिया जाय जो पेड हो। चकबन्दी में जो सड़क बनी है, चकरोड्स निकले हैं उनको अच्छी सड़क श्रमदान से या जैसे भी हो बनवाइये। ब्लाक कर्मचारियों और अधिकारियों को जुटाइये, वह भी श्रमदान करें जिससे उनको और प्रोत्साहन मिले। मैंने पावर यूटिलाइजेशन स्कीम का सही सही प्रबन्ध कराइये, इसको और सक्रिय बनाइये जिससे लोग इस योजना से पूरा-पूरा लाभ उठाकर अपनी जीवकोपार्जन कर सकें। एक बार वह पूरे प्रदेश का सर्वे कराइये कि आपके पास खेती के योग्य भूमि कितनी है। जहां तक मैं मालूम कर पाया हूं ४ करोड़ एकड़ भूमि बतायी जाती है। लेकिन मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा भूमि खेती योग्य है। सीलिंग में जितनी जमीन आपको मिली है उसको तुरन्त ग्राम पंचायतों के कब्जे में देकर उस पर सही मालिकाना हक उनका कराइए जिससे कि उस सारी जमीन का इस्तेमाल हो और एक इंच भी जमीन आपकी बेकार न रहे। नियोजन के काल में किसी देश या प्रदेश में एक इंच भी जमीन अगर बेकार रहती है तो यह उस प्रदेश का बड़ा भारी दुर्भाग्य कहा गया है। आप पूरा सर्वे कराइए और जो खेत हैं उनका इस्तेमाल कराइए। इसके बाद जैसे भी हो वैज्ञानिक ढंग से या और परिश्रम करके जिस तरह भी हो एक साल में कम से कम दूनी फसल पैदा कराइए। मेरा ख्याल है कि ४ करोड़ एकड़ से ज्यादा जमीन आपके पास निश्चित रूप से है। सर्वे करने के बाद सही-सही मालूम पड़ेगा कि कितनी जमीन है।

यह मैंने थोड़े से सुझाव दिये हैं। इन्हें यदि आप कार्यान्वित करते हैं तो मालूम पड़ेगा कि आप सक्रिय वास्तविक रूप में हैं। इनको आदर्श पंचायत का सुझाव न मानियेगा, ये सामान्य पंचायत के सुझाव है। मैं पांडेय जी से कहूंगा कि आपने तो कल पंचायत राज का कांस्टीट्यूशन बताया, कोई नया ढांचा इसके बारे में प्रस्तुत नहीं किया। मैंने एक नया ढांचा ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद् तक का आपके सामने रख दिया है। इसमें से जितना अच्छा लगे उसको मंजूर करके आज ही उसका ऐलान कर दीजिये और मेरा कोई विरोध नहीं होगा। अगर आप यह नहीं करते हैं तो हम कैसे समझें कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण आप करना चाहते हैं? मैं यह उम्मीद करूंगा कि पांडेय जी मेरे सुझावों पर विचार करके सदन को उसके सम्बन्ध में आश्वस्त करेंगे और यदि वह उसको मान लेते हैं तो ग्राम पंचायतें सक्रिय रूप से कार्य करेंगी। मैंने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है यदि माननीय पांडेय जी हमारे सुझावों को मान लेते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि मानने में उनको हिचक है तो मैं माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि वह उनको बाध्य करें कि वह ऐसे ठोस सुझावों को मानें। यही मैं सरकार से और माननीय सदस्यों से प्रार्थना करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बंशीधर पांडेय ---

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस अनुदान पर हमारे लगभग ३० सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। माननीय राधेश्याम जी जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उनका बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें कहीं हैं जो विचारणीय हैं। और भी बहुत से साथियों ने इस दौरान में बहुत से ऐसी बातें कहीं हैं जो विचारणीय हैं। सब से पहले मैं माननीय राधेश्याम जी को बतला दूं, उन्होंने कहा कि जिलाधीश बिलकुल तानाशाह है और जिला परिषद् के ऊपर उसका स्थान है.....

श्री राधेश्याम शर्मा---

मैंने यह नहीं कहा। मैंने यह कहा कि जिलाधीश का ओहदा बिलकुल बेकार है, उसको खत्म कीजिये और रखना ही चाहते हैं तो उसको जिला परिषद् के अध्यक्ष का सेक्रेटरी बना दीजिये। तानाशाह मैंने नहीं कहा था।

श्री बंशीधर पांडेय---

माननीय काशीनाथ जी और राधेश्याम जी को जिलाधीश से न मालूम इतनी चिढ़ क्यों हैं? अगर बाद में समय रहेगा तो इस पर कुछ कहूंगा। मान्यवर, फ्रान्स में जब पहले प्रजातांत्रिक क्रान्ति हुई तो वहां पर भी इस प्रकार से जिलाधीश की तरह प्रिफेक्ट एक अधिकारी होता है जो बहुत पावरफुल होता है। वह हमारे जिलाधीश से कई गुना बड़ा अधिकार रखता है। वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर रूल रहता है। कोई रूल आफ ला वहां पर नहीं है। श्रीमन्, सोशलिस्ट सोसाइटी के नाम पर राधेश्याम जी ने कहा और उनकी पार्टी ने नारा दिया। उस नारे को सुनने के बाद मैं यह समझता हूं कि यदि इस विभाग का नाम ही कुछ सोशलिस्ट जैसे नाम से रख दिया जाय---सारे बी०डी०ओ० का नाम सोशलिस्ट अफसर जैसा नाम रख दें तो शायद उनको कुछ कम विरोध मालूम पड़े। आप यह देखने की कृपा करें कि दुनिया के जितने भी देश हैं जिन्होंने इस प्रजातन्त्र व्यवस्था के लिये कदम उठाया है, उन सब की हिस्ट्री आप देखेंगे तो हिन्दुस्तान में भी यह पंचायतों की स्थापना में उसी तरह का कदम है। मैं मानता हूं, अभी यह प्रारम्भिक अवस्था में है और उसमें कुछ कमी हो सकती है, प्रशिक्षण की कमी है पढ़े-लिखें लोगों की कमी होती है। कभी यहां पर कहा जाता है कि न्याय पंचों के लिये आप कोई क्वालिफिकेशन निर्धारित कर दें। भारत के प्रधान मन्त्री के लिये तो क्वालिफिकेशन नियत नहीं है। कोई भी नागरिक हमारे देश का प्रधान मन्त्री हो सकता है। तो पंचों के लिये शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करना कि वे बी० ए० या इन्टर पास हों, यह नहीं हो सकता। राधेश्याम जी और बांके लाल जी ने कहा कि न्याय पंचों का जो यह नामिनेशन करने का तरीका है इसको बन्द किया जाय और दूसरे लोगों को उसमें बैठने का अधिकार दें। मैंने इस विषय में कल निवेदन किया था और कहा था कि सरकार फिर से एक बिल न्याय पंचों के लिये ला रही है जिसमें सरकार प्राविधान करने जा रही है कि जो नामिनेशन पंचों का होता है यह समाप्त हो। फिर वह गांव पंचायत अपने पंचों की निर्धारित संख्या चुन लिया करेंगी। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने न्याय पंचायतों के सम्बन्ध में एक स्टडी टीम बैठाई और उन्होंने इस विषय में अपनी रिपोर्ट दी है। ब्लाक लेबिल पर रिवीजन का अधिकार कुछ लोगों को दिया जाय, जो ब्लाक के चुने हुये सरपंचों में ४, ५ चुन लिये जायं, उनके हाथ में रहे। इस तरह की जितनी बातें हैं वह सब उस स्टडी टीम के सामने और उसके सदस्यों के सामने प्रस्तुत की गई हैं। तो उत्तर प्रदेश की सरकार भी उन सारी विचाराधाराओं को लेकर पंचायती राज बिल में आगे लाने को सोच रही है और उसमें यह प्राविधान करने जा रहे हैं। और भी बहुत सी बातों का बोलते समय यहां पर जिक्र किया गया कि यह भी हो और इस तरह का प्रबन्ध हो। जो भी गांव के कल्याण की बातें हो सकती हैं उनका अच्छी तरह से अध्ययन किया गया है। सारे गांव के शासन का तरीका, एग्रीकल्चरल प्रोडेक्शन, जितनी वहां पर जमीन है उसका प्रबन्ध, शिक्षा की जितनी बातें हैं, सोशल एजूकेशन की जितनी बातें हैं इन सब के विषय में अधिकार दिया गया है। हमारे २, ३ साथियों ने बड़ा जोर दिया कि इंग्लैंड की काउन्टी की तरह यहां भी पुलिस और मजिस्ट्रेसी पर उसका अधिकार होना चाहिये। मैं आपसे कहता हूं कि आप इंग्लैंड की काउन्टी की तरह और दूसरे देशों की तरफ की तरफ से आप चाहते हैं कि पुलिस पर अधिकार हो, किन्तु यहां पर रोज दोष देते हों कि सारी पुलिस मिनिस्टर के संकेत पर काम करती है, सारी पुलिस भ्रष्टाचार करती है, विरोधीपक्ष को परेशान करने के लिये पुलिस को एक टूल बना रखा है। श्रीमन्, काउन्टी की पुलिस की हालत अगर आपको बतलाऊं तो आपको ताज्जुब होगा। आप ब्लाक प्रमुखों की बातें करते हैं कि वे एक दूसरे पर शासन करते हैं, लेकिन अगर वैसा हो जाय तो जगह-जगह गोली चलती नजर आयेगी। आपके यहां ८७५ पुलिस मिनिस्टर हो जायेंगे और फिर आप स्वयं उनकी शिकायत

करेंगे। और फिर वेलफेयर स्टेट में पुलिस की चर्चा? यहां कभी पुलिस राज की चर्चा नहीं की जाती। मुझे अफसोस होता है यह देख कर कि जनता के प्रतिनिधि यहां बैठे हैं, कानून बनाते हैं, आप कह सकते हैं कि आप बहुमत के बल पर कानून पास करते हो, लेकिन आप उससे छूटते नहीं। प्रजातन्त्र पक्ष और विपक्ष मिल कर बनता है। आपकी भी मुहर उस पर लगती है। दुनिया में भारत की डेमोक्रेसी ही सब से बड़ी है। संसार में पहली बार बालिग मताधिकार के अनुसार यहां चुनाव हुये थे। इंग्लैंड की डेमोक्रेसी ६०० वर्ष पुरानी है। लेकिन वहां ३०, ४० साल पहले तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। यहां तो देश का हर नागरिक वोट देने का अधिकार रखता है। जब से सरकार ने बैलेट पेपर की व्यवस्था की उसके बाद से भले ही गांव में बड़े-बड़े लोग और सामन्त शाह अपना कितना ही प्रचार करते रहे हों, कितनी पुड़िया खिलाते रहे हों, लोगों को बन्द कर के रखे हों, लेकिन चुनाव में वे ही उलट गये। प्रमुख का जब चुनाव हुआ तो भी हर आदमी यही कहता था कि मेरी मेजारिटी है, लेकिन चुनाव में मामला उलट गया। तो वोटर अब चालाक हो गया है। आपने १९५२ में और १९६२ में उसमें क्या फर्क हुआ है उसे देखा। तो यह प्रजातन्त्र की ही बलिहारी है और यह उसकी परिपाटी है कि हम और आप यहां बैठे हैं। मैं सदस्यों से एक बात निवेदन करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि वे इस बात को गम्भीरतापूर्वक लेंगे कि प्रजातन्त्र में कोई हद अवश्य होनी चाहिये। जब लाउड स्पीकर ले कर एक आदमी खड़ा होता है तो वह सारे जन जीवन की, प्राइम मिनिस्टर की, मिनिस्टर की आलोचना शुरू कर देता है। तुमने लाखों रुपया कमाया, मोटरें चलायीं, बसें चलायीं, तुम्हारे लड़के बाहर पढ़ने गये, मैं समझता हूं कि यह प्रजातन्त्र के लिये बैरप्टसी है। यह कह कर आप व्योरोक्रेसी को बढ़ाते हैं और वह यह देखकर कि ये प्रतिनिधि-गण आपसे में गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, हम दोनों पर हावी होने का प्रयत्न करती है। वे पढ़े-लिखे हैं, समझते हैं। आप अमरीका के, इंग्लैंड के, रूस के, चीन के इतिहास को देखिये। पीपुल्स कमेटी जो चीन की हैं उनकी अपनी इंटरनल पुलिस है।

(व्यवधान)

हमारे जनसंघ के भाई कम्युनिस्ट शब्द पर घबरा जाते हैं। लेकिन वह तो एक इन्टरनैशनल फिलासफी है इसलिये मैं उसे ही कोट करता हूं। १०–१५ साल बाद जब आपकी बनेगी तो आपको भी कोट किया जायगा। हमारे राधेश्याम जी तो चौखम्भा राज की बात करते हैं। मैंने उसमें "पंचखम्भा" जोड़ दिया। जिस भवन की छत गिर रही थी उसमें एक खम्भा और लगा दिया, पंचखम्भा राज्य बन गया पंचायत का। आप कहते हैं कि पंच लोग सरकारी अफसर अपने को समझने लगते हैं। आज गांव की, जिला परिषदों की जो तीनों इकाइयां बनी हुई हैं वह इसीलिये बनी हुई हैं कि इंडिपेंडेंट न रह कर के अपने अपने क्षेत्रों में इन्टर-लिंक्ड रहें। अगर आप देखें तो यह इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं है। कहीं तो सारे दिन चुनाव की बात आप करते हो, दूसरी तरफ कहते हो कि चुनाव नहीं सूट करता। यह इंडायरेक्ट इलेक्शन इसलिये नहीं है कि बलवन्त राय मेहता कमेटी बैठी। जयप्रकाश नारायण कहते थे कि पार्लियामेंट और असेम्बली का इंडायरेक्ट इलेक्शन कराया जाय जिनके चेले और साथी उस तरफ बैठे हुये हैं।

श्री राधेश्याम शर्मा––

मैं अदब से कहना चाहता हूं कि अगर जय प्रकाश भाई के कथनानुसार इंडायरेक्ट इलेक्शन हुआ तो ये तो सब साफ हो जायंगे, कोई नहीं आयेगा।

श्री बंशीधर पांडेय––

वह आपके भी दल के रहे हैं, आज भले ही न हों।

श्री राधेश्याम शर्मा––

वह हमारे दल के नेता तब थे, अब नहीं हैं।

श्री बंशीधर पांडेय—

जब सोशलिस्टिक पैटर्न की बात आती है और समाजवाद की चर्चा होती है तो कितकी बात करूं ? वही तो गिने जाते थे सर्वे-सर्वा भारतीय समाजवादी पार्टी के। अगर उनका उद्धरण न दूं तो किसके दर्शन और फिलासफी की चर्चा करूं ? तो आज बलवन्त राय मेहता जो एक्सपर्ट थे उनकी कमेटी ने सब ने यह चर्चा की कि पंचायतराज का नक्शा क्या है और गांव का प्रधान जनता द्वारा चुना जाता है और हर प्रधान क्षेत्र समितियों का पदेन सदस्य होता है। तो एक चुने हुये प्रतिनिधि और एक प्रमुख को जिला परिषद् के लिये चुनता है। जितने हमारे माननीय सदस्य बैठे हुये हैं विधान सभा के और संसद के ये भी डायरेक्ट जनता के चुने हुये हैं और ये भी जिला परिषद् और क्षेत्र समिति में सदस्य हो जाते हैं। तो इंडायरेक्ट इलेक्शन कहना गलत है। यह इसलिये किया गया है कि धन-जन नष्ट होता है, इतना तूफान पैदा होते हैं, इसलिये यह आवश्यक था।

किसी माननीय सदस्य ने एक विचारणीय बात कही और वह इलेक्शन कमीशन आफ इंडिया को भी समझने वाली चीज है कि कोई ऐसा समय निर्धारित करें कि इन पांचों इकाइयों के एक साथ इलेक्शन हो जायं। लेकिन अभी १०-५ वर्षों के अन्दर तो सारा लेजिस्लेशन निर्माण हो रहा है और परिवर्तन हो रहा है। सन् १९४७ में पंचायत राज ऐक्ट पास हुआ। सरकार सोचती है कि अगले सेशन में नया ऐक्ट लायेंगे जो क्षेत्र समिति और जिला परिषद् ऐक्ट के अनुरूप हो और उनकी भावनाओं को व्यक्त करता हो और उससे लिंकड हो जाय और जो अनुभव हमें प्राप्त हुये हैं उनका भी लाभ उठाया जाय। राधेश्याम जी या किसी और सदस्य ने कहा था कि गांव पंचायतों में महिलाओं को कोआप्ट करने की भी व्यवस्था होनी चाहिये। अगले विधेयक में इसका ध्यान रखा जायगा। हरिजनों की संख्या तो हमने रिजर्व कर ही रखी है। हमारे साथी जगन्नाथ जी ने कहा कि पंचायती राज्य ने सर्वनाश ला दिया है। पंचायती राज अगर सर्वनाश को लाता है तो मैं आपसे कहता हूं कि समाजवाद की ओर बढ़ने को दूसरा कौन सा रास्ता हो सकता है ? मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्राथमिक अवस्था में अभी हमारी पंचायतें हैं और शुरू-शुरू में गल्तियां होंगी। धीरे-धीरे हम अपने और आपके अनुभवों का फायदा उठा कर उसमें परिवर्तन भी करते चले जायगे। उसमें सुधार होगा। किन्तु यदि प्रदेश के भविष्य को उज्जवल बनाना है, तो वह इस पंचायती राज के द्वारा ही सम्भव हो सकेगा। मैं तो यहां तक चाहता हूं कि गांव के प्रधान को बड़े से बड़ा अधिकार हो। मगर उसमें अभी समय लगेगा। आज हमारा आपका सबका कर्त्तव्य है कि हम उन लोगों के साथ कदम से कदम मिला कर चलें। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे हम डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रालाइजेशन की बात नहीं कर सकते। जब जब आपने डीसेन्ट्रालाइजेशन की बात को तय किया, तो उसके लिये तो आपको गांव के प्रधान को व्यापक अधिकार देने होंगे। जब गांव का प्रधान सबसे बड़ा अधिकारी होगा, तभी इस देश का कल्याण होगा। एक अध्यक्ष अपने यहां की सारी जनता का प्रतिनिधि होता है, आप कलेक्टर के लिये कहते हैं, उसे जिला परिषद् में रख दिया, वह तो अध्यक्ष से अलग होता है। जिला परिषद् का अध्यक्ष सारे जिले का अधिकारी होता है। जिले के सब अधिकारी उसके मातहत होते हैं।

श्रीमन्, कई साथियों ने कहा कि विभिन्न विभागों में आपस में तालमेल नहीं है। अभी आपने देखा कि हमने डेवलपमेंट कमिश्नर की पोस्ट को तोड़ कर प्रोडक्शन कमिश्नर की पोस्ट क्रिएट की और उसके अन्तर्गत जितने भी विकास से सम्बन्धित विभाग थे उनको रखा। हमने सोचा कि ऐसे विभागों को अगर एक हैड के अन्तर्गत रखा जाये तो उससे सुधार हो सकता है। हमने उसको किया। इसी तरह और भी जिस चीज की आवश्यकता होती जायेगी, हम उसको करते जायेंगे।

इसी तरह जिले में जो विकास से सम्बन्ध विभाग हैं उनको हमने ए० डी० एम० प्लानिंग के अन्तर्गत रखे हैं। उसके अन्तर्गत ब्लाक लेविल के सारे काम आ जाते हैं। इस बात की शिकायत की जाती है कि आपके प्रमुखों और अधिकारियों के बीच में मेल नहीं है। माननीय

शिवनाथ सिंह जी ने कहा कि ब्लाक प्रमुख ने बी० डी० ओ० को आर्डर दिया मगर उसने उसका पालन नहीं किया। जब कोई भी अधिकारी संविधान या ऐक्ट में जो अधिकार ब्लाक के प्रमुख या जिला परिषद् के अध्यक्ष को दिये हैं उन्हें नहीं मानता है तो सरकार इसका बहुत बड़ा नोटिस लेती है और कार्यवाही करने को तैयार है। हमारा नियम है कि सिविल सर्विसेज को आज्ञा का पालन करना चाहिये।

गांव सभापतियों के लिये बंशीलालजी ने कहा कि १२ और ६ रुपये जो आप लेते हैं परचे का उसे आप वापिस नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि संसद और असेम्बली के चुनावों में सीक्योरिटी जमा होती है, लेकिन वह कीमत तो शुरू से ही रखी गई है। पंचायतों का १२ रुपया सभापति का और ६ रुपया सदस्यों का है। अखिल भारतीय पंचायतों के सदस्यों की संख्या को देखते हुये इस सरकार ने निश्चय किया है कि चूंकि उनकी संख्या इतनी अधिक है इसलिये उनकी संख्या आगे चलकर ४०-४५ से अधिकतम सीमा ७ और लगभग १५ के बीच कर दी जायगी, ताकि मीटिंग्स भी हो सकें।

किसी माननीय सदस्य ने कहा कि मालगुजारी का १/४ गांव पंचायतों को दिया जाय। यह बात सरकार के विचारधीन है। महाराष्ट्र, आन्ध्र और राजस्थान ने ३० या २५ फीसदी दिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी इसे सोच रही है। थर्ड फाइव-ईयर प्लान में सारा रुपया प्लेज हो चुका है, इसलिये इस पर विचार हो रहा है यह अच्छा सुझाव है क्योंकि जनता के मन में यह भावना उत्पन्न हो सकती है कि हमारा रुपया हमारे ही गांव के खंड में है, और उससे उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा।

एक भाई ने कहा कि जब आपने डी० पी० ओ० को सारे अधिकार दे रखे हैं तो जिले के बहुत से अधिकारी परिषद् की बातों को नहीं मानते हैं। डी० पी० ओ० या कोई अधिकारी किसी विभाग का अधिकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार एक है और उसके विभिन्न अंगों के अधिकारी हैं। डी० पी० ओ० उस क्षेत्र का सबसे बड़ा अधिकारी है, चीफ सेक्रेटरी है उस क्षेत्र का। अगर सरकार का ध्यान ऐसी बातों की ओर दिलाया जाता है कि कोई अध्यक्ष की आज्ञा का पालन नहीं करता है तो हम उस पर कार्यवाही करते हैं। जिला परिषद् का चीफ सेक्रेटरी डी० पी० ओ० है और उसके निश्चयों को कार्यान्वित करने के लिये वह आदेश जारी करता है। इसलिये जिला परिषद् की भावनाओं की अवहेलना कोई अधिकारी कर नहीं सकता और अगर करता है तो वह सजा का हकदार है।

गांव सभाओं के मुकदमों के वकीलों के लिये कहा गया कि जो वकील किये जाते हैं वे लोगों से मिल जाते हैं और ठीक से पैरवी नहीं करते हैं या केवल दिखावे के लिये पैरवी करते हैं। इस बात की शासन के पास बहुत-सी शिकायतें आयी हैं। सरकार इस बात को सोच रही है कि किस प्रकार से इस चीज को सुचारु रूप से किया जा सकता है।

भूमि प्रबन्धक समितियां पहले गांव समाज थे। लेकिन अब क्षेत्र समिति ऐक्ट के अन्तर्गत यह काम गांव समाजों को तोड़ कर ग्राम पंचायतों की समिति को दे दिया गया है। गांव सभा और ग्राम समाज में बहुधा भ्रम भी हुआ करता था। इसलिये उसको तोड़ दिया गया है और पटवारी उस समिति का सेक्रेटरी है। पटवारी के बहुत से अधिकार तो सरकार ने पहले ही छीन लिये हैं। कांसालिडेशन हो जाने के बाद में जो बाकी बचे हैं वह भी समाप्त हो जायेंगे और शायद पटवारी की फिर आवश्यकता भी न रहे। जहां तक एकाउन्ट की बात है उसमें तो एक तो गांव सभा का फंड होता है और दूसरा माल विभाग का फंड होता है इसमें बहुत ज्यादा चिन्ता की बात नहीं है। लेकिन फिर भी यह चीज सरकार के विचाराधीन है।

श्री छांगुर राम जी ने कहा कि गांव सभाओं का बहुत सा धन जो उपयोग में नहीं आया था, मिनिस्टरों के सुरक्षा कोष के लिये दौरे पर जाने के समय उन्होंने चन्दे के रूप में दे दिया। श्रीमन्, यह बात तथ्य से परे हैं। कुछ गांव पंचायतों और म्युनिसिपैलिटियों ने तथा बहुत-सी सरकारों

[श्री बंशीधर पांडेय]

ने भी भावावेश में ऐसा करना चाहा था लेकिन उसके बाद भारत सरकार और प्रदेशीय सरकार के सामने यह बात आयी कि यह रुपया तो किसी न किसी तरह से सरकार के पास है ही, इसलिये वह तो उसमें इम्प्लाइड है ही। और फिर यह कहना कि सारी सारी पंचायतों ने ऐसा कर दिया, यह बातें बिलकुल ही गलत हैं, केवल कुछ पंचायतें ही ऐसी रहीं होंगी।

बृजमोहन गुप्त जी ने कहा कि बुन्देलखंड में काटेज इन्डस्ट्रीज लगायी जानी चाहिये। बहुत अच्छा सुझाव उन्होंने दिया। मैं उनका आदर करता हूं। उनके प्रोडक्टिव एसेट्स को किस प्रकार से बढ़ाया जाय, इस बात को सरकार बहुत गम्भीरता से सोच रही है। खादी कमीशन ने भी इस बारे में काफी रुपया इस सरकार को देने की बात कही है कि हम गांवों में इस प्रकार की इकाइयां कायम करें। इस बारे में विकास मन्त्री जी के सामने एक नोट प्रस्तुत किया गया है और यह विचार किया जा रहा है कि ब्लाक लेबिल पर मार्केटिंग सेंटर्स स्थापित किये जायं, इन्डस्ट्रीज के मैन्युफेक्चरिंग सेंटर्स स्थापित किये जायं। ५–५– हजार के गांवों की इकाइयां स्थापित की जायं। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, छोटेछोटे लोहे और लकड़ी के सामान बनाने की तथा इसके अलावा और छोटी-छोटी इन्डस्ट्रीज के सेंटर ब्लाक लेबिल पर कायम किये जायं और एक एक ब्लाक, क्षेत्र समिति अथवा एक-एक डिवीजन में इस काम को बढ़ाया जाय। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि अगर कानून कायदे की कोई अड़चन न हो तो ब्लाक लेबिल पर इन्डस्ट्रिलाइजशन कर दिया जाय। खादी कमीशन अथवा दूसरे सोर्स से रुपया लेकर ५–५– हजार का एक यूनिट बनाया जाय। यह बड़ा भारी कदम होगा।

जैसा कि बनारस के श्री लालबहादुर सिंह ने बहुत से आन्दोलनों का जिक्र किया, यह सही है कि जितने भी आन्दोलन चले, कुओं के लिये आन्दोलन चले, रबी अभियान के आन्दोलन चले, इससे देश की जनता के मन में एक नयी भावना जाग्रत हुई। यह जो हमारी डिफेंस लेबर बैंक्स या जो विलेज वालंटियर फोर्स की योजना है इसमें बहुत सी बातें हैं। जहां हमारी सुरक्षात्मक कार्य-वाहियों के लिये यह योजना सहायक होगी वहां वह जनता के मनोबल को ऊंचा उठाने व जनता द्वारा उनका उपयोग करने में भी सहायक होगी। सरकार द्वारा जो श्रमदान का कार्य कराया जा रहा है वह सराहनीय है लेकिन आज उस श्रमदान का यहां इस सदन में या बाहर भी मजाक उड़ाया जाता है। कहीं कहीं तो गांव के लोग श्रमदान कर रहे होते हैं तो लोग कहा करते हैं कि यह ग्राम पंचायत का काम थोड़े ही है, तुम लोग सरकार से मांग करो कि इस सड़क को पी० डब्ल्यू० डी० लेकर पक्की कराये क्योंकि सड़क को पक्की कराने की जिम्मेदारी उसी की है। वे यह भी कहते हैं कि जिन सड़कों पर सरकारी मोटरें चलती हैं उनको वही पक्की करायें। यह वही है कि आर्थिक दृष्टि से भी सड़कों का बहुत बड़ा महत्व है तथा चीजों की कीमतों के घटाने बढ़ाने में भी इनका महत्वपूर्ण स्थान है। जो इंटर डिस्ट्रिक्ट्स रोड्स हैं उनको तो पी० डब्ल्यू० डी० या सरकार के लेने की बात हो सकती है लेकिन जो गांवों को एक दूसरे से मिलाने के लिये इन्टर विलेज रोड्स हैं, क्षेत्र समितियों को अधिकार है कि वे इन रोड्स को अपने हाथ में लेकर बनवायें। ग्राम पंचायतों के कार्यक्रम में क्षेत्र समितियों का एफेक्टिव रोल होगा। एक जगह मैं गया था तो वहां इस बात का भी प्रस्ताव आया कि हेल्थ तथा शिक्षा ग्रान्ट्स के लिये हर गांव पंचायतों को कुछ-कुछ रुपये बांटने के बजाय सब गावों का ग्रान्ट क्षेत्र समितियों के स्तर पर कर दिया जाय। कम से कम १०–२० ग्राम पंचायतों के लिये एक मैंचिंग ग्रान्ट ५–५ हजार करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। अभी एक जगह गवर्नमेंट आफ इंडिया के कम्युनिटी डेवलपमेंट के डिप्टी मिनिस्टर साहब गये थे तो उन्होंने भी इस सम्बन्ध में नोट लिया और इस पर विचार कर रहे हैं कि इस तरह के किसी मैंचिंग ग्रान्ट का प्रबन्ध कर दिया जाय जिसमें ५०–१०० ग्राम सभायें शामिल हों। ये बारी बारी से लाभ उठा सकें।

श्री सुदामाप्रसाद जी के कहा कि गांव सभाओं के चुनाव बैलट से हों। सभापति का चुनाव तो बैलट तो होता ही था। अब सदस्यों की संख्या कम करने का विचार है इसलिये यह हो सकता है कि अब सदस्यों का चुनाव भी हाथ उठा कर न करवा कर, उनका भी चुनाव बैलट से ही हो जाय। इस तरह से अगले निर्वाचन में सभापतियों के साथ सदस्यों का चुनाव भी बैलट से ही कराने का विचार है।

गांव सभाओं को आप अपने चुनाव की एक मशीनरी मानते हैं। श्री राधेश्याम जी ने कहा कि जितने भी सदस्य या सभापति चुन कर आते हैं वे सरकार की तरफ से ही आते हैं और उसी का काम करते हैं। यह बात बिल्कुल तथ्य से परे है। हम सभी जनता के प्रतिनिधि हैं और सब का आदर करता हूं। इस सदन के हर माननीय सदस्य को अधिकार है कि वह अपने क्षेत्र की जनता के बारे में जो भी शिकायत हो कहे। लेकिन आज गांव का प्रधान, और गांव सभा का सदस्य या हर नागरिक काफी जागरूक है और वह जानता है कि किसे पंच के लिये वोट देना है, किसे नहीं देना है, किसे सभापति बनाने के लिये वोट देना है और किसे जिला परिषद् में वोट देना है। तो इस तरह की बातें कहना ठीक नहीं है। यह भी एक तरह की शिक्षा ही है जिसे जनता प्राप्त करती है और मैं कहता हूं कि अगर पिछले ग्राम पंचायतों के चुनाव में मार्किंग सिस्टम नहीं होता तो बहुत से वोट इनवैलिड हो जाते और सन् ६२ के जनरल इलेक्शन में भी बहुत से वोट इनवेलिड हो गये होते। इसलिये डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिये ही ये सारे कार्यक्रम हैं, चाहे उसका आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक जो भी पहलू हो।

श्री राधेश्याम शर्मा––

जिला परिषदों का नतीजा यह बताता है कि सारे सूबे के प्रधान आप के साथ हैं, क्योंकि एक भी विरोधी दल का चेयरमैन नहीं बना है.....

श्री बंशीधर पांडेय––

इसमें हम क्या करें? अगर सारे प्रदेश की जनता यह कहे कि कांग्रेस सरकार १,००० साल तक रहे तो इसमें हमारा क्या कसूर है? यह तो जनता की पसंद है। आप के जिले में ही २००० या १००० जो भी प्रधान होंगे, यह जनता के प्रतिनिधि हैं, उनसे कह देते कि कांग्रेस के चकलेश्वर सिंह को वोट न दें।

माननीय रियासत हुसैन जी ने ठीक कहा और बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दिये। उन्होंने कहा कि पिछले साल भी सुझाव उन्होंने दिये थे तो उनके सुझावों पर ही विचार कर के ही ३–४ विषयों में सरकार ने उन लोगों के कहने के अनुसार निर्णय लिये हैं। टैक्स नीति के सम्बन्ध भी उधर से बहुत सी बातें कही गईं और गांव पंचायतों के रिसोर्सेज के बारे में जो दोनों ओर से विचार व्यक्त किये गये मैं उनसे सहमत हूं कि आज ग्राम पंचायतों के रिसोर्सेज बहुत कम हैं। इस विषय में केन्द्रीय सरकार ने एक सन्थानम कमेटी बैठाई थी। उस की रिपोर्ट भी आयेगी और उसी के अनुरूप यहां प्रादेशिक सरकार ने भी माननीय कैलाश प्रकाशजी, शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक हाईपावर कमेटी बनाई है और वह कमेटी शीघ्र ही अपना काम आरम्भ करेगी। उसकी रिपोर्ट आने पर हम भी यह देख सकेंगे कि किस तरह से क्षेत्र समितियों और पंचायतों आदि के रिसोर्सेज को बढ़ाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में जो सुझाव दिये गये वे बहुत अच्छे थे।

विलेज लेविल वर्कर और पंचायत सेक्रेटरी के एकीकरण की बात भी कही गई। इस सम्बन्ध में माननीय विकास मंत्री जी ने बातचीत की थी हम से और यह विचाराधीन प्रश्न उन के सामने हो गया है कि इन दोनों पदों को कैसे मिलाया जाय, एक साथ कर दिया जाय तो उसका स्वरूप कुछ ऐसा हो जाय कि कंट्रोल अलग हो जाय या ए० व बी० कैटेगरी कर के कोई ग्रेडेशन हो जाय, यह सारी बातें सरकार के विचाराधीन हैं। सरकार चाहती है कि किसी तरह से एकीकरण कर के ग्रेडेशन कर के कुछ किया जाय। कुछ आर्थिक बोझ आ जायगा तब भी मुश्किल होगी, इसलिये आर्थिक बोझ भी अधिक न हो कर और एकीकरण भी हो जाय, एफीशियेंसी भी बढ़ जाय और अधिक से अधिक समन्वय और एकीकरण हो जाय यह हमारा प्रयत्न होगा।

इसके अलावा विलेज लेविल वर्कर और पंचायत सेक्रेटरी के फन्कशन्स में भी और काम में भी एकरूपता लाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साधन कम हैं और हम आज जो

[श्री बंशीधर पाण्डेय]

पंचायतों पर एक सेक्रेटरी रखते हैं उसके बजाय कृषि का और वी० एल० डब्लू० का काम मिला कर ४–४ पंचायतों पर एक आदमी कर दें, हमारे यहां ७२ हजार पंचायतें हैं और ८ पर जो एक आदमी है उसके मुकाबले में ४ पर ज्यादा इफेक्टिव होगा। यह सब नीति निर्धारण की बात है कि आया वी० एल० डब्लू० हमारा मल्टीपरपज अधिकारी होगा जो कृषि का और पंचायत का सारा काम देख सके, वह सब काम कर सके तो एक ही में उसके क्षेत्र को करने की बात सोची जा सकती है।

एक साथी ने कहा कि पंचायत सेक्रेटरी रातों रात लिस्ट बदल देते हैं। किसी ने कहा कि एक साल में किसी की उम्र ३५ लिखी थी, अगले साल वह २९ हो गई। ठीक है, ऐसा हो सकता है और इस तरह की शिकायतें हैं और उधर हमारा ध्यान गया है। हमने कई मंत्रियों को डिसमिस और मुअत्तल भी किया है। बहुत से लोगों ने कहा कि बहुत सी अपीलें पड़ी हैं और उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती। तो वह इसलिये पड़ी हैं कि उन्होंने ग़लत काम किया है। इसीलिये सरकार ने निर्णय किया है कि भाग २ का जो रजिस्टर है और जितने कागज लगते हैं और उनमें जो तमाम गलतियां रहती थीं और जनता के धन का दुरुपयोग होता था उस सब को रोकने के लिये प्रधानों का चुनाव आगे असेम्बली के चुनाव क्षेत्र की सूची से होगा। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि प्रमुख तथा अध्यक्ष का चुनाव सीधे करा दिया जाय तो यह चीज प्रेसीडेंशियल फार्म आफ गवर्नमेंट में तो हो सकती है, पार्लियामेंट्री फार्म आफ गवर्नमेंन्ट में नहीं हो सकती। यहां प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट चुन कर नहीं आयेगा। प्रधान मंत्री वह होगा कि जो संसद है उसका उसे विश्वास प्राप्त हो। जनता के प्रतिनिधि तो कुछ और चुन कर आयें और प्रमुख का सीधे चुनाव हो तो प्रमुख मनमानी कर सकता है। वह एक दफा जनता का कांफिडेंस सीक कर सकता है, जैसे म्युनिसिपल बोर्ड में परीक्षा के रूप में यह प्रणाली अपनायी गयी थी और असफल रही। अध्यक्ष किसी दल का हो गया और सदस्य किसी दल के और कभी बजट पास नहीं हो रहा है और कभी कुछ हो रहा है। यह संसदीय परपंरा के विपरीत है और कांस्टीट्यूशन को चेंज करने की बात है।

गांव पंचायतों को पेमेंट चेक द्वारा भेजने में शिकायत की गयी, क्योंकि वकील पहचान कराने में रुपया ले लेते हैं। जब नकद रुपया ब्लाकों को दिया जाता रहा तो वह अधिकारी जो ग्राम सभाओं से काम कराते थे और कम्पलीशन रिपोर्ट देते थे वे उस रुपये में से ले लेते थे, ऐसी शिकायतें उस समय की गयीं। इसलिये जब यह किया गया कि रुपया चेक के जरिये ही दिया जाया करे।

गांव सभाओं में पीने के पानी के कुंवों की बात कही गयी। ग्राम पंचायतों ने बहुत कुछ इस सम्बन्ध में किया है और बहुत से विकास के कार्यों को किया है। मैं अपने साथियों को बतलाना चाहता हूं कि पंचायत राज कोई विभाग नहीं है। पंचायत राज एक आन्दोलन है, ऐसा बढ़ता हुआ तूफान है जो देश को सचमुच प्रजातांत्रिक भावनाओं से भर कर के दिल्ली से लेकर ग्राम पंचायत के केन्द्र तक सब कड़ियों को मिला कर कार्य करना चाहता है और जो जनता का विश्वास गांव पंचायत से लेकर दिल्ली और लखनऊ की सब कड़ियों को एक में जोड़ कर पैदा करना चाहता है। पंचायत राज और देशों की पद्धितियों से भिन्न है। इसके जरिये डिक्टेटरशिप की तरह कार्यक्रम नहीं हो सकते। इसमें ह्यूमेनिटेरियन टच है। आज हो सकता है कि पंचायत राज की व्यवस्था में हमारी उपलब्धियों में बहुत से दोष हों, जो हमारे लक्ष्य व टार्गेट हैं उनकी प्राप्ति हम न कर सके हों लेकिन इसके जरिये से हमने रास्ता अख्तियार किया है प्रजातांत्रिक पद्धति का। बहुत से देश ऐसे हैं जो बहुत से क्षेत्रों में हमसे बहुत आगे चले गये हैं लेकिन निश्चित रूप से वे हमसे उन क्षेत्रों में पीछे हैं जिस को प्रजातांत्रिक समाजवाद एवं प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीयकरण कहा जाता है। आज गांव सभाओं में जो परिपाटी हम कायम करेंगे और उसके जरिये जो नेशनल करेक्टर पैदा होगा और उसकी झलक जो गांव पंचायतों में मिलेगी वही छाप हम को दिल्ली और लखनऊ में मिलेगी। यह कहना

कि पंचायत राज एक फ्राड है इससे उन भावनाओं को ठेस पहुंचती है जैसा कि इस देश के महान् विचारकों विनोबा जी, जयप्रकाश जी तथा गांधी जी ने कहा है। विनोबा जी ने यहां तक कहा कि ऐसे शासनविहीन समाज की रचना करो यानी शासन की सत्ता को तो वे स्वीकार करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि उसका इंटरफियरेंस कम हो। तो जो भाई कह रहे थे कि पंचायत राज ऐक्ट बनाते समय विनोबा जी को भी कसंल्ट किया जाय। वे देखेंगे कि विनोबा जी भी शासन की सत्ता का अन्त नहीं चाहते, केवल उसका इंटरफियरेंस पंचायती राज्य में कम से कम चाहते हैं और वह यह तभी होगा जब जो लोएस्ट इकाई अर्थात् पंचायतें हैं उनमें ताकत सब से अधिक और जो सब से ऊंची इकाई उसमें सब से कम शक्ति रहे, एक पिरामिड की भांति वह खड़ा हो।

जहां तक पीपुल्स पार्टिसिपेशन की बात है, वह हम कर रहे हैं। जो नालियां, जो सड़कें, जो खड़ंजे वगैरह के सुन्दर काम बहुत सी गांव सभाओं ने किया है यह सब तभी चलेगा जब पीपुल्स पार्टिसिपेशन उसके अन्दर हो। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पंचायतों ने १०, ५ हजार इकट्ठा किया और उन्होंने अपने कामों को पूरा किया। ऐसी पंचायतों के लिये सरकार के विचाराधीन है कि उन को कैसे प्रोत्साहन दिया जाय और इसलिये ही हमने बजट में ६ लाख रुपये की व्यवस्था की है कि वे अपने प्रोडक्टिव उद्देश्यों के लिये उससे कर्जा भी ले सकती है। मैं अधिक न कह कर माननीय सदस्यों के सामने विनती करना चाहता हूं कि वे पंचायती राज्य की व्यवस्था को सम्पन्न बनावें और पीपुल्स पार्टिसिपेशन की भावना को, पंचायती राज्य को सफल बनावें। शर्मा जी भी कृपा कर के अपनी कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लेंगे और जो हमारा अनुदान है उसे सदन स्वीकार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ११---गांव सभाएं और पंचायतें के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय---
कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११--- गांव सभाएं और पंचायतें के अन्तर्गत १,४१,०९,७०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष, १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

अब हम उठते हैं और सोमवार को साढ़े १० बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बज कर २५ मिनट पर सोमवार, ९ मार्च, १९६४ के साढ़े दस बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
७ मार्च, १९६४।